नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 246, नई दिल्ली, बुधवार 12 नवम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता.

03 संस्कार भारती की संविधान जागरूकता प्रतियोगिताओं में 500 विद्यार्थी शामिल हुए

06 वृद्धाश्रम नहीं, सम्मानाश्रम चाहिए

08 झारखंड मना रहा 25 वां जन्म दिवस जहां विशेष दर्जे के ओड़िया आज भी उपेक्षित !

परिवहन आयुक्त की मेहरबानी से आज तक शुरू नहीं हो पाए वाहनों के पैनिक बटन महिला सुरक्षा के लिए शुरू

संजय बाटला

जनवरी 2019 से आज तक नही शुरू हुआ वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन के लिए कंट्रोल रूम, जिसके लिए परिवहन विभाग के आदेश पर डिम्ट्स वाहन मालिकों से वसूल रहा है 1 जनवरी 2019 से जबरदस्ती फीस

परिवहन विभाग के आला अधिकारी डिम्ट्स (जिसमे 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी स्वयं परिवहन विभाग की है) को फायदा पहुंचाने और उसके द्वारा दिल्ली के वाहन मालिको को लुटने के दिशा निर्देश/ आदेश जारी करता आ रहा हैं

परिवहन विभाग द्वारा दिए गए इस प्रकार के सभी दिशा निर्देशों/ आदेशों को कोई भी आरटीआई के माध्यम से या हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको डिम्ट्स द्वारा लिए जाने वाली फीस जो वह बिना किसी प्रकार की सेवा को प्रदान किए परिवहन विभाग के दिशा निर्देश से वाहन मालिको से वसूलता आ रहा है के बारे मे बताने जा रहे हैं क्योंकि यह फीस वसुलने के पीछे जनता को बताया गया कारण महिला सुरक्षा।

आपकी जानकारी हेतु बता दें कि विशेष आयुक्त द्वारा लिखित में जारी आदेशों के बाद भी डिम्ट्स द्वारा वीएलटी डिवाइस पैनिक बटन का कंट्रोल या उसका डाटा ऑनलाइन उपलब्ध नही करवाया गया (इसी ब्लॉग के साथ मीटिंग ऑफ मिनट्स की प्रति स्लगन) जो अपने आप में यह साबित करता हैं की 1 जनवरी 2019 से आज तक डिम्ट्स वाहन मालिकों से जो वीएलटी डिवाइस पैनिक बटन की निगरानी के नाम से फीस वसूलता आ रहा है वह सिर्फ दिल्ली सरकार के राजस्व में इज़ाफ़ा करने के लिए है ना की महिला सुरक्षा हेतु।

अब दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवम्‌ राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्राप्त पैसों से अपना डाटा सेंटर एनआईसी द्वारा शुरू किया है पर उसके बाद भी पैनिक बटन महिला सुरक्षा के मद्देनजर कार्यरत नहीं बस दिखावा है

परिवहन आयुक्त की मेहरबानी बरकरार और महिला सुरक्षा के लिए वाहनों में उपलब्ध पैनिक बटन बेकार।

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT : VEHICLE INSPECTION UNIT
BURARI DELHI-110084.

No.F.MLO/VIU/TPT/2019/11156 Dated: 16/12/22

Subject: - Minutes of meeting held at 12:00 P.M. on 11.11.2022 in the Chamber of Spl. Commissioner (Transport) to discuss the proper implementation of the SOP for Vehicle Location Tracking Device and Panic Button.

As scheduled, a meeting was held under the chairmanship of Spl. Commissioner (Transport) to discuss the proper implementation of the SOP for Vehicle Location Tracking Device and Panic Button. The meeting was attended by following officers/representatives:-

1. Sh. Vineet Kumar, DC
2. Sh. Sanjay Gautam, Sr. System Analysts
3. Sh.Sanjeev Chadha, System Analyst
4. Sh. Anil Agrawal, DTO, VIU
5. Sh. Ankush Jain, NIC
6. Sh. Karunesh, NIC
7. Sh. Rakesh, NIC
8. Sh. Prashant Tiwari, DIMTS
9. Sh. Charanjeet, DIMTS

Following was discussed/decided in the meeting:

1. It is stated that vide notification dated 28.11.2016, issued by MoRTH, it was mandated to comply with the requirements stated in AIS-140 in VLT Device, later on vide notification dated 31-10-2018 issued by MoRTH, it was mandated that all public service vehicles registered on and after 01st January, 2019 have to be fitted with Vehicle Location Tracking Device and Panic Buttons. Thereafter, MoRTH vide it's letter dated 22-02-2021 issued Standard Operating Procedure (SOP) which specifies the operational procedure, pre-requisites and other details for compliance as per AIS-140 Standard for Vehicle Location Tracking registration and activation in VAHAN/State Registration Application. The matter regarding proper implementation of the SOP for Vehicle Location Tracking Device and Panic Button was discussed thoroughly with above mentioned stake holders/Concerned Branches.

2. It was shown displeasure by higher authorities that earlier decided time line i.e. 30.08.2022 has been lapsed by DIMTS. It was again directed that DIMTS must provide a free access/link/provision in public domain for vehicle owner/Drivers for depositing fee on account of Backend tracking subscription and activation confirmation taken by DIMTS being State Monitoring Center, by 24.12.2022, so that The driver/vehicle owner needs not to come physically to DIMTS office.

(Action – DIMTS)

It is stated that integration of data of inactive VLT devices with VAHAN is still pending, though, it had already been decided in previous meetings held on 26.04.2022 and 12.08.2022. It was again directed that DIMTS being State Monitoring Centre shall provide/integrate the respective data in VAHAN portal on real time basis, in case where VLT Device **is found inactive**, SMS/E-Notice/E-challan will be issued to the vehicle owner after a regular interval of 05 days and the vehicle shall be blacklisted automatically through VAHAN software immediately. SSA-IT Section is also directed for necessary compliance through VAHAN / NIC.

(Action – DIMTS, NIC and IT Section)

4. Regarding integration of CNG Hydro testing certificates with VAHAN, it was decided that there is only available solution to ensure genuineness of cylinder hydro testing certificates issued by CNG cylinder testing stations, the data of such certificate should be integrated with VAHAN like data PUCC, insurance. This check should be applicable by NIC at the time of applying of COF/fee level. NIC team assured to integrate the Vahan module with PESO through API at fees level.

(Action – NIC and IT Section)

5. Regarding fee exemption module to DTO, VIU JJ- It was decided to give the fee exemption module to DTO VIU JJ, it was also desired to give the same roles to DTO VIU JJ as given to DTO VIU Burari in public interest as well as for smooth functioning of VIU.

(Action – IT Section)

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

DTO (VIU)

No.F.MLO/VIU/TPT/2019/11156 Dated: 16/12/22

Copy for information and necessary action to:

1. PA to Pr.Secretary-cum-Commissioner Transport Deptt. GNCTD
2. PA to Special Commissioner Transport Deptt. GNCTD
3. Dy. Commissioner (VIU), Transport Department GNCTD.
4. Senior System Analyst, IT Section, Transport Department GNCTD.
5. Sh. Anil Agrawal, DTO, VIU
6. Sh. Ankush Jain, NIC
7. Sh. Karunesh, NIC
8. Sh. Rakesh, NIC
9. Sh. Prashant Tiwari, DIMTS
10. Sh. Charanjeet, DIMTS

व्यंग्य : वाहन प्रदूषण सीमा के भीतर है!

विवेक रंजन श्रीवास्तव

मध्यप्रदेश की हवा में अब सिर्फ धूल नहीं, प्रदूषण प्रमाणपत्र भी तैर रहे हैं। ये डिजिटल कागज़, प्रदूषण नियंत्रण के वे पवित्र सर्टिफिकेट हैं जिनके दम पर राज्य की सड़कों पर चल रही हर खटारा गाड़ी खुद को "स्वच्छ" घोषित कर चुकी है।

भोपाल की गलियों से लेकर इंदौर की बाईपास तक सड़क किनारे खड़ी ये पुरानी मारुति वैंस, उम्र दराज इंजन के साथ स्वयं प्रदूषण फैलाने का जो पुण्य अर्जित कर रही हैं और अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बेचकर वही पुण्य जनता में बाँट रही हैं। यदि आप को लगता है यह गाड़ी प्रदूषण प्रमाणपत्र देने से पहले कोई जांच कर रही है, तो आप भ्रम में हैं। असल में यह नैतिकता का ईंधन जला रही होती है।

पॉल्यूशन प्रमाण पत्र एक आर टी ओ के चालान से बचने का औपचारिक उपकरण मात्र बनकर रह गया है। प्रमाण पत्र चाहने वाला गाड़ी मालिक मुस्कराता है, पुरानी प्रदूषण फैलाती मारुति वैंस जांच केंद्र वाला मुस्कराता है और गाड़ी की नम्बर प्लेट मात्र से मतलब रखने वाला प्रमाणपत्र भी मुस्कराता है — बस हवा रोती है।

प्रदूषण जांच के नाम पर जो मशीनें इन वैंस में रखी हैं, वे पिछली बार कब उपयोग की गई हैं, शायद वहां बैठा डिजिटल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बांट रहा,किराए का लड़का भी नहीं बता सकता।

पर्ची निकलती है, उस पर लिखा होता है — "वाहन प्रदूषण सीमा के भीतर है।" यह सीमा कहाँ है, यह पूछने का सवाल कोई नहीं उठाता क्योंकि खुद हवा को गवाही देने का अधिकार नहीं मिला।

कहते हैं मध्यप्रदेश में अब हर वाहन के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र है। यह सुनकर प्रदूषण देवता भी खुश होंगे कि अब कोई भी उनकी मौजूदगी पर सवाल नहीं उठाएगा। शहर की हवा गंदी हो सकती है, पर फाइलें साफ हैं। आँकड़े चमक रहे हैं, बस आसमान धुँधला गया है।

पेट्रोल पंपों पर पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर खुले हैं। नाम बड़ा प्यारा है "सुविधा केन्द्र।" सच ही तो है. यहाँ सुविधा मिलती है बिना परीक्षण के सर्टिफिकेट प्राप्त करने की। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना पढ़ाई के डिग्री या बिना इलाज के रिपोर्ट 'नॉर्मल'। जनता खुश, अफसर खुश, मशीन खामोश, हवा बेहोश।

सरकार ने स्क्रैपिंग नीति बनाई, पुराने वाहनों को हटाने की घोषणा की पर पुराने वाहन हटे नहीं, बस अपनी फिटनेस रिपोर्ट नई बनवा ली। कुछ सौ रुपये में गाड़ी जवान हो गई और फिर वही धुआँ चारों ओर फैलाने निकल पड़ी। यह वही जादू है जिसे मध्यप्रदेश की प्रदूषण व्यवस्था "सस्टेनेबल डेवलपमेंट" कहती है। इंदौर की हवा अगर दिल्ली से कम जहरीली है तो इसका श्रेय सर्टिफिकेटों को नहीं, हवा की मासूमियत को है जो अभी भी भरोसा कर लेती है कि इंसान सुधर जाएगा। भोपाल की वैनें, जबलपुर के पंप और ग्वालियर के केंद्र, सब मिलकर एक नाट्य-मंच बना चुके हैं जिसका नाम है "स्वच्छ वायु मिशन" और जिसकी पटकथा में हवा का किरदार ही काट दिया गया है।

यह पूरा तंत्र इतना व्यंग्यपूर्ण है कि यदि सत्य खुद रिपोर्ट देने आ जाए तो उसे "फेल" करार दे दिया जाए क्योंकि यहाँ सच से ज़्यादा मूल्यवान वह कागज़ है जो कहता है "सब कुछ ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण मानक में है।" सर्टिफिकेट ही व्यवस्था का ऑक्सीजन है।

आप कहीं भी हों, आपकी गाड़ी कहीं भी हो, प्रदूषण जांच करने वाली वैन कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके संबंध होने चाहिए, यू पी आई से दो ढाई सौ रुपये अदा कीजिए, प्रदूषण जांच केंद्र को अपनी गाड़ी का और नम्बर प्लेट का फोटो व्हाट्स अप कीजिए, वहां से निकला पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में प्रगट हो जाएगा। फिर आप उसे अपने ड्राइवर को व्हाट्स अप कर दीजिए क्योंकि अगले चौक पर ट्रैफिक वाले अपनी औपचारिकता पूरे जोश से निभा रहे हैं. बिना इस पॉल्यूशन प्रमाण पत्र के वे गाड़ी का चालान बना देंगे, यूं गाड़ी तो फिर भी चलती रहेगी, बिना पर्यावरण की परवाह किए बस फाइन की पर्ची के साथ।

अब सवाल यह नहीं कि वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं या नहीं. सवाल यह है कि प्रमाणपत्रों का धंधा किस स्तर तक हवा खा गया है। हर झूठा सर्टिफिकेट एक सच्ची साँस का गला घोंट देता है और इस हत्या में दोषी वही हैं जो पर्ची लेकर निश्चिंत हो जाते हैं कि वे पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी नागरिक हैं।

कहने को यह सब विकास की कहानी है पर असल में यह व्यवस्था का धुआँ है जो आँखों में जा रहा है। यदि किसी दिन हवा गवाही देने खड़ी हो जाए तो शायद सबसे पहले यही कहेगी "मुझे नहीं, मेरे प्रमाणपत्रों को शुद्ध करो।"

तो जब अगली बार सड़क किनारे खड़ी कोई मारुति वैन दिखे जिस पर लिखा हो "पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर" तो सिर झुकाकर गुजरिए. वह कोई वाहन नहीं, व्यवस्था की चलती फिरती विडंबना है। हवा में सर्टिफिकेट उड़ रहे हैं और हम सब उन्हें सांसों में भर रहे हैं, बहुत संतोष के साथ, बहुत शांति से, बहुत प्रदूषित होकर।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

आज का सुरक्षा विचार, सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना

पिंकी कुंडू महासचिव,

सार्वजनिक बसों में सफर करने वाले सभी जन मानस, ड्राइवर, कंडक्टर एवं पर्यवेक्षक स्टाफ बसों में या टर्मिनल पर किसी भी लावारिस वस्तु / बैग / पैकेट को बिल्कुल भी नज़र अंदाज़ न करें। ऐसी वस्तु संदिग्ध या विस्फोटक (बम) सामग्री हो सकती है।

आवश्यक सावधानियाँ:

1. बस में किसी भी लावारिस वस्तु दिखने पर तुरंत सतर्क हों।
2. बस को सुरक्षित स्थान पर रोकें और यात्रियों को दूर ले जाएँ।
3. उस वस्तु को हाथ से न छुएँ या न हिलाएँ।
4. तुरंत कंट्रोल रूम / पुलिस 112) को सूचना दें।
5. बस स्टाफ साथ ही अपने पर्यवेक्षक / डिपो अधिकारी को भी सूचित करें।
6. बस स्टाफ टर्मिनल पर अपनी बसों को खाली छोड़कर न जाएँ। बस में ड्राइवर या कंडक्टर में से एक व्यक्ति हमेशा उपस्थित रहे।

सतर्कता ही सुरक्षा है, आपकी सावधानी अनेक जिंदगियाँ बचा सकती है।

https://tolwa.com/about.html
tolwadelhi@gmail.com
tolwaindia@gmail.com

पर्यावरण पाठशाला : भारतीय संविधान में पर्यावरण और समाज के प्रति हमारे नैतिक कर्तव्य

डॉ. अंकुर शरण

भारतीय संविधान हमारे देश की आत्मा है। यह केवल शासन का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत दस्तावेज़ है जो हमें यह सिखाता है कि नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। अनुच्छेद 51(क)(g) में कहा गया है कि "प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ और वन्य जीव शामिल हैं, की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे।" यह अनुच्छेद केवल कानून नहीं, बल्कि जीवन का मूल्य है — जो हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है।

हमारा संविधान समाज और पर्यावरण दोनों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। जब हम अपने चारों ओर फैली हरियाली की रक्षा करते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं, या जल और ऊर्जा की बचत करते हैं, तब हम संविधान की आत्मा का सम्मान कर रहे होते हैं। यही असली राष्ट्रभक्ति है — जो प्रकृति और समाज दोनों के प्रति समर्पण से जुड़ी है।

इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने एक पहल की, जिसके अंतर्गत मैंने अपने मित्रों, सहयोगियों और छात्रों को संविधान से प्रेरित हस्तलिखित उद्धरणों (hand-written souvenirs) को भेंट करना प्रारंभ किया। इन स्मृति-उपहारों पर भारतीय संविधान की प्रेरणादायक पंक्तियाँ, महान नेताओं के विचार और हमारे मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी प्रेरक कहानियाँ लिखी होती हैं। इसका उद्देश्य यह था कि हर कोई अपने जीवन में संविधान को केवल किताब के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में जीए।

हर बार जब कोई यह स्मृति-संवेदन पाता है, तो वह न केवल संविधान की आत्मा को महसूस करता है बल्कि अपने भीतर एक संकल्प भी जगाता है—कि वह समाज और पर्यावरण दोनों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेगा। 'पर्यावरण पाठशाला' इसी विचारधारा का विस्तार है—एक ऐसा मंच जो हर नागरिक को प्रकृति और संविधान दोनों से जोड़ने का प्रयास करता है। जब हम संविधान की शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे, तभी हम पर्यावरण की रक्षा और समाज के विकास में अपनी सच्ची भूमिका निभा सकेंगे।

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी सम्मान करेंगे—प्रकृति का स्नेहपूर्वक संरक्षण करेंगे, समाज के प्रति अपने आचरण को सुधारेंगे, और संविधान की प्रत्येक पंक्ति को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएंगे। यही सच्चा राष्ट्रनिर्माण है।

- दिल्ली–एनसीआर में वायु संकट– जब हवा बनी जहर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण–3 की सख्ती और राष्ट्रीय चेतावनी का संदेश
- धरती बची तो सब बचा,प्रदूषण केवल हवा में धूल या धुआं नहीं है, यह उस असंतुलित विकास की चेतावनी है जो पूरी मानवता को खतरे में डाल रहा है–

पर्यावरण सुरक्षा अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता हैं - एनसीआर के प्रदूषण संकट से पूरी दुनियाँ को सीखने की जरूरत....

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत की राजधानी दिल्ली, जो कभी सभ्यता, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी,आज "सांस लेने के अधिकार" के संकट से जूझ रही है। नवंबर २०२५ के दूसरे सप्ताह में जब पूरा उत्तर भारत दीपावली के बाद की धुंध में लिपटा हुआ था, तब दिल्ली- एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। मंगलवार दिनांक 11 नवंबर २०२५ को सुबह ९ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 4२5 तक पहुंच गया,यानी 'गंभीर' श्रेणी, जो न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि प्रकृति और शहरी जीवन की स्थिरता के लिए भी एक भयावह संकेत है।10 नवंबर २०२५ को जहां एक्यूआई ३६२ दर्ज किया गया था, वहीं 11 नवंबर २०२५ को यह आंकड़ा 4२5 पर पहुंच गया। इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया।भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) आज विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शुमार हो चुका है। हवा में घुला जहर अब केवल एक शहर या प्रदेश की समस्या नहीं रहा, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय चेतावनी बन चुका है कि यदि दुनिया ने अब भी पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया, तो सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी विलासिता बन जाएगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता जब गंभीर स्तर से ऊपर जाती है, तो वह मानव अस्तित्व के लिए एक खतरे की घंटी बजाती है। यही वजह है कि पर्यावरण सुरक्षा अब केवल स्थानीय प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी बन गई है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर हर साल सर्दियों में भयावह रूप लेता है। खेतों में पराली जलाना, वाहनों से निकलता धुआं, उद्योगों का उत्सर्जन, निर्माण स्थलों की धूल और पटाखों का धुआं,ये सभी मिलकर हवा को जहरीला बना देते हैं। इस वर्ष भी नवंबर की शुरुआत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 4२5 के पार पहुंच गया, जो "गंभीर" श्रेणी से भी ऊपर है। ऐसे में अस्पतालों में सांस, आंख और त्वचा की बीमारियों के मामले बढ़ने लगे हैं। यही वह स्थिति है जिसमें सरकार को "ग्रेप-३" लागू करना पड़ा, जिसके तहत निर्माण गतिविधियों डीजल जनरेटर और भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल आपात कदमों से समाधान संभव है ?चूँकि दिल्ली- एनसीआर में वायु संकट-जब हवा बनी जहर- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण-३ की सख्ती और राष्ट्रीय चेतावनी का संदेश जारी कर दिया गया है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे पर्यावरण सुरक्षा अब विकल्प नहीं,अनिवार्यता है- दिल्ली।

साथियों बात अगर हम एनसीआर के प्रदूषण संकट से पूरी दुनियाँ को सीखने की जरूरत को समझने की करें तो प्रदूषण केवल स्थानीय नहीं, वैश्विक चुनौती हैआज का पर्यावरण संकट सीमाओं से परे जा चुका है। जब दिल्ली में हवा जहरीली होती है, तो उसका असर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक पहुंचता है। इसी तरह, जब चीन में स्मॉग बढ़ता है या यूरोप में औद्योगिक गैसें फैलती हैं, तो उनका प्रभाव वैश्विक तापमान पर पड़ता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ओज़ोन परत की क्षति ऐसी समस्याएँ हैं जो देशों की सीमाओं को नहीं मानतीं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने "पेरिस जलवायु समझौते" और "सतत विकास लक्ष्य" के माध्यम से विश्व समुदाय को एक साझा मिशन पर जोड़ा है,जिसका उद्देश्य है २050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना हैं,भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है, फ़रि भी दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। मंगलवार दिनांक 11 नवंबर २०२५ को सुबह ९ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 4२5 तक पहुंच गया,यानी 'गंभीर' श्रेणी, जो न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि प्रकृति और शहरी जीवन की स्थिरता के लिए भी एक भयावह संकेत है,परंतु यह भी सच है कि भारत ने विकासशील देशों में सबसे तेजी से हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।भारतीय पीएम द्वारा आरंभ किया गया"राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन", "राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन", "स्वच्छ भारत अभियान" और "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम" ऐसे प्रयास हैं जो भारत को पर्यावरण- अनुकूल विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। २070 तक भारत के "नेट ज़ीरो" लक्ष्य की घोषणा इस दिशा में ऐतिहासिक है। परंतु दिल्ली- एनसीआर जैसे उदाहरण यह दिखाते हैं कि नीतियां तभी सफल होंगी जब स्थानीय प्रशासन,उद्योग और नागरिक, तीनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं।समाधान और आगे का रास्ता-जब नीति को नागरिक की जिम्मेदारी बनना होगा,वायु प्रदूषण केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है।ग्राप जैसे आपातकालीन उपाय अस्थायी राहत दे सकते हैं, पर स्थायी समाधान तभी संभव है जब:(1) स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार हो।(२)पराली प्रबंधन के लिए किसानों को व्यवहारिक विकल्प मिलें (३) सार्वजनिक परिवहन सशक्त और सस्ता बने।(4) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाया जाए।(5) शहरी हरियाली और वृक्षारोपण को मिशन मोड में बढ़ाया जाए।(६) नागरिक स्वयं अपने स्तर पर प्रदूषण घटाने की पहलज़रूर करें।

साथियों बात अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और असंतुलन का खतरा

को समझने की करें तो धरती का संतुलन तभी संभव है जब जल, वायु, भूमि और वन एक-दूसरे के साथ सामंजस्य में रहें। लेकिन बढ़ती आबादी,अनियंत्रितऔद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने इस संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है। जंगलों की कटाई ने प्राकृतिक वायु-शोधन प्रणाली को कमजोर कर दिया है, जबकि सीमेंट और डामर के जंगलों ने हरियाली को निगल लिया है। भूजल का अत्यधिक दोहन, नदियों में प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे का ढेर आज उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां प्रकृति प्रतिशोध लेने लगी है,कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं जहरीली हवा और कहीं घटते पेयजल स्तर के रूप में।विश्व समुदाय को साझा जवाबदेही निभानी होगीप्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अब केवल नीतियों की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके क्रियान्वयन में सख्ती जरूरी है। विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन की जिम्मेदारी लेनी होगी और विकासशील देशों कोतकनीकी सहायता व वित्तीय सहयोग देना होगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड को और प्रभावी बनाना होगा ताकि भारत जैसे देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में मदद मिल सके। वहीं, विकासशील देशों को भी "कार्बन-न्यूट्रल" नीतियों को अपने विकास मॉडल में शामिल करना चाहिए।

साथियों बात अगर हम जन सहभागिता ही असली पर्यावरण रक्षा है इसको समझने की करें तो सरकारें नीतियां बना सकती हैं, कानून लागू कर सकती हैं, परंतु पर्यावरण संरक्षण तब तक संभव नहीं जब तक नागरिक स्वयं अपनी जीवनशैली में बदलाव न लाएँ। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग,पेड़ लगाना प्लास्टिक से परहेज, बिजली की बचत, और अपशिष्ट का उचित निपटान,ये छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आज के दौर में हर व्यक्ति "ग्रीन सिटिजन" बन सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।तकनीक और नवाचार से मिल सकता है समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, स्मार्ट सिटी मॉडल और हरित प्रौद्योगिकी प्रदूषण नियंत्रण में नई दिशा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम वाहनों की भीड़ कम कर सकता है, जबकि ड्रोन्स से प्रदूषण उत्सर्जन की निगरानी संभव है। दिल्ली जैसे शहरों में "स्मॉग टावर" और "ग्रीन वॉल" प्रयोग के तौर पर लगाए गए हैं, पर इन्हें केवल प्रतीक नहीं, बल्कि नीति का अंग बनाना होगा।

साथियों बात अगर हम भारत में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को चार चरणों में विभाजित किया गया है व अभी 11 नवंबर से चरण-३ लागू किया गया है इसको समझने की करें, चरण- (1)मॉडरेट टू पुअर एक्यूआई २01- 300)(२)चरण-२ (वेरी पुअर, एक्यूआई 301-400)(३) चरण- ३ (सीवियर, एक्यूआई 401-450)(4)चरण-4 (सीवियर प्लस, एक्यूआई >450) 11 नवंबर २०२५ को सुबह ९ के बाद २०२५ में एक्यूआई 4२5 तक पहुंचने के बाद, दिल्ली-एनसीआर में तीसरे चरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई,यानी ग्रेप-III लागू हो गया।ग्राप IIIका तीसरा चरण तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच जाए,अर्थात एक्यूआई 401 से ऊपर।इस स्थिति में प्रशासन को ऐसे आपातकालीन कदम उठाने होते हैं जो वायु प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों को अस्थायी रूप से रोक दें या सीमित कर दें।चरण-३ में प्रमुख प्रतिबंध और उपाय इस प्रकार हैं-(1)निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध: दिल्ली,नोएडा,गुरुग्राम,गाज़ियाबाद और फरीदाबाद में सभी बड़े निर्माण कार्य,जैसे सड़क, पुल, मेट्रो, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स आदि,पर रोक लगा दी जाती है।केवल आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाएं (जैसे अस्पताल, रेलवे,मेट्रो सुरक्षा परियोजनाएं) को ही अनुमति होती है।रियल एस्टेट और निजी बिल्डिंग निर्माण गतिविधियां बंद रहती हैं।(२)ईंट भट्ठों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर यूनिट्स का संचालन बंद-सभी स्टोन क्रशर यूनिट्स और हॉट मिक्स प्लांट बंद कर दिए जाते हैं ताकि धूल और सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन रोका जा सके।(३)वाहनों की निगरानी और प्रतिबंध:पुराने डीज़ल वाहनों (10 वर्ष से पुराने) और पेट्रोल वाहनों (15 वर्ष से पुराने) का संचालन प्रतिबंधित हो जाता है।दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और बीएस -IV डीज़ल वाहनों की एंट्री बंद हो जाती है सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन देने और कारपूलिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए जाते हैं।(4) औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण:केवल स्वीकृत ईंधन से चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति रहती है।अन्य सभी इकाइयां, जो कोयला, डीज़ल, या गैर-मानक ईंधन का प्रयोग करती हैं, उन्हें तत्काल बंद करने के आदेश जारी होते हैं।(5)सड़क सफाई और जल छिड़काव: स्थानीय निकायों को सड़कों की यांत्रिक सफाई और धूल जमाव कम करने के लिए नियमित वाटर स्प्रिंकलिंग करने के आदेश दिए जाते हैं। नगर निगम और पीडब्लूडी टीमें २4 घंटे सक्रिय रखी जाती हैं ताकि धूल जमा न हो।(६) खुली जलाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध- कूड़ा, पत्ते, प्लास्टिक या किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के खुले में जलाने पर पूर्ण रोक लगाई जाती है।उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान होता है। (7) स्कूलों और कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश:बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में खेलकूद गतिविधियां निलंबित की जाती हैं।कुछ मामलों में स्कूलों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की सलाह दी जाती है।सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जाती है (8) जागरूकता और स्वास्थ्य परामर्श:स्वास्थ्य विभागनागरिकों को मास्क पहनने, बाहरी गतिविधियों से बचने और चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह जारी करता है।अस्पतालों में श्वसन काउंटर और आपातकालीन श्वसन सेवाएं सक्रिय की जाती हैं।ग्राप के अंतिम चरण।

अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि धरती बची तो सब बचा, दिल्ली- एनसीआर का प्रदूषण केवल हवा में धूल या धुआं नहीं है, यह उस असंतुलित विकास की चेतावनी है जो पूरी मानवता को खतरे में डाल रहा है। यदि हम आज भी नहीं चेते, तो कल सांस लेने की कीमत ऑक्सीजन सिलिंडर से चुकानी होगीइसलिए यह समय है जब भारत सहित पूरी दुनिया को पर्यावरण सुरक्षा के नियमों का कठोर पालन करना चाहिए। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और हरित पर्यावरण, ये किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समूची मानव सभ्यता की साझा विरासत हैं। यदि धरती बचेगी, तो ही मानवता बचेगी; और यदि प्रकृति स्वस्थ होगी, तभी विकास सार्थक होगा।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

जोड़ों की कट-कट और दर्द का रहस्य और उसका आयुर्वेदिक समाधान

कभी झुकने पर कट-कट की आवाज, बैठने पर घुटनों में दर्द, या सुबह उठते ही कमर और गर्दन में जकड़न महसूस होती है? तो समझिए — शरीर आपको संधि दोष (Joint Imbalance) का संकेत दे रहा है!

कारण क्या है? आयुर्वेद के अनुसार, यह सब "वात दोष" के बढ़ने से होता है। जब वात असंतुलित हो जाता है, तो वह जोड़ों के स्नेह (lubrication) को सुखा देता है — यही कारण है कि शरीर में कट-कट, दर्द और अकड़न महसूस होती है।

लक्षण

1. कमर, गर्दन और घुटनों में दर्द
2. शरीर झुकाने पर आवाज आना
3. चलने-फिरने में जकड़न
4. सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में जलन या कमजोरी
5. थकान या कमजोरी महसूस होना

आयुर्वेदिक दवा और उपाय

1. योगराज गुग्गुल वात दोष को शांत करता है, संधियों में स्नेह (oiliness) बढ़ाता है।

सेवन विधि 2-2 गोली दिन में दो बार गुनगुने पानी से भोजन के बाद।

2. महारास्नादि काढ़ा नसों और जोड़ों की जकड़न को दूर करता है, रक्तसंचार सुधरता है।

सेवन विधि 2 चम्मच काढ़ा बराबर गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार।

3. अश्वगंधा चूर्ण + शुद्ध शिलाजीत यह

संयोजन जोड़ों को मज़बूती और नई ऊर्जा देता है।

सेवन विधि 1 चम्मच अश्वगंधा + 1 चुटकी शिलाजीत, दूध के साथ रात में सोने से पहले।

4. संधिवात तेल या महाबल तेल से मालिश रोज़ सुबह-शाम हल्के हाथों से दर्द वाले स्थान पर 10 मिनट तक मालिश करें। फिर हल्का गुनगुना पानी से स्नान करें।

भोजन और जीवनशैली

1. ठंडी चीज़ें (ठंडा पानी, बर्फ, ठंडी दही) से बचें।
2. रोज़ हल्का व्यायाम करें — सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, भुजंगासन लाभकारी हैं।
3. भोजन में मेथी, लहसुन, तिल का तेल, गुनगुना दूध शामिल करें।
4. देर रात जागना और तनाव दोनों से बचें।

विशेष घरेलू नुस्खा

मेथी दाना + हल्दी + अजवाइन

इन्हें बराबर मात्रा में पीसकर रोज़ 1 चम्मच गुनगुने पानी से लें। इससे जोड़ों में तेलीयता बढ़ती है और दर्द में प्राकृतिक आराम मिलता है।

आयुर्वेद कहता है — "जहाँ स्नेह है, वहाँ स्थिरता है।" इसलिए शरीर को तेल, विश्राम और सही आहार दें। कट-कट की आवाज़ भी शांत होगी और जीवन फिर से लचीला और स्फूर्तिदायक बनेगा।

आयुर्वेद अपनाएं स्वस्थ जीवन पाएं....

वेरिकोस वेन्स

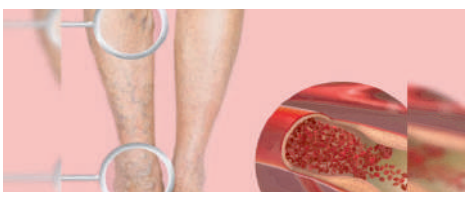

ज्यादातर खड़ा रहने या एक ही जगह ज्यादा समय बैठे रहने से वेरिकोस वेन्स की शिकायत होती है। जब रक्त का परिब्रमण ठीक से नही होता और नसों में दबाव बनता है तब रक्त जमने लगता है। और नसों के फूलने की वजह से कई बार दर्द भी उत्पन होता है।

घरेलू उपाय मालिश हेतुः- लसुन की 4 काली को खरल कर उतनी मात्रा में तिल के तेल में भुने ओर प्रभावित स्थान पर हल्के हाथों से मालिश करे। फिर आधा घंटे बाद कुनकुने पानी से स्वच्छ कर लीजिये ऐसा कुछ दिन नित्य करे।

ग्रहण करने हेतुः-

1. अर्जुन छाल 50ग्राम
2. अजमोथ 50ग्राम यदि अजमोथ ना मिले तो घर वाली अजवाइन चलेगी।
3. अलसी बीज 50 ग्राम

तीनो का चूर्ण बना कर एकत्रित करे और सुबह श्याम 1-1 चमच कुनकुने पानी के साथ कुछ दिन लीजिये उससे समस्या से निजात प्राप्त होगी।

दूसरा उपाय :- नारायण तेल प्रभावित स्थान पर मालिश करे दिन में 2 बार

प्रवाल पिष्टी 500mg शहद के साथ सुबह शाम ग्रहण करे।

परहेजः-

1. नमक कम,
2. तैलीय आहार और ठंडे पदार्थ ना के बराबर,
3. एडी वाले चपल सैंडल बूट वर्जित है।
4. हरि सब्जी का सेवन बढ़ा दीजिये
5. सुपाच्य भोजन करे।
6. साइकिलिंग, जॉगिंग, पैदल सैर करना दिनचार्य में जोड़े।

मूंगफली (Peanuts) कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में काफी मददगार होती है, लेकिन सही मात्रा और तरीका ज़रूरी है

आइए इसे सरल और वैज्ञानिक रूप से समझते हैं।

1. मूंगफली और कोलेस्ट्रॉल का संबंध मूंगफली में मोनोअनसेचुरेटेड (MUFA) और पॉलीअनसेचुरेटेड (PUFA) फैटी एसिड होते हैं —
1. ये वही अच्छे फैट हैं जो LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) को घटाते हैं और HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ाते हैं।
2. मूंगफली में नियासिन, विटामिन E, और प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं जो धमनियों में फैट जमने से रोकते हैं।
3. यदि मूंगफली भुनी हुई या उबली हुई (बिना नमक व तेल) खाई जाए तो यह दिल के लिए बहुत लाभदायक है।

2. सही मात्रा और तरीका

प्रकार	मात्रा	तरीका
1. मूंगफली	25–30 ग्राम (लगभग एक छोटी मुट्ठी)	दिन में 1 बार, खासकर दोपहर या शाम के नाश्ते में
2. मूंगफली का मक्खन	1 चम्मच	बिना शक्कर / बिना हाइड्रोजेनेटेड तेल वाला चुनें
3. तली या नमकीन मूंगफली	नहीं	इससे नमक और ट्रांसफैट बढ़ते हैं

3. कौन-से नट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने में और भी असरदार हैं

नट्स	विशेष लाभ
1. बादाम	LDL घटाता है, HDL बढ़ाता है, वजन नियंत्रित रखता है
2. अखरोट	ओमेगा-3 फैटी एसिड से समृद्ध – हृदय रोगों का खतरा घटाता है
3. पिस्ता	ट्राइग्लिसराइड्स और LDL दोनों कम करता है
4. काजू	सीमित मात्रा में (5–6) ठीक है, पर ज़्यादा न लें
5. अलसी के बीज (Flax seeds)	शाकाहारी ओमेगा-3 स्रोत, बहुत प्रभावी

4. सावधानियाँ नट्स कैलोरी-dense होते हैं —
1. ज़्यादा मात्रा में लेने से वजन बढ़ सकता है।
2. यदि ब्लड शुगर भी थोड़ा ऊँचा है, तो नमकीन/हनी-रोस्टेड वेरायटी न लें।
3. हमेशा कच्चे या हल्के भुने नट्स ही चुनें।
5. सुझावित संयोजन (Cholesterol Control Mix)

सुबह खाली पेट या नाश्ते के बादः

1. 5 बादाम (भिगोए हुए, छिलके उतारे हुए)
2. 1 अखरोट
3. 1 चम्मच अलसी के बीज (भुने)
4. 10 मूंगफली के दाने

यह संयोजन रोज़ाना लेने से 2–3 महीनों में LDL और ट्राइग्लिसराइड दोनों घटते देखे गए हैं।

एक क्रांतिकारी अध्ययन से पता चला है कि मैग्नीशियम (Magnesium) की सप्लीमेंटेशन (पूरक सेवन) से सिर्फ 7 दिनों में अवसाद (डिप्रेशन) को उलटने में मदद मिल सकती है

शोधकर्ताओं ने पाया कि जब शरीर में मैग्नीशियम का स्तर सामान्य किया जाता है, तो यह मूड (मनःस्थिति) को तेजी से सुधारता है, चिंता को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

मैग्नीशियम मस्तिष्क रसायन (Brain Chemistry) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है — यह ब्यूरोट्रांसमीटरों (Neurotransmitters) को नियंत्रित करता है जो हमारे मूड, तनाव प्रतिक्रिया और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करते हैं।

इस आवश्यक खनिज की कमी को डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी (Anxiety) की अधिकता से जोड़ा गया है, जिससे यह साबित होता है कि इसका सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय हो सकता है।

पारंपरिक एंटीडिप्रेसेंट दवाओं के विपरीत, मैग्नीशियम प्राकृतिक रूप से कार्य करता है, और

यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बिना किसी कठोर साइड इफेक्ट के समर्थन देता है।

मैग्नीशियम से भरपूर आहार या सप्लीमेंट को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से कम मूड, तनाव और मानसिक थकान जैसी समस्याओं से तेज़ और सुरक्षित राहत मिल सकती है।

यह अध्ययन इस बात पर ज़ोर देता है कि पोषण (Nutrition) मानसिक स्वास्थ्य में कितना महत्वपूर्ण है — और कैसे एक अकेला खनिज भी हमारे भावनात्मक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य (Emotional & Cognitive Well-being) पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

"नागरमोथा चूर्ण – पेट, त्वचा और बालों का सर्वश्रेष्ठ डिटॉक्स फॉर्मूला"

क्या आप जानते हैं कि नागरमोथा (Cyperus rotundus) को आयुर्वेद में "सर्वरोगहर औषधि" कहा गया है?

यह एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो शरीर के भीतर के विषाक्त तत्वों (toxins) को निकालकर शरीर को हल्का, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती है।

नागरमोथा चूर्ण के प्रमुख लाभ (Benefits of Nagarmotha Churna):

1. पाचन तंत्र का रखवाला:

यह गैस, अपच, पेट दर्द, और भूख की कमी जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है।

पेट की सूजन और जलन को शांत करता है।

2. बुखार और संक्रमण में राहत:

नागरमोथा में ज्वरनाशक (Antipyretic) गुण होते हैं — यह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है।

3. त्वचा की चमक बढ़ाने में सहायक:

रक्त को शुद्ध करता है और चेहरे पर आने वाले मुहांसों व दाग-धब्बों को दूर करता है।

4. बालों के झड़ने में लाभकारी:

बालों की जड़ों को मज़बूत करता है और रूसी या डैंड्रफ को कम करता है।

5. वजन घटाने में सहायक:

यह शरीर की अतिरिक्त चर्बी को गलाने में मदद करता है और मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है।

नागरमोथा चूर्ण बनाने की विधि (Preparation Method):

सामग्री:

सूखे नागरमोथा के कंद (root) – 500 ग्राम

विधि:

1. नागरमोथा की जड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाएँ।
2. सूखने के बाद उन्हें बारीक पीस लें।
3. महीन छलनी से छानें और काँच की बोतल में भरकर रखें।
4. यह चूर्ण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।

उपयोग विधि (How to Use):

पाचन हेतु: 2–3 ग्राम नागरमोथा चूर्ण गुनगुने पानी के साथ दिन में दो बार लें।

त्वचा हेतु: चूर्ण में गुलाबजल या नींबू रस मिलाकर लेप बनाकर चेहरे पर लगाएँ।

बालों हेतु: नारियल तेल में मिलाकर सिर पर हल्के हाथों से मालिश करें।

Q: क्या आपने कभी पेट की जलन या भारीपन के लिए नागरमोथा चूर्ण का उपयोग किया है?

A: अगर हाँ, तो बताइए आपको इसका कौन-सा फायदा सबसे ज़्यादा महसूस हुआ?

लिवर रिकवरी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक जड़ी-बूटियाँ और भारतीय सुपरफूड्स

परिचय (Introduction) लिवर सर्जरी, कैंसर या किसी गंभीर संक्रमण के बाद शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में आहार और औषधीय पौधों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली — आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा — में ऐसी अनेक जड़ी-बूटियाँ हैं जो लिवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने (Regenerate) और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने (Detoxify) में मदद करती हैं।

आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों (2023–2025) ने भी इन जड़ी-बूटियों के Antioxidant, Anti-inflammatory और Hepatoprotective गुणों की पुष्टि की है।

1. हल्दी (Turmeric / Curcuma longa), मुख्य सक्रिय तत्वः Curcumin, वैज्ञानिक तथ्यः "Journal of Hepatology" (2024) के अनुसार, Curcumin लिवर कोशिकाओं में होने वाले DNA Damage को कम करता है। यह Liver Enzymes (ALT, AST) को नियंत्रित रखता है और सूजन घटाता है।

उपयोग विधिः दिन में 1 कप गर्म हल्दी वाला दूध (Golden Milk) या 500 mg का Curcumin Supplement (डॉक्टर की सलाह से)

2. आंवला (Indian Gooseberry / Emblica officinalis) मुख्य तत्वः Vitamin C, Polyphenols, Gallic acid, लाभः आंवला लिवर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। "National Institute of Nutrition, Hyderabad" के शोध (2023) में पाया गया कि यह Fatty Liver और Post-surgery Inflammation को कम करता है।

सेवन तरीकाः सुबह खाली पेट 20–30 ml आंवला रस या 1–2 ताजे आंवले का सेवन प्रतिदिन

3. गिलोय (Tinospora cordifolia) आयुर्वेद में नामः Amrita (अमृत) — क्योंकि यह शरीर को दीर्घायु और रोगमुक्त बनाती है। आधुनिक दृष्टिः इसमें Cordifolioside A नामक तत्व होता है जो लिवर की Detoxification Enzymes को सक्रिय करता है। "Phytomedicine Journal" (2024) के अनुसार, यह Liver Fibrosis को रोकने में सहायक है।

सेवन तरीकाः प्रतिदिन 15 ml गिलोय रस (खाली पेट) या गिलोय की ताजा डंडी को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर सेवन करें।

4. अलसी के बीज (Flax Seeds) मुख्य तत्वः Omega-3 Fatty Acids, Lignans नवीनतम शोधः American Liver Foundation (2025) ने बताया कि अलसी के Omega-3 फैटी एसिड लिवर की कोशिकाओं में Fat Deposition को घटाते हैं और Regeneration Rate बढ़ाते हैं।

सेवन तरीकाः 1–2 चम्मच भुनी हुई अलसी पाउडर सलाद या दही में मिलाकर।

5. नीम (Neem / Azadirachta indica) मुख्य गुणः Antibacterial, Antiviral, Detoxifying वैज्ञानिक प्रमाणः Indian Journal of Clinical Biochemistry (2024) ने बताया कि नीम लिवर में Toxin Load कम करता है और Bile Flow को सुधारता है।

सेवनः सप्ताह में 3 दिन सुबह 2–3 नीम की कोमल पत्तियाँ चबाना या उनका काढ़ा लेना।

6. भृंगराज (Bhringraj / Eclipta alba) आयुर्वेदिक उपयोगः लिवर टॉनिक और हेपेटाइटिस उपचार में प्रमुख।

आधुनिक शोधः Journal of Ethnopharmacology (2023) के अनुसार, भृंगराज का अर्क लिवर की कोशिकाओं में Protein Synthesis को बढ़ाता है और विषाक्त दवाओं के दुष्प्रभाव से बचाता है।

सेवनः भृंगराज रस या पाउडर (½ चम्मच सुबह-शाम, डॉक्टर की सलाह से)

7. शहद और तुलसी का संयोजन (Honey + Tulsi) लाभः लिवर के लिए प्राकृतिक Anti-inflammatory Detox Mix रक्त को शुद्ध करता है और Liver Enzymes को स्थिर रखता है।

उपयोग तरीकाः सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद में 3–4 तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर सेवन करें।

2024–2025 की नई प्रगतियाँ (Latest Developments)

1. Nutraceutical Blends: आयुष मंत्रालय ने Curcumin + Amla Extract + Giloy Capsule जैसे Hepato-protective Supplements को क्लिनिकल ट्रायल्स में अनुमोदन दिया है।

2. AI-based Herb-Response Tracking: अब मरीजों के Liver Enzyme Patterns को AI मॉनिटरिंग से ट्रैक किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कौन-सी जड़ी-बूटी किस व्यक्ति के लिए सबसे प्रभावी है।

3. Plant-derived Nano-formulations: IIT-Delhi और IISc Bengaluru के वैज्ञानिकों ने Curcumin और Giloy के Nano-formula Capsules बनाए हैं जो दवा की जैवउपलब्धता (bioavailability) को 4 गुना बढ़ाते हैं।

लिवर की रिकवरी एक संयम, अनुशासन और प्राकृतिक चिकित्सा का समन्वय है। आधुनिक विज्ञान अब यह मान चुका है कि आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ और भारतीय सुपरफूड्स लिवर को न केवल पुनर्जीवित करते हैं बल्कि उसे कैंसर, विषाक्त पदार्थों और सूजन से भी दीर्घकालीन सुरक्षा देते हैं।

प्रकृति की शक्ति + आधुनिक चिकित्सा = सम्पूर्ण लिवर स्वास्थ्य।

लिवर सर्जरी के बाद लिवर कैसे दोबारा विकसित (Regenerate) होता है और स्वस्थ रहने के लिए क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?

लिवर का पुनःविकास (Regeneration) — एक अद्भुत जैविक चमत्कार मानव शरीर का लिवर (यकृत) एकमात्र ऐसा अंग है जो अपने कटे या क्षतिग्रस्त हिस्से को फिर से विकसित (Regrow) कर सकता है। यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति के लिवर का एक हिस्सा — जैसे कि 22% — सर्जरी से हटाया जाता है, तो शेष लिवर कोशिकाएँ (Liver Cells) स्वतः सक्रिय होकर नया ऊतक (tissue) बना लेती हैं।

पुनःविकास की वैज्ञानिक प्रक्रिया

1. कोशिकाओं का सक्रिय होना (Cell Activation) सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद शेष लिवर की कोशिकाएँ तेजी से विभाजित (divide) होने लगती हैं।
2. यह प्रक्रिया शरीर के रोग प्रतिरोधक संकेतों (immune signals) और growth factors से संचालित होती है।

2. विकास हार्मोन और प्रोटीन की भूमिका शरीर में कुछ विशेष तत्व –

1. Hepatocyte Growth Factor (HGF)
2. Epidermal Growth Factor (EGF)
3. **Interleukin-6 (IL-6)**

इनकी सहायता से नई कोशिकाएँ बनती हैं, डीएनए की मरम्मत होती है और नए रक्त वाहिकाएँ (blood vessels) विकसित होती हैं।

3. रक्त संचार का पुनर्गठन (Vascular Remodeling) लिवर में दो मुख्य रक्त स्रोत होते हैं — Hepatic Artery और Portal Vein। जब लिवर पुनः बढ़ता है, तो इनके माध्यम से रक्त प्रवाह भी अपने नए आकार के अनुरूप बन जाता है।

4. समय सीमा (Time Frame) लगभग 4 से 6 हफ्तों में लिवर अपने हटाए गए हिस्से का अधिकांश भाग पुनः बना लेता है। 2 से 3 महीनों में उसकी कार्य क्षमता (Functionality) लगभग सामान्य हो जाती है।

सर्जरी के बाद जीवनशैली और आहार संबंधी सावधानियाँ

1. आहार (Dietary Care) स्वस्थ और पौष्टिक भोजन लिवर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को तेज़ करता है।

क्या खाएँ:

1. उच्च प्रोटीन वाला भोजनः दालें, पनीर, अंडे का सफेद भाग, सोया, मछली, अंकुरित अनाज।
2. एंटीऑक्सीडेंट फूड्सः आंवला, हल्दी, पपीता, पालक, गाजर, टमाटर, हरी सब्ज़ियाँ।
3. स्वस्थ वसा (Good Fats): अखरोट, अलसी के बीज, जैतून का तेल, एवोकाडो।
4. पर्याप्त पानीः दिन में 2.5–3 लीटर तक (डॉक्टर की सलाह के अनुसार)।

क्या न खाएँ:

1. तली-भुनी, अत्यधिक मसालेदार या प्रोसेस्ड चीज़ें
2. शराब, सॉफ्ट ड्रिंक/कोल्ड ड्रिंक्स, /फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, गुटखा, पान मसाला,
3. अत्यधिक चीनी या मैदे से बने पदार्थ
4. अनावश्यक दवाइयाँ या दर्दनिवारक (बिना डॉक्टर की सलाह के)

2. शारीरिक गतिविधियाँ (Physical Activity)

1. ऑपरेशन के बाद पहले 6–8 हफ्तों तक भारी वस्तु उठाने या झुकने से बचें।
2. हल्की सैर (walk) और दीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज धीरे-धीरे शुरू करें।
3. योगासन में अनुलोम-विलोम, भ्रामरी और श्वसन व्यायाम उपयोगी हैं।
3. मानसिक और भावनात्मक संतुलन (Mental Stability)
1. तनाव, चिंता और नींद की कमी से लिवर की रिकवरी धीमी पड़ती है।
2. ध्यान (meditation), सकारात्मक सोच और परिवार के साथ समय बिताना अत्यंत लाभकारी है।
3. हर दिन कुछ समय शांत वातावरण में गहरी साँस लेने की आदत बनाएँ।
4. चिकित्सकीय अनुशासन (Medical Follow-up)
1. डॉक्टर द्वारा सुझाई गई Targeted Therapy या Oral Medication का नियमित सेवन करें।
2. हर 2–3 महीने में Liver Function Test (LFT) और Ultrasound/CT Scan करवाते रहें।
3. संक्रमण (infection) से बचाव के लिए स्वच्छता और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें।

2024–2025 की नवीनतम चिकित्सकीय प्रगति

1. स्टेम-सेल आधारित उपचार (Stem-Cell Therapy) जापान और अमेरिका में चल रहे शोधों में यह सिद्ध हुआ है कि Stem Cells लिवर की पुनर्निर्माण गति को 30–40% तक बढ़ा सकती हैं।
2. एआई आधारित रिकवरी ट्रैकिंग (AI-Guided Recovery) अब स्मार्ट डिवाइस और एआई एल्गोरिद्म से मरीज के रक्त में लिवर एंज़ाइम्स व सेल ग्रोथ पैटर्न की निगरानी की जा रही है।
3. न्यूट्रिजेनोमिक आहार (Nutrigenomic Diet) वैज्ञानिक अब मरीज के जेनेटिक प्रोफाइल के अनुसार व्यक्तिगत आहार योजना बना रहे हैं जिससे सूजन (inflammation) कम हो और पुनःविकास तेज़ हो।

सारांश (In Summary) लिवर का पुनःविकास वास्तव में प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। यदि व्यक्ति डॉक्टर की सलाह, संतुलित आहार, मानसिक शांति और अनुशासित जीवनशैली अपनाए — तो लिवर बहुत ही तेजी से अपने सामान्य रूप में लौट आता है।

मरीजों के लिए यह एक प्रेरणादायक संदेश है कि — समय पर इलाज, आधुनिक तकनीक और सकारात्मक सोच से लिवर कैंसर से पूर्ण रूप से उबरना संभव है।

दिल्ली धमाका : किसी बड़ी साजिश का संकेत

चिंतन

राजधानी की सुरक्षा पर गहरे सवाल, स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक

दिल्ली के रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल में हुआ धमाका केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का संकेत है। यह घटना बताती है कि राजधानी जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह भी आतंकी या असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। बच्चों के बीच इस तरह की घटना असहनीय और भयावह है। सरकार को चाहिए कि जांच एजेंसियाँ तेजी से कार्रवाई करें और दोषियों को कड़ी सजा दें। साथ ही स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियाँ दोहराई न जाएँ। नागरिक सुरक्षा ही राष्ट्र की वास्तविक ताकत है।

- डॉ प्रियंका सौरभ

रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ धमाका पूरे देश को हिला गया। यह केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि संभवतः किसी बड़ी साजिश की कड़ी का संकेत है। देश की राजधानी में सुरक्षाबलों के स्कूल के पास इस तरह का विस्फोट होना न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी पर सवाल उठाता है, बल्कि इस बात की भी चेतावनी देता है कि आतंकी और विध्वंसकारी ताकतें अब भी सक्रिय हैं और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के मौके तलाश रही हैं।

यह धमाका रोहिणी सेक्टर-14 के सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल की दीवार के पास हुआ। स्थानीय लोगों ने सुबह करीब सात बजे के आसपास तेज धमाके की आवाज सुनी। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों और दुकानों के शीशे टूट गए, दीवार में छेद हो गया और क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। सौभाग्य से स्कूल बंद था, जिससे किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, यह बात राहत से ज्यादा चिंता का विषय है कि अगर यह घटना स्कूल खुलने के समय होती, तो बड़ी त्रासदी हो सकती थी।

दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच में सफेद पाउडर, तारों के टुकड़े और विस्फोटक पदार्थ के अंश मिले हैं, जिससे यह संभावना बलवती होती है कि धमाके में क्रूड बम या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें एक संदिग्ध युवक सफेद टी-शर्ट में क्षेत्र के आसपास घूमता दिखा। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म टेलीग्राम पर एक चैनल ने इस धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, जिसे बाद में खालिस्तानी समर्थक तत्वों से जोड़ा गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि जांच एजेंसियों ने नहीं की है, परंतु इससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि घटना के पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका हो सकती है।

दिल्ली देश की राजधानी है — यहाँ संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय स्थित हैं। ऐसे में इस तरह का विस्फोट होना गंभीर सुरक्षा चूक को दर्शाता है। यह तथ्य और भी चिंताजनक है कि धमाका सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ — यानी एक ऐसे संस्थान के पास, जो स्वयं देश की सबसे सशक्त अर्धसैनिक बल से जुड़ा हुआ है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सुरक्षा बलों की चौकी के पास ऐसी घटना हो सकती है, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है? दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रो-एक्टिव रणनीति अपनानी होगी — यानी घटना के बाद नहीं, बल्कि पहले से ऐसे संकेतों को पहचानना और निष्क्रिय करना होगा।

ऐसी घटनाएँ केवल भौतिक क्षति नहीं करतीं, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं। राजधानी में इस तरह का विस्फोट आम नागरिकों के मन में यह धारणा मजबूत करता है कि आतंकवादी ताकतें किसी भी समय, कहीं भी वार कर सकती हैं। स्कूल के बाहर हुआ धमाका बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के मनोबल को प्रभावित करता है। बच्चे जिन स्कूलों में शिक्षा लेने जाते हैं, अगर वे स्थान भी असुरक्षित महसूस होने लगें, तो यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

ऐसी घटनाओं के बाद राजनीतिक दलों की बयानबाज़ी शुरू हो जाती है — कोई इसे कानून-व्यवस्था की नाकामी बताता है तो कोई राजनीतिक साजिश कहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ किसी पार्टी या विचारधारा की नहीं होतीं, ये पूरी मानवता के खिलाफ होती हैं। इसलिए इस तरह के मामलों में राजनीतिक लाभ-हानि की सोच से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना समय की मांग है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जो केवल कागज़ी जांचों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस निवारक कदम सुनिश्चित करें।

आज आतंकवादी और असामाजिक तत्व पारंपरिक तरीकों से हटकर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया और डार्क वेब का उपयोग कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी लेने की कोशिश इसी प्रवृत्ति का हिस्सा है — जिससे आतंक फैलाना, भ्रम पैदा करना और जांच को भटकाना आसान हो जाता है। इसलिए अब सुरक्षा एजेंसियों को साइबर इंटेलिजेंस पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना फिजिकल सुरक्षा पर दिया जाता है। फर्जी संदेशों, हैकिंग नेटवर्क और डिजिटल फंडिंग की निगरानी जरूरी है।

हर बार जब कोई ऐसी घटना होती है, तो हम यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि सुरक्षा एजेंसियाँ सब संभाल लेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आम नागरिक भी सुरक्षा तंत्र की पहली कड़ी हैं। संदिग्ध वस्तु, अनजान व्यक्ति या असामान्य गतिविधि पर नजर रखना और तत्काल पुलिस को सूचित करना — यह नागरिक कर्तव्य बनना चाहिए। सुरक्षा सिर्फ बंदूक और बुलेटप्रूफ जैकेट से नहीं आती, बल्कि सजग नागरिक चेतना से भी आती है।

भारत लंबे समय से सीमापार आतंकवाद का शिकार रहा है। कई बार राजधानी दिल्ली और अन्य महानगर आतंकी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। रोहिणी विस्फोट जैसी घटनाएँ यह याद दिलाती हैं कि हमारे शत्रु तंत्र हर समय सक्रिय हैं और देश की स्थिरता को अस्थिर करने के प्रयास में हैं। ऐसे में भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा नीति को और सुदृढ़ करना होगा — विशेषकर शहरी क्षेत्रों की खुफिया निगरानी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना आवश्यक है।

हर ऐसी घटना में निष्कर्ष आने में महीनों लग जाते हैं। जनता को समय-समय पर अपडेट देना जरूरी है ताकि अफवाहें न फैलें। सभी केंद्रीय और अर्धसैनिक संस्थानों के आसपास की सुरक्षा समीक्षा तत्काल की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर उग्रवादी संदेशों और चैनलों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिकों को सुरक्षा अभियान का भागीदार बनाना — स्कूलों और बाजारों में जागरूकता अभियान चलाना भी आवश्यक है। ऐसे मामलों पर सभी दलों को एक मंच से बयान देना चाहिए, ताकि दुश्मन यह न समझे कि देश अंदर से बँटा हुआ है।

दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में हुआ यह धमाका भले ही सौभाग्य से किसी बड़ी जनहानि का कारण नहीं बना, लेकिन यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आतंकवाद की चुनौती अब भी हमारे चारों ओर मौजूद है। यह केवल एक पुलिस केस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक एकता और नागरिक जिम्मेदारी से जुड़ा मामला है। जरूरत इस बात की है कि हम घटना को महज़ "एक धमाका" न मानें, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में लें — एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि लापरवाही की गुंजाइश अब नहीं बची।

राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैनिकों के कंधों पर नहीं टिकी होती, बल्कि हर नागरिक की सजगता और एकता में निहित होती है। अगर हम सभी मिलकर सतर्क रहें, जागरूक रहें और एकजुट रहें — तो कोई भी साजिश हमें तोड़ नहीं सकती।

राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन

गणतंत्र दिवस पर देश के रक्तदाताओं को मिलेगा सम्मान

डॉ.शंभू पंवार नई दिल्ली। राजधानी की प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था हिंदी उर्दू अदबी संगम द्वारा गणतंत्र दिवस २०२६ के उपलक्ष्य में "राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान समारोह २०२६" का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह का उद्देश्य देशभर के रक्तदाताओं के निःस्वार्थ योगदान का सम्मान करना और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश देना है। संस्था के अध्यक्ष डॉ. सैयद अली अख्तर नकवी ने बताया कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली में निःशुल्क रूप से आयोजित किया जाएगा। चयनित रक्तदाताओं को एक विशेषज्ञ चयन समिति द्वारा उनके रक्तदान की संख्या और सामाजिक योगदान के आधार पर चुना जाएगा। समारोह में सम्मानित रक्तदाताओं को मोमेंटो एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि १५ दिसम्बर २०२५ निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संस्था द्वारा रक्तदाताओं के सम्मान में एक विशेष "रक्तदाता फ़ोटो युक्त कैलेंडर २०२६" प्रकाशित करने की योजना भी है, जिसमें देशभर के प्रमुख रक्तदाताओं की प्रेरणादायक झलक प्रस्तुत की जाएगी। हिंदी उर्दू अदबी संगम ने देशवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं और रक्तदान जैसे पुण्य कार्य में सहभागी बनकर समाज को जीवनदान देने की इस पवित्र मुहिम को सफल बनाएं।

चांदनी चौक-धमाके पर एनसीपी के डॉ यादव (ओड़िशा) का कड़ा प्रहार: 'राष्ट्र-विरोधी साजिश का काला अध्याय, अमित शाह से तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग!'

डॉ. राजकुमार यादव का धमाकेदार बयान: निर्दोषों की शहादत पर आक्रोश, पीड़ितों के लिए तुरंत मुआवजा और सुरक्षा पुनर्मूल्यांकन की जोरदार अपील — 'दोषी सरगनाओं को बख्शेंगे नहीं, न्याय का कठोर प्रारूप तैयार हो!'

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला: दिल्ली की हृदयस्थली चांदनी चौक और ऐतिहासिक लाल किले के पास आज 10 नवंबर की शाम को हुए भयावह कार बम विस्फोट ने पूरे राष्ट्र को सदमे में डाल दिया है। इस नृशंस घटना में कम से कम 13 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जबकि २० से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए और शवांश मंदिर के द्वार तक बिखर गए, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने इस कायरतापूर्ण हमले को 'राष्ट्र की एकता पर सीधा प्रहार' करार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से युद्धस्तर पर कार्रवाई की तीव्र मांग की है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक (बिहार विधानसभा २०२५), स्टार प्रचारक एवं ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने इसे 'राष्ट्र-विरोधी साजिश का काला अध्याय' बताते हुए दोषियों को कठोरतम सजा देने का संकल्प जताया।

प्रारंभिक जांच में आतंकवादी साजिश का कोण जांचा जा रहा है, और मामला एंटी-टेरर लॉ के तहत दर्ज किया गया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'कायराना कृत्य' बताते हुए दोषियों को बख्शने की कसम तोड़ी है, लेकिन एनसीपी का मानना है कि यह केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि त्वरित कार्रवाई का समय है। डॉ. यादव ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि 'यह विस्फोट नहीं, राष्ट्र-हृदय पर चोट — दोषियों को सलाखों के पीछे धकेलो!'

एनसीपी ओड़िशा से जारी बयान में डॉ. राजकुमार यादव ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "यह केवल एक विस्फोट नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता, शांति और भाईचारे पर सीधा हमला है। मारे गए 13 निर्दोषों की शहादत हमें झकझोर रही है, जबकि घायलों का दर्द हमें और मजबूत बना रहा है। मैं उनके परिवारों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। दिवंगत आत्माओं को शत-शत श्रद्धांजलि!"

डॉ. यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए जोरदार अपील की - "हमें पूर्ण विश्वास है कि एनआईए, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल युद्धस्तर पर कार्रवाई करेंगे। इन राष्ट्र-विरोधी तत्वों और उनके सरगनाओं को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम समय में इन्हें न्याय के सबसे कठोर कठघरे में लाया जाए — चाहे वे कहीं भी छिपे हों!" उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी साजिशें देश की प्रगति को बाधित नहीं कर सकतीं, लेकिन सरकार को अब 'शब्दों से आगे कदम' उठाने होंगे।

तत्काल मांगें - मुआवजा, पुनर्वास और सुरक्षा सुधार — 'दिल्ली की सुरक्षा में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं!'

एनसीपी ने केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। डॉ. यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "पीड़ित परिवारों को तुरंत 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित हों, और प्रभावित परिवारों का स्थायी पुनर्वास हो। चांदनी चौक और लाल किला क्षेत्र के व्यापारियों को हुए नुकसान का आकलन कर तत्काल उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।" बाजार आज बंद रहा, जिससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ।

इसके अलावा, डॉ. यादव ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का 'तत्काल पुनर्मूल्यांकन' करने की मांग की: "सीसीटीवी नेटवर्क को मजबूत करें, खुफिया तंत्र को सतर्क रखें और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाएं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए।

दिल्लीवासियों से अपील है कि 'शांति की ढाल बनें, अराजकता के मंसूबों को चूर करें!'

डॉ. यादव ने दिल्ली के लाखों नागरिकों से भावुक अपील की: "शांति, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को कायम रखें। अफवाहों से बचें और अराजक तत्वों के जाल में न फंसें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन मंसूबों को विफल करें और एक मजबूत भारत का निर्माण करें। हम सभी आपके साथ हैं — न्याय और सुरक्षा के लिए लड़ते रहेंगे।"

यह बयान न केवल एनसीपी की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि बिहार चुनावों के बीच पार्टी की राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रियता को भी रेखांकित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा बहस को तेज करेगी, और एनसीपी जैसी पार्टियां इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगी। फिलहाल, जांच जारी है, और राष्ट्र एकजुट होकर इस घाव को भरने को तैयार है। जय हिंद! जय भारत!

जरूरतमंदों को समर्पित उपकार फाउंडेशन का आगामी 22 नवंबर को वार्षिकोत्सव

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 22 नवंबर को उपकार फाउंडेशन (पंजी) का वार्षिकोत्सव पूरे धूमधाम एवं हर्षोल्लास के माहौल में लाजपत भवन लाजपत नगर में मनाया जाएगा। जिसमें जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन एवं डायरेक्टर डॉक्टर रेखा बांका ने बताया कि इस संबंध में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है,जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार किया गया हैं। इस वार्षिकोत्सव में दीप प्रज्वलन, रंगारंग कार्यक्रम अतिथियों का उद्बोधन एवं जरूरतमंदों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाना स्थापित परंपरा का हिस्सा रहा है।

उपकार फाउंडेशन कई दशकों से जरूरतमंद एवं होनहार छात्रों, विकलांगों,विधवाओं एवं समाज के कमजोर वर्ग की लगातार मदद करता आ रही है। यही कारण है कि आज यह फाउंडेशन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समय-समय पर जब भी कोई आपदा विपदा समाज और राष्ट्र पर आती है तो उपकार फाउंडेशन यथा संभव आर्थिक सहयोग एवं अन्य तरह का सहयोग देकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती रही हैं।आर्थिक रूप से कमजोर होनहार छात्रों को यह संस्था नियमित रूप से ₹2000 का स्कॉलरशिप देती है। आज इस संस्था के सहयोग से कई होनहार बच्चे देश में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इस संस्था की यह महान उपलब्धि है,जिस कारण संस्था से लोग लगातार जुड़ने जा रहे हैं और एक कारवां बनता जा रहा है। डॉक्टर रेखा बांका का जीवन जन सेवा का अद्भुत मिसाल है। जरूरतमंद एवं कमजोर लोगों की सेवा उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है।इस तरह की संस्थाओं के बदौलत ही आज समाज निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।उपकार फाउंडेशन का आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि यह अन्य के लिए अनुकरणीय भी है।

विकास नगर मुख्य मार्ग, विधानसभा विकास पुरी के क्षेत्र में गहरे सीवर का काम चल रहा है, बिना सुरक्षा उपायों के

जय भगवान अग्रवाल

पिछले छह महीने से, विकास नगर मुख्य मार्ग, विधानसभा विकास पुरी के क्षेत्र में गहरे सीवर का काम चल रहा है, बिना सुरक्षा उपायों के, बिना कोई बैरिकेडिंग लगाए, कोई बाड़ नहीं, रात में कोई रोशनी नहीं।

लगभग दो किलोमीटर लंबा बाजार वार्ड 109, जिसमें 66000 मतदाता और लगभग 3'50'000 आबादी है।

अग्निशमन सेवा वाहन, एम्बुलेंस, दूध के टैंकरों को कोई रास्ता नहीं देने का ठेका है, लगभग छह गहरे गड्ढे हैं, स्कूल जाने वालों के लिए कोई सावधानी नहीं, स्कूल के गेट पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

ठेके, जेई, एई और कार्यकारी अभियंता और आपातकालीन नंबरों का विवरण दिखाने वाले कोई साइन बोर्ड नहीं हैं। मशीन ने रात में फाइबर शेड और बिजली कनेक्शन के तार को तोड़ दिया, मैंने उन्हें ठीक करवाया, कोई भी व्यक्ति पर्यवेक्षक से संपर्क नहीं कर सकता। अगर कोई आपात स्थिति हो, तो कार्यरत कर्मचारी पर्यवेक्षक से संपर्क करने में मदद नहीं कर रहे हैं अब बताए क्या करे यहां के 3,50,000 लोग ?

हर हादसा एक सवाल है — जवाब कौन देगा? [सड़कें खून से लाल, व्यवस्था बयान से सफेद]

दौर की सड़क पर बिखरा ख़ून और दिल्ली के आसमान में गूंजा धमाका — दो शहर, दो हादसे, लेकिन एक ही सच्चाई — कहीं कोई सुरक्षित नहीं। हर सुबह अब डर की दस्तक के साथ आती है। कभी सड़कें जाल बन जाती हैं, जहाँ ज़िंदगी हर मोड़ पर फिसलती है, तो कभी पुल अपनी ही नींव पर धोखा दे देते हैं। भीड़भरे बाज़ारों में मुस्कानें भी अब डर की आहट सुनती हैं, और बच्चों की हँसी में भी अनजानी चिंता घुली रहती है। न जाने कब कोई गाड़ी बेकाबू होकर मासूम ज़िंदगियों को कुचल दे, न जाने कब कोई पुल थककर ढह जाए, न जाने कब किसी उत्सव में ख़ुशियों के बीच बारूद की गंध फैल जाए। हर हादसे के बाद वही बयान, वही मुआवज़े, वही चुप्पी — और फिर वही लौटता हुआ डर। अब सच्चाई यही है — कहीं कोई सुरक्षित नहीं।

अब देश में सुरक्षा कोई हकीकत नहीं, बस आंकड़ों का छलावा बन गई है। रिपोर्टें दावे करती हैं कि अपराध घट रहे हैं, दुर्घटनाएँ कम हुई हैं — पर सच्चाई यह है कि ज़मीन पर इंसान का भरोसा हर दिन थोड़ा और टूटता जा रहा है। जब शासन की प्राथमिकता सुरक्षा नहीं, बल्कि बयानबाज़ी की चमक बन जाए, तब हादसे नियति नहीं, व्यवस्था की नाकामी कहलाते हैं। सवाल यह नहीं कि गाड़ी किसकी थी या पुल किस ठेकेदार ने बनाया; सवाल यह है कि ज़िम्मेदारी आखिर तय कब होगी, जवाबदेही कब जागेगी, और इंसानियत अपने मलबे से कब उठेगी?

हर त्रासदी के बाद व्यवस्था का चेहरा अब पहचान में आने लगा है — बयानबाज़ी से सना हुआ, संवेदनहीन और यांत्रिक। "दोषियों पर सख़्त कार्रवाई होगी", "जांच कमेटी गठित की गई है", "मुआवज़ा घोषित किया गया है" — जैसे यही शब्द अब शासन की आत्मा और संवेदना दोनों बन गए हों। पर सच्चाई यह है कि इन बयानों के पीछे छिपी है एक गहरी बेफ़िक्री, एक निष्ठुर ठहराव। जब किसी बच्चे की सांसें थमती हैं, किसी माँ की गोद सूनी होती है, तो उस दर्द को 'मुआवज़े' की रकम से नहीं तोला जा सकता। लेकिन व्यवस्था ने दर्द को भी 'फाइल नंबर' बना दिया है।

आज हर सड़क पर डर है — और हर मोड़ पर लापरवाही का साया। दुर्घटनाओं की जड़ तेज़ रफ़्तार में नहीं, बल्कि सुस्त और बेपरवाह व्यवस्था में छिपी है। कहीं बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ट्रक दौड़ रहे हैं, कहीं बिना प्रशिक्षण के ड्राइवर जानों से खेल रहे हैं, और कहीं पुलिसकर्मी घूस के बदले ज़िम्मेदारी गिरवी रख चुके हैं। नतीजा — कोई मासूम सड़क पर कुचल जाता है, कोई परिवार बिखर जाता है, और व्यवस्था अपनी जगह अडिग खड़ी रहती है।

पुल गिरते हैं क्योंकि ईमानदारी की जगह रिश्वत ने नींव पकड़ी है; इमारतें ढहती हैं क्योंकि मंज़िलें अनुमति से नहीं, सांठगांठ और स्वार्थ से खड़ी हुई हैं। और हर बार वही रटा-रटाया जवाब — "जांच जारी है।" पर अफ़सोस, जांच भले जारी हो, न्याय अब भी लंबित है।

हकीकत यही है — सुरक्षा अब 'सुविधा' नहीं, बल्कि 'संघर्ष' बन चुकी है। अब आम आदमी को ज़िंदा रहने तक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है — सड़क पार करने से लेकर न्याय की चौखट तक। कानून का शिकंजा कमज़ोरों पर कसता है, मगर ताकतवरों के आगे ढीला पड़ जाता है। अगर किसी नेता या मंत्री की गाड़ी लाल बत्ती तोड़े, तो उसे "काफ़िला" कहा जाता है; वही गलती आम आदमी करे, तो वह "अपराधी" ठहराया जाता है। यही दोहरापन बताता है कि व्यवस्था की जड़ें कितनी सड़ चुकी हैं — जहाँ इंसाफ़ का तराज़ू झुक चुका है, और आम आदमी सिर्फ़ संघर्ष का पर्याय बन गया है।

समस्या सिर्फ़ ढाँचों या नीतियों की नहीं, हमारी सोच की जड़ता की है। अब हादसे खबर बनते हैं, संवेदना नहीं जगाते। लोग मदद से ज़्यादा कैमरे उठाते हैं, अधिकारी या नेता निरीक्षण से ज़्यादा बयान देते हैं, और मीडिया सच से ज़्यादा सनसनी बेचता है। वह समाज, जो कभी बदलाव की ताक़त था, अब बेबसी का प्रतीक बन चुका है। "क्यों बोलें? कुछ बदलता तो है नहीं..." — यह वाक्य आज की सबसे बड़ी त्रासदी है, जो बताता है कि हम सिर्फ़ पीड़ित नहीं, मौन दर्शक भी बन गए हैं।

पर क्या सचमुच कुछ नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है — अगर 'निलंबन' से आगे बढ़कर 'जवाबदेही' को अनिवार्य बनाया जाए। अगर हर ठेकेदार, हर अधिकारी, हर मंत्री यह जाने कि उसकी लापरवाही पर सिर्फ़ जांच नहीं, सज़ा तय होगी — तब न पुल ढहेगा, न सड़क खून से रंगेगी। बदलाव भाषणों से नहीं, इरादों और व्यवहार से आता है। और जब तक व्यवस्था यह नहीं समझती कि जनता उसकी 'प्रजा' नहीं, बल्कि साझेदार और अधिकार-धारी है — तब तक यह देश विकास के वादों के बीच, असुरक्षा के अंधेरे में भटकता रहेगा।

इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत अब विकास नहीं, इंसानियत की बहाली है। क्योंकि जब व्यवस्था बेदर्द हो जाती है, तो कानून बहरा पड़ जाता है और न्याय अपनी आँखों पर नहीं, आत्मा पर पट्टी बाँध लेता है। हमें यह समझना होगा कि हर दुर्घटना, हर हादसा सिर्फ़ एक खबर नहीं — एक चेतावनी है, एक सबक है। लेकिन अफ़सोस, हम हर सबक को उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं, जितनी जल्दी अगली त्रासदी दस्तक देती है। जब तक हम सीखने के बजाय सहने की आदत नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी हादसा आख़िरी नहीं होगा।

हर सांस अब असुरक्षा के साये में चल रही है — सड़कों पर, पुलों पर, भीड़ में और अकेलेपन में। डर अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अगर हमने अब भी अपनी संवेदनाएँ नहीं जगाईं, अगर हमने जवाबदेही की मांग नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें हमारे मौन और उदासीनता के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगी। देश तभी सुरक्षित होगा, जब हर नागरिक की जान, हर बच्चे की मुस्कान और हर पुल की नींव ईमानदारी से जुड़ी होगी। वरना हादसे बस तारीख़ें बदलते रहेंगे — और व्यवस्था हर बार वही पुराना वाक्य दोहराएगी: "जांच जारी है।"

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

संस्कार भारती की संविधान जागरूकता प्रतियोगिताओं में 500 विद्यार्थी शामिल हुए

डॉ. शंभू पंवार

नई दिल्ली। भारत के संविधान निर्माण के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में संस्कार भारती मथुरा द्वारा "संविधान जागरूकता अभियान" के अंतर्गत नो नवंबर को विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन कान्हा मारवन पब्लिक स्कूल मसानी में किया, जिसमें 45 स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कार भारती, ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सक्सेना, मार्गदर्शक शिव कुमार गुप्ता, अध्यक्ष अनूप माहेश्वरी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती रेखा माहेश्वरी तथा कान्हा मारवन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रमोद शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

'संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी' जैसे सामयिक और सार्थक विषय पर आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों की ओजस्वी अभिव्यक्ति ने एक सजग और संवेदनशील भावी नागरिक पीढ़ी का परिचय दिया। लगभग 100 प्रतिभागियों के वक्तव्य श्रोताओं को झकझोरने और प्रेरित करने वाले थे। दिल्ली से आए निर्णायक मंडल में मौसम विज्ञानी एवं साहित्यकार श्रीमती सुषमा सिंह तथा कानून विशेषज्ञ डॉ.अभिषेक गुप्ता शामिल रहे। उन्होंने छह घंटे चली प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की। संचालन संस्कार भारती मथुरा महानगर की साहित्य विभाग प्रमुख डॉ. विनीता गुप्ता ने किया। रंग भरो प्रतियोगिता में लगभग १०० विद्यार्थियों ने संविधान में निहित २२ चित्रों को अपनी कल्पना और रंगों से सजीव बनाया। वहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता में 150 विद्यार्थियों ने संविधान प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों पर अपने विचार लेखनीबद्ध किए।

कार्यक्रम में मुकेश खंडेलवाल की गरिमामय उपस्थिति ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्थाएँ महामंत्री भारत भूषण सिंघल, उपाध्यक्ष ह्रदेश शर्मा और कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल सिंघल ने संभालीं।सह महामंत्री चारु सिंघल सहित मनीष शोरावाला, श्याम खंडेलवाल, दिनेश चंद गोयल, रेनू शर्मा, विनीता निगम, माधुरी अग्रवाल, राज खंडेलवाल, मधुबाला गर्ग, रमनलाल गुप्ता, अनीता शर्मा, सीमा मिश्रा, कल्पना सारस्वत, उमा शर्मा, अनिल सोनी, विपिन खंडेलवाल, रुचि माहेश्वरी, विनीता राठी, मीरा अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल (एडवोकेट) तथा नरेन्द्र गोला ने भी कार्यक्रम की सफलता में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

श्रीव्यास पंचमी के अवसर पर श्रीरसिक अनन्य माल ग्रंथ की अप्रमाणिकता पर संतों ने डाला प्रकाश

कार्यक्रम में संतों व विद्वानों द्वारा किया गया "श्रीरसिक अनन्य माल की अप्रमाणिकता" ग्रंथ का विमोचन

परिवहन विशेष न्यूज

वृन्दावन। बाग बुंदेला क्षेत्र स्थित किशोर वन में विशाखा सखी के अवतार हरिव्यासी के आचार्य संत रसिक शेखर अनन्य शिरोमणि हरिराम व्यास महाराज का 515वां चतुर्दिवसीय प्राकट्योत्सव विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित सन्त-विद्वत सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए संत श्रीहरिप्रिय दास महाराज ने श्रीरसिक अनन्य मालर की अप्रमाणिकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य रखते हुए कहा कि इस ग्रंथ में महनीय महापुरुषों के चरित्रों के साथ उनकी गुरु परंपरा एवं अन्य अनेक उपद्रव किए गए हैं, जिससे इतिहास विकृत होता है। अपने आचार्य के उत्कर्ष को दिखाने के लिए दूसरे आचार्यों को नीचा दिखाना और अपने आचार्य का शिष्य घोषित करना इस ग्रंथ की मूल विषय वस्तु है, जो कि सर्वथा असत्य पर स्थापित है। इस ग्रंथ में सबसे बड़ी जो सत्य एवं अकल्पनीय वस्तु है, वह यह है कि इसे एक गौडीय संत द्वारा लिखित बताया गया है। जबकि यह एक काल्पनिक ग्रंथ है और जाली ग्रंथ जो किसी विद्वेषी के द्वारा गौडीय परंपरा ही नहीं श्रीनिंबार्क और श्रीवल्लभकुल के आचार्यों तक को श्रीहित हरिवंश का शिष्य घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि लगभग 10-15 ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर इस ₹श्रीरसिक अनन्य मालर की अप्रमाणिकता सिद्ध होती है जिसके प्रमाण में उन्होंने लगभग 70-80 हस्तलिखित पोथी एवं प्राचीन मुद्रित ग्रंथों की स्लाइड्स प्रस्तुत की। अकाट्य प्रमाणों के द्वारा उन्होंने इस ग्रंथ के जाली लेखक का नाम भी उजागर करते हुए कहा कि ₹श्रीहित हरिवंश अष्टकर जिसे कि प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित बताया जाता है, वह भी इसी लेखक की कुचेष्टा है एवं ₹श्रीव्यास वाणीर में 87 सखियों के अतिरिक्त जितनी भी सखियां जोड़ी गई हैं, वह भी इसी लेखक के द्वारा ऐतिहासिक छेड़छाड़ है। इसी लेखक ने ₹श्रीहित हरिवंश चरित्रर नामक ग्रंथ भी लिखा है। श्रीहरिप्रिय दास महाराज ने श्रीराधावल्लभीय ग्रंथों के ही अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर ₹श्री रसिक अनन्य मालर की अप्रमाणिकता सिद्ध की।

इससे पूर्व संतों व विद्वानों की सन्निधि में ₹श्रीरसिक अनन्य माल की अप्रमाणिकतार ग्रंथ का विमोचन किया गया।

संत-विद्वत सम्मेलन में श्रीमद्भागवत के प्रकांड विद्वान आचार्य नेत्रपाल शास्त्री, संत प्रवर रामानंद दास महाराज, प्रख्यात साहित्यकार ₹यूपी रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, आचार्य हेमकिशोर गोस्वामी, आचार्य चंद्रकिशोर गोस्वामी, आचार्य राजेश पाण्डेय, डॉ. राधाकांत शर्मा, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, पंडित जगदीश शास्त्री, योगेंद्र ब्रजवासी, पुंडरीक दास, प्रमुख समाजसेवी गोवर्धन दास अग्रवाल, महंत मंगल शरण दास शुक्ला, गोपाल शरण शर्मा, धर्मेश शर्मा, प्रो. गोपाल शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन डॉक्टर भागवत किशोर नांगिया ने किया।

किशोर वन के वरिष्ठ सेवायत आचार्य घनश्याम किशोर गोस्वामी एवं आचार्य जयकिशोर गोस्वामी ने समस्त सन्तों, विद्वानों व धर्माचार्यों का अंगवस्त्र, माल्यार्पण, चंदन एवं सुगंधित द्रव्य प्रदान कर सम्मान किया।

सरदार अमरबीर सिंह जी की अंतिम अरदास पर उनके पढ़ाए हुए लीडर और बच्चे हुए शामिल अर्पित की श्रद्धांजलि

गुरजीत कौर

सरदार अमरबीर सिंह सरकारी स्कूल में समाज विज्ञान (Social Science) के शिक्षक थे। वह अपने समय में सीबीएसई बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ अपने पिता श्री प्रताप सिंह जी के स्कूल में भी खाली समय में निःशुल्क पढ़ाया करते थे। कई प्रसिद्ध नेता अमरबीर सिंह के छात्र रहे हैं। शिक्षा की यह परंपरा आज भी फन वे लर्निंग एनजीओ के रूप में जारी है, जिसे उनकी बहू गुरजीत कौर चला रही हैं। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की और सेवानिवृत्ति के बाद वकालत को पूर्ण रूप से अपनाया।

वे जिला अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय — सभी स्तरों पर मुकदमे लड़ा करते थे और यहाँ भी गरीब लोगों के केस निःशुल्क लड़ा करते थे।

वे नेक कर्म करने और दूसरों की मदद करने की एक जीवंत मिसाल थे तथा अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

बच्चों के ग़लत फ़ैसले और परिवार की गिरती प्रतिष्ठा

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह

आजकल के बच्चों में एक खेदजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है जहाँ वे अपनी निर्णय क्षमता को इतना बढ़ा लेते हैं कि वह अपने माता-पिता की इज्जत और खानदान की आबरू को नजर अंदाज कर देते हैं। यह केवल उनकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि परिवार और समाज के लिए एक बड़ा संकट भी है। मां-बाप की इज्जत और परिवार की सामाजिक गरिमा ही उस संस्कृति की नींव होती है जिससे हम संवारते हैं। जब बच्चे अपने फ़ैसलों को अपनी स्वतंत्रता के नाम पर परिवार की इज्जत से ऊपर तोलते हैं, तो वह अपने पूरे खानदान की सामाजिक प्रतिष्ठा को गिरा देते हैं। यह व्यवस्था मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी में परिवार और समाज के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे, क्योंकि उनका भविष्य उन्हीं संस्कारों और परवरिशों के साथ जुड़ा होता है जिन्हें मां-बाप ने दिया होता है। जब बच्चे गंदगी और ऐसे फ़ैसलों को अपना भविष्य समझते हैं जो परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं, तब यह पूरे खानदान के लिए अपमान का कारण बनता है। ऐसे निर्णय न केवल व्यक्तिगत जीवन को तोड़ते हैं, बल्कि सामाजिक रिश्तों और खानदानी इज्जत को भी कमजोर करते हैं। यह अहंकार और समझ की कमी के कारण होता है जब बच्चे सोचते हैं कि डिग्री, पद या आधुनिकता उन्हें परिवार की इज्जत से ऊपर उठाती है, जबकि असली ताक़त उनके संस्कारों और विनम्रता में होती है, न कि इन बाहरी आभूषणों में। इस समस्या का समाधान संवाद, प्रेम और संस्कारों के पुनः प्रवर्तन में है, जिससे युवा पीढ़ी को अपने माता-पिता और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान की समझ हो। संस्कार, परिवार की गरिमा और सामाजिक आचार विचार के प्रति सम्मान के बिना कोई भी डिग्री या पद असली सफलता नहीं दे सकता। आज की परिस्थिति में जब युवा अपनी गलत राहों को सही समझते हुए, अपने खानदान की इज्जत गिरा रहे हैं, वहां ज़रूरत है कि फ़िर से परिवारों में संवाद को बढ़ावा दिया जाए ताकि ये बच्चे समझ सकें कि असली औकात परवरिश और तहज़ीब में है, न कि केवल दिखावे या उच्च पदों में। इसलिए आज के समाज को चाहिए कि वे अपनी नई पीढ़ी को केवल विद्या नहीं बल्कि सम्मान और संवेदना की भी शिक्षा दें ताकि वे अपने फ़ैसलों में परिवार की इज्जत और समाज की मर्यादा को हमेशा प्राथमिकता दें।

रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं, रिटर्न ऑन नेचर की चर्चा हो

पंकज जायसवाल

आज का अर्थशास्त्र केवल उत्पादन, पूंजी और लाभ के समीकरण पर केंद्रित हो गया है लेकिन जब हम सामाजिक न्याय की दृष्टि से अर्थशास्त्र को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि लाभ का वितरण केवल पूंजीपति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक योगदानकर्ता को उसके हिस्से का न्यायसंगत प्रतिफल मिले। यही विचार सामाजिक न्यायिक अर्थशास्त्र की नींव है।

किसी भी बिजनेस में निवेशकर्ता के दो रूप होते हैं जैविक और अजैविक निवेशक. जैविक निवेशक वे होते हैं जो किसी न किसी रूप में जीवन, श्रम या चेतना से जुड़े होते हैं। इनमें तीन प्रमुख वर्ग आते हैं. पहला मालिक जो पूंजी का निवेश करता है और उद्यम का स्वामी होता है। दूसरा श्रमिक वर्ग जो अपना श्रम, कौशल और समय लगाता है, और तीसरा प्रकृति जो भूमि, जल, हवा, खनिज, पर्यावरण आदि के रूप में उत्पादन में योगदान देती है।

अजैविक निवेशक वे होते हैं जिनमें चेतना या संवेदना नहीं होती जैसे मशीन, तकनीक, उपकरण और पूंजीगत ढांचा। अर्थशास्त्र की पारंपरिक धारा ने अब तक मालिक को ही वास्तविक निवेशक माना और श्रमिक तथा प्रकृति के योगदान को मात्र लागत के रूप में गिना। यह दृष्टिकोण अधूरा और अन्यायपूर्ण है क्योंकि श्रमिक और प्रकृति दोनों ही उत्पादन की रीढ़ हैं। इनके बिना पूंजी या मशीनें निष्क्रिय वस्तुएं मात्र हैं।

सामाजिक न्यायिक दृष्टिकोण से पूंजी का पुनर्परिभाषण आवश्यक है. सामाजिक न्यायिक अर्थशास्त्र के तहत मेरा मानना है कि किसी भी उत्पादन प्रणाली में केवल पूंजी ही पूंजी नहीं है। श्रम भी एक पूंजी है और प्रकृति भी निवेशक है. चैतन्य निवेशक के रूप में इनका भी कुछ ना कुछ योगदान रहता है। इसलिए लाभ का वितरण इन तीनों के बीच न्यायसंगत होना चाहिए।

आज मशीन और तकनीक के बढ़ते प्रयोग ने जहाँ उत्पादन को तीव्र किया है, वहीं रोजगार को सीमित भी किया है। यह आर्थिक असंतुलन का संकेत है। मशीनें मनुष्य का स्थान नहीं ले सकतीं, परंतु मशीन के उपयोग से यदि श्रम का अवसर घटता है, तो उस हानि की आर्थिक भरपाई को श्रमिक को लाभांश के रूप में मिलनी चाहिए। यही श्रमिक लाभांश"* का सिद्धांत सामाजिक न्यायिक अर्थशास्त्र में आता है। श्रमिक किसी भी उत्पादन का सक्रिय भागीदार होता है। उसका योगदान भौतिक पूंजी जितना ही महत्त्वपूर्ण है परंतु पारंपरिक औद्योगिक ढांचे में श्रमिक को केवल वेतन मिलता है, लाभ का अधिकार नहीं।

यह असमानता सदियों से औद्योगिक वर्ग संघर्ष का मूल कारण रही है। यदि श्रमिक को उत्पादन में साझेदारी दी जाए तो उसका दृष्टिकोण केवल काम करने वाले मजदूर का नहीं, बल्कि सह-स्वामी का होगा। इससे श्रमिक की उत्पादकता बढ़ेगी, कार्य के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक सामंजस्य स्थापित होगा। यह प्रणाली न केवल श्रमिक के प्रति न्यायसंगत होगी, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में नैतिक संतुलन भी स्थापित करेगी।

प्रकृति भी हर उत्पादन में अपनी भूमिका निभाती है, भूमि, जल, हवा, ऊर्जा और खनिज के रूप में। सामाजिक न्यायिक अर्थशास्त्र कहता है कि यदि हम प्रकृति को केवल संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे और उसका पुनर्भरण नहीं करेंगे, तो यह भी आर्थिक अन्याय है। इसलिए, लाभांश का एक निश्चित अंश प्रकृति पूंजी कोष बना उसमें जमा किया जाना चाहिए, जो पर्यावरण पुनर्स्थापन, वृक्षारोपण, और जल संरक्षण में लगाया जाए। यह न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाएगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करेगा।

अब तक पूंजीवादी अर्थशास्त्र में केवल रिटर्न ऑन कैपिटल का सिद्धांत था। सामाजिक न्यायिक अर्थशास्त्र कहता है कि इसके साथ रिटर्न ऑन लेबर और रिटर्न ऑन नेचर भी जोड़ा जाए। ऐसा करने से तीन लाभ होंगे पहला श्रमिक वर्ग की आय में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा होगी. दूसरा उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिक की प्रेरणा और उत्पादकता में वृद्धि। समाज में धन के न्यायपूर्ण वितरण से आर्थिक असमानता में कमी।

आधुनिक दौर में जब ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और AI तेजी से बढ़ रहे हैं, श्रमिकों का रोजगार खतरे में है। यदि श्रमिक को उत्पादन से होने वाले लाभ में हिस्सेदारी दी जाए तो यह मानव और मशीन के बीच आर्थिक संतुलन कायम रखेगा। इस मॉडल को समावेशी पूंजीवाद या सहभागी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है जहाँ हर सहभागी को उसके योगदान का प्रतिफल मिलता है।

सरकार को श्रमिक लाभांश यह प्रकृति लाभांश के रूप में रिटर्न ऑन लेबर और रिटर्न ऑन नेचर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिस्से के रूप में मान्यता देनी चाहिए। कार्बन क्रेडिट का विस्तार पूर्वक लागू कर इसे वाकई में सफल बनाना चाहिए. उद्योगों में Employee Profit Participation Scheme (EPPS) ₹कर्मचारी लाभ भागीदारी योजना₹ भी लागू की जा सकती है। साथ ही, श्रम एक पूंजी के रूप के अवधारणा को वित्तीय नीति में स्थान दिया जाए, जिससे श्रमिक को केवल वेतनभोगी नहीं बल्कि आर्थिक हिस्सेदार माना जाए।

इस प्रकार सामाजिक न्यायिक अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र नहीं, यह एक मानव-केन्द्रित दर्शन की बात करता है। यह बताता है कि पूंजी, श्रम और प्रकृति तीनों के बिना उत्पादन अधूरा है, अतः लाभ का वितरण भी तीनों के बीच न्यायसंगत होना चाहिए। जब श्रमिक को लाभ में हिस्सा मिलेगा, प्रकृति को पूंजी के रूप में सम्मान मिलेगा और मालिक को न्यायपूर्ण लाभ मिलेगा तभी सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय और आर्थिक संतुलन स्थापित होगा।

इसी से एक ऐसी अर्थव्यवस्था का जन्म होगा जो केवल वृद्धि दर (Growth Rate) से नहीं बल्कि न्याय दर (Justice Rate) और हैप्पीनेस इंडेक्स से भी मापी जाएगी और यही होगा सामाजिक न्यायिक अर्थशास्त्र का वास्तविक उद्देश्य।

फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन

लोंगोवाल, 11 नवंबर (जगसीर सिंह)- फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के पांच दिवसीय कार्यक्रम में प्रवीण रामदास, अखिल भारतीय विज्ञान सह संगठन मंत्री/नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी विज्ञान भारती और प्रो मणिकांत पासवान, निर्देशक स्लाइट लोंगोवाल पंजाब ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में 165 प्रतिभागी देश के विभिन्न शहरों के कॉलेजों से जुड़े हैं। रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रो राम कुमार (आई आई टी कानपुर), डॉ पल्लव गुप्ता (एम. एम. एम.यूनिवर्सिटी गोरखपुर), और प्रो शंकर सिंह एच ओ डी मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ने मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न आयामों पर चर्चा की।

निर्देशक स्लाइट प्रो मणिकांत पासवान ने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के उपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, आकाश ब्रह्मोस, एस 400 मिसाइल निर्माण जैसे भारत की विजय के केस स्टडी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल कंट्रोल, और डेटा-ड्रिवन प्रोडक्शन प्रक्रियाएं होती हैं जो उच्च गुणवत्ता और बेहतर प्रोडक्टिविटी प्रदान करती हैं। यह तकनीक दुश्मन के दांत काटने में कैसे प्रभावी सिद्ध हो रही है, इसका व्यावहारिक उदाहरण दिया गया। यह कार्यक्रम नवाचार और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा, जिसमें प्रतिभागियों ने आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विस्तार से जाना और सीखने का अवसर पाया ।

कब खत्म होगा सलाखों से दाग कर इलाज करने का जानलेवा फरेब

ज्ञान चंद पाटनी

सलाखों से दाग कर इलाज करने का भ्रम भारत में बच्चों की जान ले रहा है। इक्कीसवीं सदी में भी इस तरह के मामले सामने आना चिंताजनक है। इससे यह साबित होता है कि भारत का एक वर्ग अब भी अज्ञान के अंधकार में डूबा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी कोसों दूर है। इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से बच्चों को दागने के मामले खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। जाहिर है इन इलाकों में अशिक्षा और अंधविश्वास अब भी गहरी जड़ें जमाए हुए है। इस वर्ष भी देश के विभिन्न भागों से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मासूम बच्चों को इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागा गया जिससे उनकी हालत गंभीर हुई और कई की जान तक चली गई।

हाल ही राजस्थान में एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया। भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के ईरांस गांव में रहने वाले दंपती का नौ महीने का बेटा बीमार था। अंधविश्वास के चलते उसे गर्म सलाखों से दाग दिया गया ताकि वह ठीक हो जाए। हुआ उलटा। बच्चे की हालत और बिगड़ गई जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन दिन तक उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। डाम लगाने का बड़ा कारण अंधविश्वास है। अंधविश्वास के कारण खांसी-जुकाम होने पर भोपों के चक्कर में पड़कर परिजन बच्चों के डाम लगवा देते हैं। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ही पिछले चार साल में डाम लगाने के 15 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें पांच बच्चों की मौत तक हो चुकी है। भोपों और परिजनों के खिलाफ भी पुलिस में मामले दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद यह सिलसिला नहीं थम रहा। अब भी बड़ी संख्या में ग्रामीण सर्दी-जुकाम होने पर बच्चों को चिकित्सक को नहीं दिखाते, बल्कि डाम लगाने या झाड़—फूंक को प्राथमिकता देते हैं।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। इस वर्ष सितंबर में मध्यप्रदेश के झाबुआ इलाके में निमोनिया से पीड़ित तीन बच्चों को इलाज के नाम पर सलाखों से दागने का मामला चर्चा में आया था। झारखंड के गांवों में भी आदिवासी समुदाय में चिड़ी दाग की ऐसी ही एक विचित्र परंपरा है। पेट संबंधी रोग ठीक करने के नाम पर बच्चों के पेट गर्म सलाखों से दागे जाते हैं। हर वर्ष जनवरी के मध्य यहां टुसू पर्व मनाया जाता है। उसी दिन से बच्चों को गर्म सलाखों से दागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नवजात को दागने के लिए तो इस पर्व का इंतजार भी नहीं किया जाता। उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी इस तरह की परंपरा है। लोहे व तांबे की सलाखों के अगले हिस्से को चिड़ी के आकार का देकर उसे तपाया जाता है। फिर ओझा बच्चे की नाभि के चारों ओर सरसों का तेल लगाता है और गर्म सलाखों से नाभि के चारों ओर चार बार दागता है। दाग वाले स्थान पर पुनः सरसों तेल लगा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चा तड़प उठता हैं। कई बार बच्चे की मौत तक हो जाती है।

साफ है कि चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के बावजूद इस तरह के गलत और भ्रांतिपूर्ण कृत्य बच्चों की जान ले रहे हैं। यह वाकई गंभीर चिंता की बात है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अब भी इस तरह की प्रवृत्तियों का समर्थन किया जाता है। कई बच्चों की मौत के बाद भी लोग इसे जड़ से बीमारी खत्म करने का माध्यम मानते हैं। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग अक्सर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की बजाय तांत्रिकों और झाड़-फूंक करने वालों पर भरोसा करते हैं। चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी भी इसे बढ़ावा देती है। बीमारी और उपचार की सही जानकारी न होने के कारण भी इलाज के लिए ऐसे क्रूर और जानलेवा तरीके अपनाए जाते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण भी लोग अक्सर ओझा और तांत्रिकों के पास जाते हैं। आदिवासी इलाकों में बीमार बच्चे को सलाख से जलाना, 'डाम' लगाना या झाड़-फूंक करना आम बात है। जाहिर है अंधविश्वास ही नहीं गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की दूरदराज इलाकों में पहुंच न होने से भी इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है।

गर्म सलाखों से दागने की प्रक्रिया बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। इसके कारण बच्चों को गंभीर जलन और संक्रमण का सामना करना पड़ता है। फेफड़े और शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं। कई बार यह संक्रमण जानलेवा भी सिद्ध होता है। इसके साथ ही, बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ने से वे जीवन भर परेशान रहते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा, जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि लोग आधुनिक चिकित्सा के प्रति जागरूक हों। तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सामाजिक सुधार जरूरी हैं। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वे ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करें और दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाएं। साथ ही, मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे लोग इलाज के नाम पर अंधविश्वास के दलदल में न फंसें। मीडिया और गैर-सरकारी संस्थाएं भी जागरूकता अभियान चलाएं।

सलाखों से दाग कर इलाज की गलत परंपरा बच्चों के जीवन को खतरे में डाल रही है। इसे रोकना हर नागरिक, प्रशासन और समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से इस अमानवीय व्यवहार को जड़ से खत्म करने की जरूरत है ताकि मासूम बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन मिल सके। इस गंभीर समस्या पर ध्यान देना और ठोस कार्रवाई करना अब प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि इलाज के नाम पर किसी बच्चे का जीवन संकट में न पड़े।

(वरिष्ठ पत्रकार)

भागवत की नई दृष्टि और समरस भारत की परिकल्पना

ललित गर्ग

मोहन भागवत का यह वक्तव्य संघ की विचारधारा में निहित उस भारतीय दर्शन की पुन: पुष्टि करता है जिसमें धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं बल्कि जीवन-मूल्यों का समुच्चय है। संघ के लिए हिंदुत्व किसी धर्म विशेष का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह पद्धति है जिसमें समरसता, सह-अस्तित्व, करुणा और राष्ट्रनिष्ठा के तत्व समाहित हैं।

बवासीर ख़त्म करने वाला मिल गया! इसे खाली पेट पियें!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्राय: हिंदूवादी संगठन के रूप में देखा जाता रहा है, परंतु वस्तुत: वह केवल एक धार्मिक या सांप्रदायिक संगठन नहीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीयता की जीवंत चेतना का प्रतीक है। संघ की मूल प्रेरणा "वसुधैव कुटुम्बकम्" के भाव से उपजी है, जो भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा है। इसी दृष्टि का विस्तार संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के हालिया बेंगलुरु वक्तव्य में परिलक्षित हुआ, जब उन्होंने खुले हृदय से कहा कि "ईसाई और मुसलमान भी संघ में शामिल हो सकते हैं"। यह कथन न केवल साहसिक है बल्कि यह नए भारत, विकसित भारत और संतुलित भारत की सोच का परिचायक भी है। संघ में मुस्लिम, ईसाई समेत किसी भी संप्रदाय के लोगों के स्वागत की भागवत के वक्तव्य की व्यापक चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन यह वक्तव्य संघ की व्यापक सोच का भी परिचायक है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

मोहन भागवत का यह वक्तव्य संघ की विचारधारा में निहित उस भारतीय दर्शन की पुन: पुष्टि करता है जिसमें धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं बल्कि जीवन-मूल्यों का समुच्चय है। संघ के लिए हिंदुत्व किसी धर्म विशेष का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह पद्धति है जिसमें समरसता, सह-अस्तित्व, करुणा और राष्ट्रनिष्ठा के तत्व समाहित हैं। यही कारण है कि संघ की दृष्टि में "हिंदुत्व" का अर्थ भारतीयता है अर्थात भारत की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, संवेदना और जीवनशैली से आत्मीय जुड़ाव। ऐसा नहीं है कि इसके पहले संघ में विभिन्न संप्रदायों के लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, यह अनुमति पहले से है और सच तो यह है कि उसके कार्यक्रमों में विभिन्न संप्रदायों के लोग आते भी रहे हैं। इनमें मुस्लिम और ईसाई भी हैं। इस सबके बाद भी धारणा यह भी है कि संघ के कार्यक्रमों में केवल हिंदू संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। इस धारणा का कारण यह है कि हिंदू संप्रदाय को लेकर संघ की अपनी विशिष्ट धारणा और परिभाषा है। उसके अनुसार देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू ही हैं, भले ही उनका संप्रदाय और उनकी उपासना पद्धति कुछ भी हो। संघ की ओर से बार-बार यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस देश में रहने वाले समस्त लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे, इसलिए वह सभी को हिंदू के रूप में देखता, मानता और संबोधित करता है। आखिर इस अवधारणा में कठिनाई क्या है?

संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी गोलवलकर ने कहा था, "हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, वह संस्कृति है, जीवन का एक दृष्टिकोण है।" इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मोहन भागवत स्पष्ट करते हैं कि हिंदुत्व किसी जाति, भाषा, मज़हब या सीमित परंपरा का नाम नहीं है। संघ यह मानता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी पंथ या विश्वास से जुड़े हों, इस धरती के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए वे भारतीय हैं और इस दृष्टि से "हिंदू" अर्थात इस भूमि की सभ्यता के उत्तराधिकारी। संघ की दृष्टि में "हिंदू" शब्द धार्मिक पहचान से अधिक सांस्कृतिक अवधारणा है। यह भारतीय जीवन का पर्याय है, जो समानता, सहिष्णुता और एकात्मता में विश्वास करता है। यही भाव "सर्वे भवन्तु सुखिन:" और "एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति" जैसे मंत्रों में प्रतिध्वनित होता है।

आज की राजनीति में समाज को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बाँटने का जो विषवमन चल रहा है, उससे राष्ट्र की एकात्मता को गहरी चोट पहुँच रही है। संघ का उद्देश्य इस विभाजनकारी मानसिकता के प्रतिरोध में खड़ा होना है। मोहन भागवत का यह वक्तव्य इसी विषहरण की प्रक्रिया का हिस्सा है, एक ऐसी पुकार जो समाज के हर वर्ग को यह विश्वास दिलाती है कि राष्ट्र की आत्मा किसी संकीर्ण धार्मिक पहचान में नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक चेतना में निहित है। संघ के लिए राष्ट्र ही सर्वोच्च देवता है। इस राष्ट्रभक्ति के केंद्र में धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि धर्मसम्मतता है अर्थात ऐसी आस्था जो सभी मतों का सम्मान करती है। इसी भाव से प्रेरित होकर संघ अपने कार्यकर्ताओं को "हिंदू समाज की सेवा के माध्यम से समग्र भारतीय समाज की एकता" का लक्ष्य देता है। भागवत का यह संदेश उस भारत की परिकल्पना करता है जिसमें मतभेद तो हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। वे मानते हैं कि "जो भी इस भूमि में जन्मा है, उसका पूर्वज कोई न कोई हिंदू ही रहा है।" यह कथन ऐतिहासिक नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भारत की सभ्यता का मूल एक ही रहा है, जिसने विविध रूपों में विकसित होकर अनेक धर्मों और संप्रदायों को जन्म दिया। इस संदर्भ में भागवत का दृष्टिकोण गांधीजी की उस संकल्पना से मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा था- "मेरा हिंदुत्व सबको समेटने वाला है, किसी को बाहर करने वाला नहीं।" यही समावेशी भाव राष्ट्र की एकता का आधार बन सकता है। यदि संघ इस पर बल देता है कि उसका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है तो इसका अर्थ यही भी है कि वह सभी भारतीयों को संगठित करके एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना करता है। कठिनाई यह है कि उसके विरोधी यह प्रचारित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते कि वह तो केवल हिंदू समाज का संगठन है। चूंकि यह दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संघ के स्तर एवं अन्य स्तरों पर इन देश तोड़क स्थितियों एवं दुष्प्रचार का स्पष्टीकरण होता रहे।

संघ को लेकर फैलायी जा रही यह भ्रांति एवं गुमराह पूर्ण स्थितियों का खुलासा होना जरूरी है कि संघ संप्रदाय विशेष के लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहा है। यदि यह मिथ्या धारणा दूर हो सके तो संघ का कार्य और अधिक आसान एवं सृजनात्मक हो जाएगा, लेकिन यह मानकर चला जाना चाहिए कि संघ के विरोधी उसके बारे में दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। जो भी हो, संघ प्रमुख ने यह कहकर एक तरह से अपने विरोधियों और आलोचकों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है कि उसके कार्यक्रमों में सभी संप्रदायों के लोग आ सकते हैं, लेकिन केवल भारत माता के पुत्र के रूप में। उनकी इस पहल का सकारात्मक उत्तर दिया जाना चाहिए, उसका व्यापक स्तर पर स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कुछ लोग भारत को माता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या यह किसी से छिपा है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत माता की जय कहने से बचा जाता है? पिछले दिनों इसी संकीर्ण दृष्टि के कारण वंदे मातरम् के विरोध में स्वर सुनाई दिए।

इक्कीसवीं सदी का भारत केवल आर्थिक या तकनीकी महाशक्ति नहीं बनेगा, यदि उसके भीतर मानसिक और सांस्कृतिक एकता का सूत्र न हो। संघ इसी सूत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। भागवत का संदेश भारत के बहुलतावाद और धार्मिक विविधता में निहित एकता को स्वीकार करता है। यह एक ऐसा आमंत्रण है जो हर नागरिक को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि "भारतीयता" हमारी साझा पहचान है, बाकी सब उपाधियाँ हैं। इस दिशा में संघ का दृष्टिकोण "समरस समाज" की रचना पर केंद्रित है? ऐसा समाज जहाँ मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सभी अपने धर्म का पालन करते हुए भी राष्ट्र को अपनी मातृभूमि मानें और भारतीय संस्कृति के गौरव से जुड़ें। मोहन भागवत के बेंगलुरु वक्तव्य ने हिंदुत्व की परिभाषा को एक व्यापक और आधुनिक संदर्भ दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघ का हिंदुत्व किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सबके लिए है। यह विभाजन नहीं, समन्वय का सूत्र है। यही सच्ची भारतीयता है- जो विविधताओं में एकता को, विरोध में संवाद को और मतभेद में सह-अस्तित्व को स्वीकार करती है। संघ का यह दृष्टिकोण बताता है कि हिंदुत्व का अर्थ किसी पंथ का वर्चस्व नहीं, बल्कि उस जीवनदर्शन का पुनर्जागरण है जिसमें भारत की आत्मा बसती है। यही भाव राष्ट्र को अखंडता, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर करेगा।

---------- प्रदूषण पर विरोध और गिरफ्तारी ----------

देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट तरह-तरह के प्रदर्शनों का गवाह रहा है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि सांस लेने के अधिकार को लेकर यहां लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। दिल्ली की हवा के बेहद ख़राब स्तर पर पहुंचने के बीच रविवार को इंडिया गेट पर 'स्मॉग से आज़ादी!' जैसे पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर हिटलर के बनाए गैस चेम्बर को याद करते हुए लोगों ने लिखा कि इसका विरोध करेंगे तो सजा मिलेगी ही। इस तरह की टिप्पणियां सत्ता के लिए चेतावनी है, जहां लोगों ने लोकतंत्र की बुनियाद पर सरकार बनाई, मगर अहसास तानाशाही का हुआ तो अब नाराज़गी दिख रही है।

बता दें कि इंडिया गेट के प्रदर्शन में बड़ी संख्या युवाओं की थी। नयी पीढ़ी के लिए अब जेन ज़ी शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। जनरेशन का संक्षिप्तीकरण जेन और ज़ी यानी (अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर)। बीते वक्त में बांग्लादेश, श्रीलंक और नेपाल - इन तीनों पड़ोसी देशों में युवाओं ने ही आंदोलन छेड़ा था, जिससे सत्ता बदलाव का रास्ता तैयार हुआ था। दुनिया के और भी देशों में युवा इसी तरह सड़कों पर निकले और सत्ता को झुकना पड़ा। इन उदाहरणों को सामने रखकर देश में पिछले 11 सालों से सत्तारुढ़ मोदी सरकार को भी चेतावनी मिलती रही कि बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो जेन ज़ी की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अब वोट चोरी जैसे मुद्दों पर युवाओं का आह्वान करने लगे हैं कि यही पीढ़ी लोकतंत्र की रक्षा करेगी तो भाजपा को इसमें राष्ट्र-विरोधी भावनाओं की बू आने लगती है। भाजपा आरोप लगाती है कि राहुल गांधी देश में अस्थिरता लाने के लिए युवाओं को आगे कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि राजनैतिक तौर पर जिन्हें वह अहम मुद्दे मानती है, उनसे इतर प्रदूषण को लेकर युवाओं का गुस्सा भड़क जायेगा। क्योंकि प्रदूषण तो शायद मोदी सरकार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, अन्यथा पिछले 11 सालों से देश यथास्थितिवाद का शिकार न हुआ होता।

गौरतलब है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 370 के स्तर पर पहुंच गया, जो 'बहुत ख़राब' श्रेणी में आता है। नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में भी हालात ऐसे ही हैं। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद - सब दमघोंटू हवा की कैद में हैं। नवंबर की शुरुआत से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) का स्तर अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है जो सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में हवा साफ़ करने के सघन उपायों की जगह कभी क्लाउड सीडिंग से नकली बारिश, कहीं कुछ इलाकों पर पानी का छिड़काव जैसे ऊपरी उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें

जनता के धन की बर्बादी तो है, राहत नाममात्र को भी नहीं है। ऊपर से सरकार को इस बात पर आपत्ति है कि जब धरने-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर का स्थान ही तय किया गया है, तो इंडिया गेट पर लोग प्रदर्शन के लिए क्यों पहुंचे। ध्यान रहे कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, केवल नारे और तख्तियों के साथ बच्चे, बूढ़े, जवान एकत्र हुए थे, ताकि सरकार को बताएं कि इस समय सांस लेना उनके लिए कितना दूभर हो गया है। फिर भी दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने दंगा नियंत्रण गणवेष में और उपकरणों के साथ पहुंचकर कई प्रदर्शनकारी युवकों को हिरासत में ले लिया। इसे कानून व्यवस्था का मामला बताते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। सरकार की नाकामी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उसे धरना प्रदर्शन कहां हो रहा है - इससे तकलीफ़ है, लेकिन इस बात से सरोकार नहीं है कि आखिर लोगों को प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा।

इंडिया गेट पर एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'यह हेल्थ इमरजेंसी है, न कि दोषारोपण का खेल। ट्रायल-एंड-एरर से हमारा भविष्य बर्बाद हो चुका है। सरकार को अब साफ हवा की नीति तुरंत लागू करनी चाहिये।' एक अन्य ने कहा, 'अमीर लोग एयर प्यूरीफ़ायर खरीद सकते हैं या पहाड़ों पर भाग सकते हैं, लेकिन हम कहां जायें! हर सर्दी में सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हवा सरकारी नहीं, सबकी है।' वायु प्रदूषण कितना घातक हो चुका है, यह बात प्रदर्शन में शामिल एक डॉक्टर के बयान से समझी जा सकती है, उन्होंने कहा कि, दिल्ली में हर तीसरा बच्चा फेफड़ों की क्षति का शिकार है, वे साफ हवा वाले बच्चों से लगभग 10 साल कम जीते हैं। लंबे समय तक प्रदूषण से हृदय रोग, स्ट्रोक और अस्थमा होता है। यह गर्भ से शुरू होकर बुढ़ापे तक पीछा करता है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा- स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन वोट चोरी के ज़रिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, न ही वह इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है। हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय, अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

राहुल गांधी की इस बात को राजनैतिक विचारधारा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समझने की जरूरत है। वायु प्रदूषण किसी पर यह देखकर असर नहीं करता कि किसने भाजपा को वोट दिया, किसने आप को या कांग्रेस को, या कौन राम मंदिर बनने से खुश हुआ या नहीं हुआ। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सांस लेने जैसी नैसर्गिक बल्कि ज़िंदा होने की पहली शर्त पर ही जब संकट आ जाए और उसके बावजूद सरकार पीड़ितों पर ही कार्रवाई करे तो यह कितनी गैरज़िम्मेदाराना और एक हद तक आपराधिक हरकत है।

सुरजन पलाश (देशबंधु में संपादकीय)
(फोटो सांकेतिक)

रेल सुरक्षा: सुधार की पटरियों पर कब चढ़ेगा सिस्टम?

योगेश कुमार गोयल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह दुर्घटना देश के लिए महज एक और संख्या नहीं है बल्कि इस बात की प्रतीक है कि भारत के रेल तंत्र में तकनीक, सतर्कता और जवाबदेही का घोर अभाव है। बिलासपुर कलेक्टर के अनुसार, ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी और गतौरा-बिलासपुर के बीच मालगाड़ी से टकरा गई।

भारत की रेल पटरियां देश की धमनियां कही जाती हैं, जो प्रतिदिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, जो अर्थव्यवस्था का इंजन चलाती हैं, जो इस विशाल देश की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं लेकिन जब इन्हीं पटरियों पर बार-बार मौत की चीखें गूंजती हैं तो सवाल केवल हादसों का नहीं रहता बल्कि उस पूरे तंत्र की आत्मा पर उठता है, जिसने सुरक्षा को केवल एक चुनावी 'घोषणापत्र' सरीखा बनाकर रख दिया है। बिलासपुर के लालखदान में हुआ हालिया रेल हादसा इसी गहरी लापरवाही का ताजा उदाहरण है, जहां एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, 11 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा घायल हो गए। इंजन मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया और वह मंजर किसी युद्धस्थल से कम नहीं था।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह दुर्घटना देश के लिए महज एक और संख्या नहीं है बल्कि इस बात की प्रतीक है कि भारत के रेल तंत्र में तकनीक, सतर्कता और जवाबदेही का घोर अभाव है। बिलासपुर कलेक्टर के अनुसार, ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी और गतौरा-बिलासपुर के बीच मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि देश में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था आज भी 'कागज पर कवच' से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे की भयावहता के साथ ही जब हम इसी साल के कुछ अन्य रेल हादसों पर नजर डालते हैं, तो एक सिहरन सी उठती है। महाराष्ट्र के ठाणे में जून 2025 में चार यात्रियों की मौत केवल इसलिए हुई थी क्योंकि भीड़भाड़ वाली दो लोकल ट्रेनों में पायदान पर लटकते यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए थे। बिहार के कटिहार में जून 2025 में अवध असम एक्सप्रेस रेलवे ट्रॉली से टकरा गई, जिससे एक ट्रॉलीमैन की मौत और चार कर्मचारी गंभीर घायल हुए। मार्च में ओडिशा के कटक जिले में बेंगलुरू-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अप्रैल 2025 में झारखंड के साहेबगंज में दो मालगाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई। जुलाई 2025 में उसी जिले के बरहड़वा में बिना लोको पायलट की 14 बोगियां तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दूसरी मालगाड़ी से जा टकराईं।

बिलासपुर का हादसा तो इस साल का सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बन चुका है। यह स्पष्ट संकेत है कि हादसे अब अपवाद नहीं बल्कि एक भयानक पैटर्न बन चुके हैं। हर बार रेल मंत्रालय बयान देता है, 'दोषियों पर कार्रवाई होगी', 'मुआवजा दिया जाएगा', 'जांच समिति गठित की गई है', और फिर कुछ ही दिनों में सब भुला दिया जाता है। सवाल है कि क्या रेलवे अब केवल 'प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र' बन गया है, जहां कार्रवाई केवल तभी होती है, जब हादसा हो चुका होता है? भारत में रेल हादसों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी रेल सेवा स्वयं। भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में होने वाले रेल हादसों में से करीब 70 प्रतिशत हादसे मानव त्रुटि के कारण होते हैं यानी कि या तो सिग्नलिंग सिस्टम में गलती या ट्रैक निरीक्षण में लापरवाही या फिर ट्रेन संचालन में मानवीय भूल। शेष हादसे तकनीकी खराबी, पुरानी पटरियों, रखरखाव की कमी और ओवरलोडिंग के कारण होते हैं।

इन तथ्यों से यह साफ हो जाता है कि भारत की रेल प्रणाली में सुरक्षा संस्कृति का अभाव है। यहां तकनीक पर निवेश से अधिक जोर घोषणाओं पर है। बीते वर्षों से 'कवच' सिस्टम को लेकर खूब प्रचार किया गया, कहा गया कि यह एक ऐसा स्वदेशी एंटी-कोलिजन सिस्टम है, जो दो ट्रेनों को टकराने से बचाएगा लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश के केवल 4 प्रतिशत रेल नेटवर्क पर ही कवच लागू हुआ है, बाकी 96 प्रतिशत ट्रैक आज भी मानव सतर्कता पर निर्भर हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। रेल प्रशासन का रवैया भी उतना ही असंवेदनशील है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी जाती है लेकिन यह मुआवजा न किसी बच्चे को उसका पिता लौटा सकता है, न किसी पत्नी को उसका पति, न किसी मां को उसका बेटा। जरूरत मुआवजे की नहीं, जवाबदेही की है।

यह दुर्भाग्य है कि जिस भारतीय रेलवे को 'विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था' कहा जाता है, वहां अब भी अधिकांश ट्रैक ब्रिटिश कालीन तकनीक पर चल रहे हैं। ट्रेन ड्राइवरों को 8 से 12 घंटे तक बिना विश्राम रेल चलाने की मजबूरी, सिग्नलिंग उपकरणों की खराबी और निरीक्षण प्रणाली की औपचारिकता, ये सब मिलकर दुर्घटना की जमीन तैयार करते हैं। ऐसी किसी भी घटनां के बाद हर बार राजनीतिक बयानबाजी शुरू होती है, रेल मंत्री हादसे की उच्चस्तरीय जांच का ऐलान करते हैं और कुछ हफ्तों बाद कोई नई परियोजना या वंदे भारत उद्घाटन के बीच वह घटना जनता की स्मृति से मिट जाती है लेकिन जो परिवार अपनों को खो चुके होते हैं, उनके लिए वह हादसा जीवनभर की सजा बन जाता है।

भारत में आज रेलवे की सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा का वास्तविक आधुनिकीकरण। केवल कवच सिस्टम ही नहीं बल्कि ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे, स्वचालित सिग्नलिंग, लोको पायलट के थकान-निगरानी उपकरण और रीयल-टाइम संचार प्रणाली की अनिवार्यता। 2024 में रेलवे ने दावा किया था कि 2027 तक 50,000 किलोमीटर नेटवर्क कवच से लैस होगा लेकिन आज की प्रगति देखकर यह लक्ष्य किसी दिवास्वप्न जैसा लगता है। नवंबर 2024 तक कवच सिस्टम लगभग 1,548 किलोमीटर ट्रैक पर लागू हो चुका था और उसके बाद से धीमी गति से इसका विस्तार जारी है। ऐसे में 2027 तक 50,000 किलोमीटर कवच से लैस करने का लक्ष्य प्राप्त करना अभी बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है और लक्ष्य से काफी पीछे है। विस्तृत कवच नेटवर्क के लिए काफी संसाधन और समय की आवश्यकता है। सवाल यह भी है कि जब देश अंतरिक्ष में चंद्रयान उतार सकता है तो पटरियों पर सुरक्षित यात्रा क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकता? यह केवल तकनीक का नहीं, प्राथमिकता का प्रश्न है। जब तक सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर नहीं रखा जाएगा, जब तक रेल बजट में सुरक्षा खंड को लागत नहीं बल्कि निवेश नहीं माना जाएगा, तब तक यह रक्तरंजित यात्रा जारी रहेगी।

बहरहाल, अब समय आ गया है, जब रेल हादसों को मात्र दुर्घटनाएं कहकर टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये घटनाएं अब प्रशासनिक अपराधों का रूप ले चुकी हैं। हर साल निर्दोष नागरिकों की जानें जाती हैं और जिम्मेदारी जांच रिपोर्टों की धूल में दबी रह जाती है। देश को अब उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, जहां 'हादसे के बाद कार्रवाई' ही नीति बन चुकी है। आवश्यकता है ऐसी व्यवस्था की, जो दुर्घटनाओं से पहले सतर्कता और रोकथाम सुनिश्चित करे। यात्रियों की सुरक्षा कोई दया नहीं, उनका संवैधानिक अधिकार है, जो केवल कागज पर नहीं, पटरियों पर भी सुरक्षित होना चाहिए। जब तक हर ट्रेन यात्रा भय से नहीं, विश्वास से शुरू और समाप्त नहीं होती, तब तक भारतीय रेल प्रगति की नहीं, असंवेदनशीलता की प्रतीक बनी रहेगी। सच्चा विकास तभी होगा, जब हर गंतव्य तक पहुंचने वाली ट्रेन हर यात्री को सुरक्षित जीवन की गारंटी दे सके।

(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

महागठबंधन आगे, पर नतीजा अभी दूर है!: (आलेख : राजेंद्र शर्मा)

जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, बिहार में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण तक आते-आते, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने, अपना जाना-पहचाना "घुसपैठिया" राग छेड़ दिया। सभी जानते हैं कि संघ-भाजपा के लिए "घुसपैठिया", मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द है, जिसके इस्तेमाल के दो फायदे हैं। एक तो इसके जरिए मुसलमानों को न सिर्फ "पराया" बल्कि "खतरा" और इसलिए "दुश्मन" बनाया जा सकता है। दूसरे, ऐसा करते हुए कम से कम औपचारिक रूप से मुस्लिम विरोधी होने के आरोप से खुद को बचाने के लिए तिनके की ओट बनाए रखी जा सकती है।

प्रधानमंत्री ने अररिया में अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की अपनी सभा में और अमित शाह ने चुनाव प्रचार के ही आखिरी दिन पूर्णिया की अपनी सभा में, पूरे गले से यह "घुसपैठिया" राग गाया। बेशक, उनके इस राग में नया कुछ भी नहीं था। वास्तव में झारखंड के विधानसभाई चुनाव में मोदी ने जिस तरह पूरे गले से यह राग गाया था, उसके बाद उनके लिए अपने इस राग में जोड़ने के लिए कुछ खास नया रहता ही नहीं था। हां! झारखंड से भिन्न बिहार में "बहन-बेटियों" के लिए खतरे का, उनके "बहन-बेटियों" को ले जाने का डर नहीं दिखाया जा रहा था। उल्टे भाजपा की शीर्ष जोड़ी ने और उसमें भी खासतौर पर अमित शाह ने अपने श्रोताओं में जोश पैदा करने की उम्मीद में, बिहार में यह नया आश्वासन जरूर जोड़ा कि घुसपैठियों ने जो धंधे खड़े कर लिए हैं और जमीनें हासिल कर ली हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा।

बेशक, घुसपैठियों के मुद्दे को झारखंड की तरह, प्रधानमंत्री और उनके नंबर-दो के पहले दिन से ही बिहार में अपने चुनाव प्रचार की मुख्य थीम नहीं बनाने की वजह, कम-से-कम इस खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक दुहाई का इस्तेमाल करने में उनकी किसी हिचक में नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह, बिहार में भाजपा की सत्ता तक पहुंचने के लिए गठजोड़ की और वह भी एक ऐसे नेता, नीतीश कुमार को आगे रखकर गठजोड़ बनाए रखने की मजबूरी थी, जिनकी पार्टी जदयू को गठजोड़ का खुले तौर पर सांप्रदायिक रुख अपनाना मंजूर नहीं था।

इसके ऊपर से बिहार के ही संदर्भ में, घुसपैठियों के मुद्दे को भुनाने में एक कठिनाई और थी। बिहार में विधानसभाई चुनाव से ऐन पहले, विपक्ष की सारी आपत्तियों को अनसुना करते हुए चुनाव आयोग द्वारा अचानक मतदाता सूचियों के "शुद्धीकरण" के नाम पर जो विशेष सघन पुनरीक्षण या एसआइआर कराया गया था, उसके जरूरी होने के कारण के रूप में, सूचियों में बड़ी संख्या में "गैर-नागरिकों" की मौजूदगी का दावा किया गया था। इसे संघ-भाजपा द्वारा न सिर्फ एसआइआर कराने के उसके फैसले के बचाव के लिए, बल्कि आम तौर पर अपने सांप्रदायिक प्रचार के हिस्से के तौर पर, खूब उछाला भी गया था। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान में अपनी आवाज जोड़ी थी और विपक्ष को घुसपैठियों का संरक्षक बताया था। लेकिन, इस सब के बावजूद, एसआइआर की प्रक्रिया जब पूरी हुई और चुनाव आयोग द्वारा अपनी ओर से अंतिम और जाहिर है कि "शुद्ध की हुई" मतदाता सूचियां जारी की गयीं, उसमें हटाए गए नामों में कुल कितने नाम विदेशियों या घुसपैठियों के थे, चुनाव आयोग को यह बताने की हिम्मत ही नहीं हुई।

वास्तव में, मतदाता सूचियों की इस पहलू से छानबीन करने वाले कुछ अध्ययनों में यह सचाई सामने आयी है कि कुल आठ करोड़ मतदाताओं में, संघ-भाजपा की परिभाषा के हिसाब से घुसपैठिया या मुसलमान विदेशी कहे जा सकने वालों की संख्या, आधा दर्जन भी नहीं निकलेगी। विदेशियों की गिनाने लाइक संख्या, नेपालियों की ही पायी गयी है और उसमें भी बड़ा हिस्सा विवाह कर बिहार के नेपाल से लगती सीमाओं वाले जिलों में रह रही नेपाली बहुओं का है। क्योंकि "घुसपैठियों के खतरे" के झूठ की पोल खोलने वाले एसआइआर के ये आंकड़े एकदम हाल के हैं, संघ-भाजपा के लिए भी यह मानना मुश्किल था कि चुनाव में इस मुद्दे को उछालने से अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने के सिवा किसी खास लाभ की उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए, प्रधानमंत्री समेत संघ-भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपने चुनाव प्रचार में घुसपैठियों के मुद्दे से आम तौर पर परहेज किया। लेकिन, ऐसा लगता है कि पहले चरण में 121 सीटों के मतदान में जिस तरह के रुझान दिखाई दिए, उनके बाद संघ-भाजपा को हताशा के उपाय के तौर पर घुसपैठियों का खतरा प्रचारित करना ही इकलौता उपाय नजर आया है।

और इसे कार्यनीतिक तरीके से विशेष रूप से सीमांचल के इलाके में आजमाया गया है, जहां मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत ज्यादा है और गठजोड़ में सीटों के बंटवारे में भाजपा के हिस्से में अपेक्षाकृत कम सीटें आयी हैं। आम तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण के रुझानों ने, जिनमें भाजपा के बराबर संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद, भाजपा के मुकाबले जदयू ठीक-ठाक आगे निकलती नजर आती है, भाजपा और जदयू के बीच रस्साकशी को और तीखा कर दिया है। ऐसे में भाजपा, किसी भी कीमत पर अपनी सीटों पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर के अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है, भले ही इसका नतीजा इसकी प्रतिक्रिया में मुस्लिम वोटों का समग्रता में एनडीए के खिलाफ ही नहीं, महागठबंधन के पक्ष में ध्रुवीकरण भी हो। याद रहे कि सीमाचंल क्षेत्र में खासतौर पर इंडिया के मुस्लिम वोट में ही विभाजन के लिए, एमआइएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मैदान में है। घुसपैठियों के खतरे की दुहाई का इस्तेमाल, भाजपा की बदहवास कोशिश ही ज्यादा है।

बहरहाल, मतदाताओं का रुझान बहुत हद तक साफ हो जाने और महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आने के बावजूद, यह नहीं कहा जा सकता है कि 14 तारीख की मतगणना के नतीजे भी इसी को प्रतिबिंबित करेंगे। बिहार के चुनाव के सिलसिले में चुनाव आयोग का अब तक का जो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण आचरण रहा है और जिस तरह से चुनाव पर्यवेक्षकों समेत चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां संभालने के लिए राज्य से बाहर से छांट-छांटकर सत्ता पक्ष के अनुकूल अधिकारियों को ही तैनात किया गया है और जिस तरह अमित शाह के पटना में बैठकर गुपचुप तरीके से अधिकारियों को नियंत्रित करने की खबरें आ रही हैं, उससे इसकी गंभीर आशंकाएं पैदा होती हैं कि कहीं जनता की इच्छा और चुनाव नतीजों के बीच खेल तो नहीं हो जाएगा? हैरानी की बात नहीं है कि महागठबंधन के नेता, खासतौर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, बार-बार जनता को और खासतौर पर युवाओं को आगाह कर रहे हैं कि वोट चोरी से लेकर नतीजा चोरी तक की कोशिशों के प्रति सतर्क रहें और ऐसी कोशिशों को विफल करें।

याद रहे कि यह चुनाव कम से कम तीन पहलुओं से तो पहले ही दूषित किया जा चुका है। पहला, रैफ्री की हैसियत से चुनाव आयोग ने बराबरी का मैदान सुनिश्चित करने की रत्ती भर कोशिश नहीं की है, बल्कि वह तो खुद ही हरेक मामले में सत्ता पक्ष की टीम में शामिल नजर आया है। इसका सबसे बड़ा सबूत, चुनावों के बीचौ-बीच जदयू-भाजपा सरकार को महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रूपये भेजने देना है, जो आदर्श चुनाव संहिता का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है, क्योंकि इस तरह के मामलों में इससे पहले एक से ज्यादा मौकों पर चुनाव आयोग, राज्य सरकारों के ऐसे फैसलों को रोक चुका है। इसी का एक और सबूत, भाजपा द्वारा विशेष रेलगाड़ियों से हजारों की संख्या में बिहार के लोगों को मतदान कराने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार लाया जाना है। इस संबंध में हरियाणा से चार विशेष रेलगाड़ियों से करीब छः हजार लोगों को मतदान के लिए बिहार लाए जाने के साक्ष्य, वरिष्ठ अधिवक्ता व सांसद, कपिल सिब्बल ने पेश भी किए हैं। जाहिर है कि किसी भी पार्टी का ऐसा करना भी, अवैध चुनावी आचरण है।

चुनाव के प्रदूषित किए जाने का दूसरा पहलू, बाहर के लोगों का बिहार में आकर मतदान करना है। दिल्ली और उत्तराखंड के कम से कम आधा दर्जन ऐसे भाजपा नेताओं के तस्वीरों समेत नाम अब तक सामने आ चुके हैं, जिन्होंने इसी साल पहले अपने-अपने राज्यों में वोट करने के बाद, बिहार में पहले चरण के चुनाव में वोट दिया है। डुप्लीकेट वोटरों की विशाल संख्या कथित रूप से शुद्ध की गयी मतदाता सूचियों में भी बनी रहने को देखते हुए, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि बाहर से आकर वोट डालने वालों की संख्या, अच्छी-खासी हो सकती है। और यह संख्या, गलत पते, अस्पष्ट तस्वीरों तथा आधे-अधूरे नाम जैसे, वोट चोरी के अब तक उजागर हो चुके तरीकों से, रोपे गए फर्जी मतदाताओं से अलग भी हो सकती है।

और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जैसी की आशंका थी, एसआइआर के नाम पर लाखों वैध मतदाताओं का, जिनमें कम पढ़े, गरीब, कमजोर सामाजिक स्थिति के लोगों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, मताधिकार से वंचित कर दिया जाना। पहले चरण में ही, मतदान केंद्रों से बिना वोट दिए लौटा दिए गए हजारों लोग, जो पहले वोट देते आए थे, चुनाव आयोग द्वारा सोच-समझकर किए गए इसी प्रदूषण की गवाही दे रहे थे। इस सब के ऊपर से पहले चरण के मतदान के बाद से सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में खेतों में मिली वीवीपैट पर्चियां और कई-कई जगहों से आयीं स्ट्रांग रूमों में बिजली गुल होने और सीसीटीवी कैमरे बंद होने के बाद, स्ट्रांग रूप में संदेहजनक उपस्थितियों तथा वाहनों की संदेहास्पद आवाजाही की खबरें, आशंकाएं बहुत बढ़ा देती हैं।

लगता है कि जनता के बहुमत की इच्छा को भी चुनाव नतीजा बनने तक पहुंचने के लिए, कितनी ही कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

भारत ने लगभग एक सदी से विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं बनाया है

विजय गर्ग

भारत में प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का एक बड़ा पूल है, लेकिन अनुसंधान संस्थानों में अकादमिक पद सुरक्षित करने के लिए कई संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच, संस्थानों में कई संकाय सदस्य दूरदर्शी अनुसंधान के बजाय वृद्धिशील शोध करते हैं। वैज्ञानिकों की भर्ती और नियुक्ति के मानदंड अक्सर पारदर्शिता से वंचित होते हैं: संबंध, क्षेत्रीय पक्षपात, प्रायोजन शुद्ध योग्यता के बजाय एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

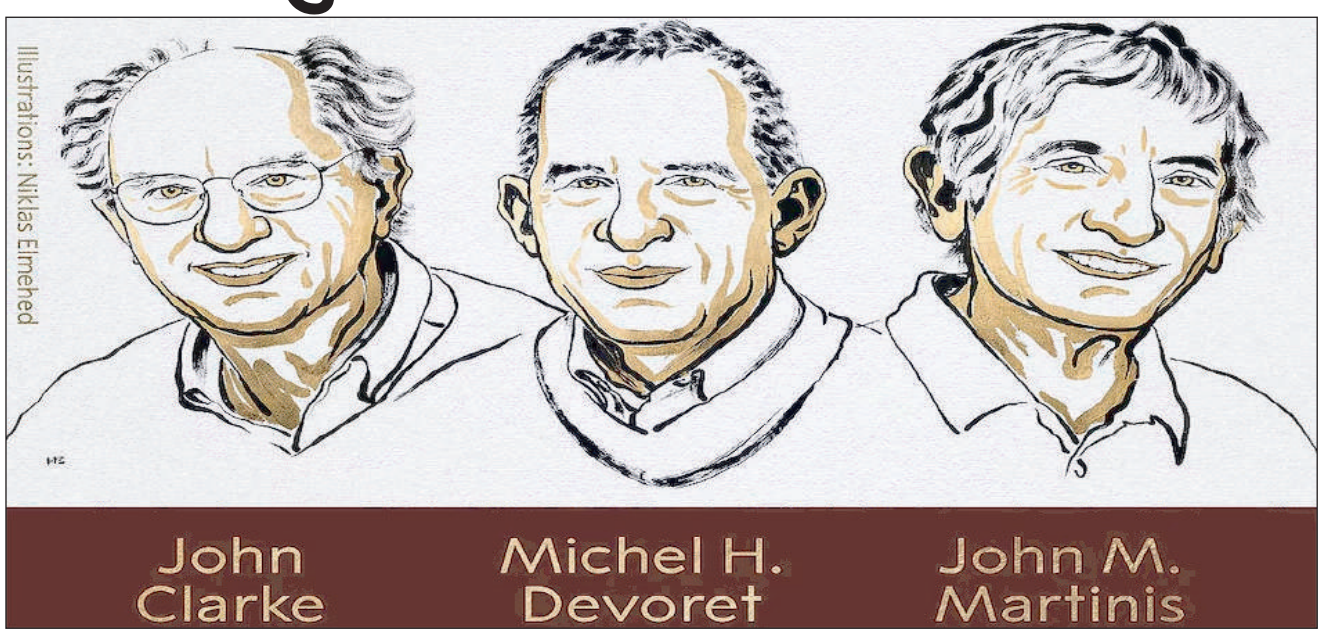

डॉ विजय गर्ग

भारत में काम करने वाले एक भारतीय वैज्ञानिक को किसी विज्ञान (भौतिकी, रसायनशास्त्र या चिकित्सा) में नोबेल पुरस्कार मिला है। सी. वी. रामन भारत में काम करते समय ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं (1930, भौतिकी)। प्रोफेसर का तर्क है कि कारण केवल वित्तपोषण की कमी से परे हैं: यह भारतीय विज्ञान में संस्थागत संस्कृति, नेतृत्व और दृष्टि का एक गहरा मुद्दा है।

प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई

1। भर्ती और संस्थागत संस्कृति

भारत में प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का एक बड़ा पूल है, लेकिन अनुसंधान संस्थानों में अकादमिक पद सुरक्षित करने के लिए कई संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच, संस्थानों में कई संकाय सदस्य दूरदर्शी अनुसंधान के बजाय वृद्धिशील शोध करते हैं।

वैज्ञानिकों की भर्ती और नियुक्ति के मानदंड अक्सर पारदर्शिता से वंचित होते हैं: संबंध, क्षेत्रीय पक्षपात, प्रायोजन शुद्ध योग्यता के बजाय एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

नियुक्ति के बाद भी युवा वैज्ञानिक अक्सर उपकरण, अंतरिक्ष और छात्रों के लिए लड़ने में बहुमूल्य समय और ऊर्जा बिताते हैं। नौकरशाही और प्रशासनिक बोझ रचनात्मक, जोखिम लेने वाले शोध के लिए समय कम करते हैं।

अनुसंधान प्रोत्साहन और संस्कृति

उच्च प्रभाव वाले, सफलतापूर्ण कार्य के बजाय प्रकाशनों की मात्रा, पुरस्कार और पदक पर जोर दिया गया है। मेट्रिक्स दृश्यता और मात्रा हैं, जरूरी नहीं कि परिवर्तनकारी खोज।

नतीजतन, कई शोधकर्ता साहसिक, दीर्घकालिक, उच्च जोखिम वाले काम के बजाय सुरक्षित विषयों या वृद्धिशील अनुसंधान का अनुसरण करते हैं - जो अक्सर नोबेल स्तर की सफलताओं पर आधारित होता है।

इसके अलावा, संस्थागत नेतृत्व अक्सर प्रयोग और कट्टरपंथी नवाचार पर नियंत्रण, अनुपालन और रखरखाव पर जोर देता है। ₹मुख्य समस्या यह बनी हुई है कि शिक्षाविदों की वर्तमान प्रकृति परिवर्तन का प्रतिरोधी है और दूरदर्शी लोगों को रोकती है

वित्तपोषण, पैमाने और राष्ट्रीय अनुसंधान निवेश

अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में सार्वजनिक निवेश मामूली है: भारत में हाल के वर्षों में यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6 - 0.8 प्रतिशत रहा है, जो कई उन्नत देशों के स्तर से बहुत नीचे है।

भारत में पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या, जनसंख्या के सापेक्ष वैश्विक औसत से काफी कम है। इससे ₹प्रतिभा पूल₹ कम हो जाता है जिससे भविष्य का नोबेल पुरस्कार विजेता उभर सकता है।

कुछ निर्णय लेने, खरीद और संस्थागत प्रक्रियाएं नौकरशाही के कारण बोझिल होती हैं, जिससे उपकरण प्राप्त करने में देरी हो जाती है तथा समय पर अनुसंधान में बाधा आती है। उदाहरण: कथित तौर पर कुछ प्रमुख भारतीय संस्थानों में खरीदें कई महीने लगती हैं।

नेतृत्व, दृष्टि और पीढ़ीगत नवीनीकरण

लेखक का तर्क है कि भारत को ₹होमी भाभा और विक्रम साराभाई की भावना में दूरदर्शी वैज्ञानिकों₹ की आवश्यकता है जो न केवल उत्कृष्ट विज्ञान करते हैं, बल्कि शोध को बढ़ावा देने वाले संस्थान भी बनाते हैं।

उन्होंने युवा नेतृत्व (लगभग 40-50 वर्ष की आयु के वैज्ञानिकों) को प्रमुख भूमिकाएं देने का आह्वान किया है, ताकि नए विचार, तात्कालिकता और वैश्विक दृष्टिकोण भारतीय विज्ञान को आकार दे सकें।

नोबेल स्तर के विज्ञान के लिए ये मुद्दे क्यों महत्वपूर्ण हैं

विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए न केवल व्यक्तिगत प्रतिभा बल्कि एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है: अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, उच्च जोखिम वाले विचारों का पीछा करने की स्वतंत्रता, दीर्घकालिक क्षितिज, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षित वृद्धिवाद के बजाय कट्टरपंथी सोच को संस्थागत प्रोत्साहित करना। उपरोक्त कई समस्याएं भारत में इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। जैसा कि एक्सप्रेस लेख में कहा गया है

"संक्षेप में, भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान में सार्थक परिवर्तन के लिए शिक्षाविदों को सरकार की दृष्टि के अनुरूप सुधार करने की आवश्यकता होती है... जब तक कि इस प्रणाली का विघटन नहीं किया जाता और पारदर्शी भर्ती, योग्यता-आधारित वित्तपोषण और दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, तब तक भारत संभावनाओं की भूमि बने रहेगा हालिया उत्साहवर्धक संकेत

यह सब नकारात्मक नहीं है। उदाहरण के लिए, इकॉनॉमिक टाइम्स लेख में दो नोबेल पुरस्कार विजेताओं (डेविड मैकमिलन और जेम्स रॉबिन्सन) ने बताया कि भारत वैज्ञानिक सफलताओं के लिए ₹प्रशस्तर है - टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशनल रिसर्च जैसे संस्थानों पर मजबूत काम चल रहा है। इससे पता चलता है कि संरचनात्मक नींव में सुधार हो सकता है, हालांकि प्रमुख प्रणालीगत सुधार बने हुए हैं।

क्या किया जा सकता है: प्रस्तावित सुधार

लेख की तर्कों के आधार पर, सुधार के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं

मेरिट-आधारित, पारदर्शी भर्ती: संकाय और नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रियाओं में सुधार करें ताकि उत्कृष्टता और नवाचार को पुरस्कृत किया जाए तथा नेपोटिज्म/क्षेत्रीय पूर्वाग्रह कम हो जाएं।

साहसिक अनुसंधान के लिए वित्तपोषण और प्रोत्साहन: आरएंडडी खर्च में वृद्धि (जीडीपी का अक्सर उद्धृत लक्ष्य ₹3% की ओर), दीर्घकालिक मौलिक शोध का समर्थन (केवल लागू नहीं) तथा उपकरणों, यात्राओं और प्रयोगों पर नौकरशाही बाधाओं को कम करना।

संस्थागत संस्कृति परिवर्तन: सफलता की मेट्रिक के रूप में प्रकाशनों/पुरस्कारों का पीछा करने से दूर होकर उत्कृष्ट गुणवत्ता, मौलिकता और वैश्विक प्रभाव को महत्व देना।

नेतृत्व नवीनीकरण: वैज्ञानिक प्रशासन में युवा नेताओं को सीटें दें, ताकि संस्थान वैश्विक मानकों के अनुकूल हो सकें, जोखिम उठाने को प्रोत्साहित कर सकें और दूरदर्शी कार्यक्रम बना सकें।

शोधकर्ता आधार और सहयोग बढ़ाएं: पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या का विस्तार करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दें, ऐसे माहौल को बढ़ावा दें जहां भारत मस्तिष्क-निर्वाह के बजाय अपनी सर्वोत्तम प्रतिभा बनाए रख सके।

निष्कर्ष

संक्षेप में, जबकि भारत के पास कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और कुछ उत्कृष्ट संस्थान हैं, लेख का तर्क है कि भारत की विज्ञान प्रणाली अभी तक नोबेल स्तर पर सफलता प्राप्त करने के लिए आदर्श रूप से तैयार नहीं है। बाधाएं प्रतिभा के बारे में कम हैं और अधिक संस्थागत निष्क्रियता, स्पष्ट योग्यता-आधारित मार्गों की कमी, उच्च जोखिम वाले विचारों के लिए सीमित स्वतंत्रता और अपर्याप्त पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन। यदि भारतीय विज्ञान भर्ती प्रथाओं को सुधार सकता है, मौलिक अनुसंधान में साहसिक रूप से निवेश कर सकता है, नेतृत्व को ताज़ा कर सकता है और सुरक्षित अनुपालन के बजाय साहसी खोज की संस्कृति का निर्माण कर सकता है तो कई दशकों की ₹संभावित₹ ठोस खोज बन सकती है - तथा अंततः शायद नोबेल पुरस्कार।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रमुख शैक्षिक स्तंभकार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् मलोट पंजाब

शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्यों को समझना

डॉ विजय गर्ग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप देश के सामने नई दृष्टि के साथ प्रस्तुत हुआ, जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली को समग्र रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया है। यह दावा किया गया कि यह इक्कीसवीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इस पर कोई विवाद भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार 1986 में बनी नीति को केवल 1992 में संशोधित किया गया था। लगभग तीन दशकों के लंबे अंतराल के बाद बनी यह नीति भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के समसामयिक संदर्भों को ध्यान में रखकर रची गई है। पर सवाल यह है कि पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी नई शिक्षा नीति देश भर में प्रभावी और समान रूप से लागू क्यों नहीं हो पाई है? आज भी विभिन्न राज्य नई शिक्षा नीति के विविध घटकों को अपने-अपने ढंग से अपनाने में व्यस्त हैं, जिससे शिक्षा के राष्ट्रीय मानक और रूप-रेखा असंतुलित हो रही है। नीति का उद्देश्य तो देश में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समावेशी शिक्षा व्यवस्था को साकार करना था, लेकिन इसके व्यावहारिक स्वरूप में अनेक अड़चनें हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधारभूत मंत्र है- समग्र शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान, तकनीक और नवाचार को एक साथ जोड़ने का प्रभावी प्रयास होना चाहिए। सरकार की मंशा रही है कि भारतीय दर्शन, संस्कृति और चिंतन की सनातन परंपरा केवल ग्रंथों तक सीमित न रहकर नई पीढ़ी की शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बने। भारत की आत्मा में ज्ञान, मूल्य और आध्यात्मिक दृष्टि का संगम सदा से रहा है और यह बरसों से हमारे देश का प्राण रहा है। अब शिक्षा के माध्यम से उसी आत्मा को आधुनिक युग के संदर्भों में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता समझकर शिक्षा नीति अमल में लाने का प्रयास है। मगर यह नीति

केवल विषयों और पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह शिक्षा की सोच, दृष्टि और उद्देश्य को नव - परिभाषित करने का प्रयास होना चाहिए। इसका लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जो सामाजिक न्याय, समान अवसर और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को सशक्त बनाए। नीति में 5+3+3+4 की संरचना लागू की गई है, जो बच्चों के मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के चरणों को ध्यान में रखती है।

यह व्यवस्था पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक क निरंतर और समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। सबसे बड़ी चुनौती राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय की है। शिक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसलिए नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, विभिन्न राज्यों में नीति को लागू करने की गति और इच्छाशक्ति में भिन्नता है, जिससे नीति का राष्ट्रीय स्वरूप कमजोर पड़ता दिख रहा है।

शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्यों को समझना और समाज कल्याण के मार्ग पर चलना रहा है। इस दृष्टि से यह नीति भारतीयता के पुनर्जागरण का माध्यम बन सकती है। मगर इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन- केंद्र स्थापित किए जाएं, पारंपरिक विद्वानों को नई तकनीक और शिक्षण पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा विद्यार्थियों को इन विषयों में उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाएं। नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को 'प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई है। यह विचार भारतीय भाषाई विविधता को सम्मान देता है और बच्चों की सोच तथा सीखने की क्षमता को मजबूत करता 1 मगर इस दिशा में भी व्यावहारिक जटिलताएं हैं। इसके साथ एक सामान्य भाषा - संपर्क भी आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, शोध और संवाद की एकरूपता बनी रहे। यह संतुलन ही भारत की बहुभाषिकता को सशक्त बनाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम सुधार नहीं, बल्कि एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज का निर्माण है। प्रत्येक राज्य और संस्था को निश्चित समय सीमा में नीति के बिंदुओं को लागू करने का दायित्व सौंपा जाए और उसकी प्रगति की नियमिक्षा हो, तभी नीति का लक्ष्य साकार हो सकता है। जब शिक्षा केवल परीक्षा और डिग्री केंद्रित न रहकर नवोन्मेष और विचारशीलता की दिशा में उन्मुख होगी, तभी भारत एक सशक्त ज्ञान राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक आवश्यकताओं के बीच सेतु का कार्य कर सकती है। यह नीति उस भारत की कल्पना करती है जो ज्ञान, मूल्य और नवाचार का प्रतीक बने। जब गुरु, विद्यार्थी और समाज तीनों इस दृष्टि को अपनाएंगे, तभी भारत उस ज्ञानभूमि के रूप में प्रतिष्ठित होगा, जिसकी प्रेरणा से पूरी मानवता मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

वृद्धाश्रम नहीं, सम्मानाश्रम चाहिए

विजय गर्ग

समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज जब जीवन की गति तेज़ हो गई है, रिश्तों में व्यावहारिकता ने भावनाओं की जगह ले ली है, तबहमारे सामने एक दर्दनाक सच्चाई उभरकर आई है — वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या। जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को पालने-पोसने में अपना जीवन खपा दिया, वही बुढ़ापे में अकेलेपन और उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति केवल सामाजिक नहीं, बल्कि नैतिक संकट का भी संकेत है।

हमारे समाज में बुढ़ापा कभी बोझ नहीं माना गया था। बुजुर्ग परिवार के मार्गदर्शक, अनुभव और परंपरा के प्रतीक माने जाते थे। घर के बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति घर को ₹घर₹ बनाती थी। लेकिन आधुनिक जीवनशैली, परमाणु परिवारों और व्यस्त दिनचर्या ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। अब कई जगह माता-पिता को 'जिम्मेदारी' के रूप में देखा जाने लगा है, और उनका अंतिम पड़ाव वृद्धाश्रम बन रहा है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल छत और खाना देने से बुढ़ापा सम्मानित हो जाता है? नहीं। उन्हें ज़रूरत है सम्मान, अपनापन और संवाद की। वृद्धाश्रम नहीं, सम्मानाश्रम चाहिए — ऐसा स्थान जहाँ बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उपेक्षित नहीं, बल्कि सम्मानित महसूस करें। जहाँ उनके अनुभवों को सुना जाए, निर्णयों में उन्हें शामिल किया जाए, और समाज उन्हें 'अतीत' नहीं बल्कि 'अनुभव के स्रोत' के रूप में देखे।

सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बुजुर्ग अकेलापन महसूस न करे। परिवारों में बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि माता-पिता की सेवा कोई दायित्व नहीं, बल्कि सौभाग्य है। समाज में ऐसी पहलें होनी चाहिए जो बुजुर्गों को फिर से सक्रिय और जुड़ा हुआ महसूस कराएँ — जैसे सामुदायिक केंद्र, वरिष्ठ नागरिक क्लब, या डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम।

अगर हम अपने बुजुर्गों को केवल आश्रय देंगे, तो वे जी लेंगे;

पर यदि हम उन्हें सम्मान देंगे, तो वे मुस्कुराते हुए जीएँगे।

इसलिए ज़रूरत वृद्धाश्रमों की नहीं, सम्मानाश्रमों की है — जहाँ हर बुढ़ापा गरिमा और प्रेम से जिया जा सके।

वृद्धाश्रम की कड़वी सच्चाई

वृद्धाश्रम, जिसे मजबूरी का दूसरा नाम कहा जा सकता है, अक्सर वृद्ध व्यक्तियों के लिए केवल भौतिक आश्रय प्रदान करता है, न कि मानसिक और भावनात्मक सहारा।

* अकेलापन और उपेक्षा: कई बुजुर्ग यहाँ अपनों से दूर होने का गहरा दर्द झेलते हैं। बच्चों द्वारा छोड़े जाने की भावना उन्हें भीतर से तोड़ देती है।

* निम्न-गुणवत्तापूर्ण जीवन: भले ही कुछ वृद्धाश्रम बेहतर सुविधाएँ देते हों, लेकिन कई जगह भोजन, साफ-सफाई और व्यक्तिगत देखभाल की गुणवत्ता खराब होती है, जैसा कि अक्सर रिपोर्टों में सामने आता है।

* दुर्व्यवहार और दुरुपयोग: कुछ संस्थानों में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, उनके पैसों का दुरुपयोग, या उनकी देखभाल में लापरवाही की शिकायतें भी आती हैं।

* स्वतंत्रता का हनन: कार्यात्मक कौशल रखने वाले वृद्धों को भी कई बार दैनिक कार्यों से दूर रखा जाता है, जो उनकी स्वतंत्रता की भावना और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है।

✨ सम्मानाश्रम की परिकल्पना: आदर और उपयोगिता

सम्मानाश्रम की अवधारणा एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जहाँ बुजुर्गों को आश्रय के साथ-साथ सम्मान, स्नेह और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन मिले। यह केवल स्थान बदलने का नहीं, बल्कि नजरिया बदलने का आह्वान है।

* सम्मानजनक देखभाल: यहाँ बुजुर्गों को परिवार के मुखिया के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि आश्रितों के रूप में। उनकी जरूरतों को पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

* सक्रिय भागीदारी: बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान को समाज के लिए एक मूल्यवान संसाधन माना जाना चाहिए। उन्हें उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार सक्रिय और उत्पादक रहने के अवसर मिलने चाहिए।

* उदाहरण: वे युवाओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं, कौशल सिखा सकते हैं (जैसे सिलाई, बागवानी, कला), या संस्था के प्रबंधन में सहयोग कर सकते हैं।

* पारिवारिक जिम्मेदारी: सबसे महत्वपूर्ण सम्मानाश्रम तो घर ही होना चाहिए। बच्चों और परिवारों को समझना होगा कि माता-पिता का स्थान किसी भी संस्था से ऊपर है। उनका सम्मान और देखभाल हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

*सामाजिक समावेश: सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और समाज को मिलकर ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न होने दें और उन्हें सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें।

निष्कर्ष : आज जब पश्चिमी संस्कृति की देखा-देखी और भौतिकवादी सोच के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, तब ₹वृद्धाश्रम नहीं, सम्मानाश्रम चाहिए₹ का नारा एक जागरण-गीत की तरह है। यह हमें याद दिलाता है कि बुजुर्गों को केवल रोटी और छत की नहीं, बल्कि आदर, स्नेह और उपयोगिता की भावना की सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्हें वृद्धाश्रम में 'छोड़ने' के बजाय, उनके अनुभवों से सीखने और उन्हें अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाए रखने की आवश्यकता है। यह हमारे समाज की मानवीयता और संस्कृति की असली पहचान है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

कहानी: उम्मीदों का 'डाकघर'

डॉ विजय गर्ग

काश, मैं होता... कितना

गिलहरी अच्छा होता...। अंकल आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं ।' यह संवाद है रवींद्रनाथ ठाकुर के नाटक

'डाकघर' के किरदार अमल का।

रवींद्रनाथ ठाकुर ने नाटक 'डाकघर' को नोबेल पुरस्कार मिलने से एक साल पहले 1912 में लिखा था। मूल बांग्ला में लिखे इस नाटक का अगले साल अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। डबलिन के एबे थिएटर में डब्लूबी गेट्स और लेडी ग्रेगरी के निर्देशन में नाटक के मंचन के बाद इसे दुनिया भर में मशहूरी मिली। इस नाटक का मंचन महात्मा गांधी ने भी देखा था। महात्मा गांधी अमल के संवेदनशील किरदार से बहुत प्रभावित हुए थे।

इस नाटक को कई भाषाओं के बच्चों ने अपने- अपने भाव के साथ मंच पर खेला। हर जगह नाटक खत्म होने के बाद दर्शकों को अहसास ही नहीं होता, कब पर्दा गिर गया। दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक समझ नहीं पाते थे कि अपनी हथेलियों से आंसू पोछें या ताली बजाएं।

यह नाटक छोटे बच्चे अमल पर केंद्रित है, जो बहुत बीमार है। अमल के चाचा ने उसे गोद लिया है। अमल के वैद्य ने उसे बाहर निकलने से परहेज करने की हिदायत दी है। वैद्य का कहना है कि बाहर का मौसम उसकी बीमारी को बढ़ा देगा। अमल अपने बिस्तर पर कैद सा है और बाहर की दुनिया से संपर्क

के लिए उसके पास एक खिड़की भर है। अमल अपनी खिड़की से ही दही बेचनेवाले व अन्य लोगों से दोस्ती करता है। खिड़की से ही वह सुधा नाम की लड़की से भी दोस्ती करना चाहता है, जो फूल बेचनेवाले की बेटी है।

खिड़की के जरिए गांव का चौकीदार अमल को उस डाकघर के बारे में बताता है जो राजा का है। यह डाकघर अमल के घर के पास बनने वाला है। डाकघर के बारे में पता चलते ही अमल को उम्मीद हो जाती है कि राजा उसे चिट्ठी भेजेगा। गांव का मुखिया अमल की भावना से खेलता है और एक खाली कागज को राजा का खत बताता है। अमल सोच लेता है कि वह राजा से उपहार के तौर पर इस डाकघर का डाकिया होना मांगेगा। राजा के आने और डाकघर का डाकिया बनने की उम्मीद के बीच अमल की मौत हो जाती है। जब अमल की मौत होती है, उसी वक्त सुधा उसके लिए फूल लेकर आती है।

नाटक में एक कमजोर बाल शरीर आशा और कल्पनाशीलता से अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बनाए रखता है। डाकघर प्रतीक है सकारात्मक संदेश का निराशा के माहौल में कल्पनाशीलता की ऊर्जा भरने के कारण ही पेरिस पर नाजियों के कब्जे से एक रात पहले रेडियो पर इस नाटक का फ्रेंच अनुवाद सुनाया गया था। अमल से मिलने वाली मानसिक ऊर्जा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जर्मनी के यातना शिविरों में इसका मंचन किया जाता था। लोगों को यातना शिविर के आगे उम्मीदों का डाकघर दिखता था।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

धर्मनिरपेक्ष भारत में आस्था पर पहरा: क्या धर्मांतरण विरोधी कानून आवश्यक हैं?

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून: धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक चुनौती

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के नाम पर लागू किया गया है, परंतु इनका वास्तविक प्रभाव नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण के रूप में उभर रहा है। ये कानून न केवल धर्म परिवर्तन को प्रशासनिक अनुमति से जोड़ते हैं बल्कि अंतर्धार्मिक विवाहों और अल्पसंख्यक समुदायों पर भी प्रतिकूल असर डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता की भावना इन कानूनों से आहत होती है। लोकतांत्रिक भारत के लिए आवश्यक है कि राज्य नागरिक की आस्था का संरक्षक बने, नियंत्रक नहीं। आस्था पर पहरा नहीं, सम्मान होना चाहिए।

- डॉ सत्यवान सौरभ

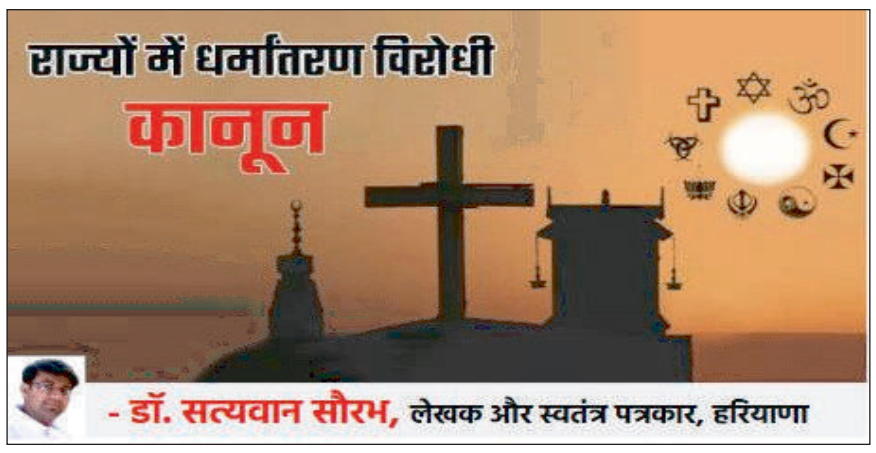

भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसकी पहचान उसकी धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। परंतु हाल के वर्षों में देश के अनेक राज्यों में बनाए गए "धर्मांतरण विरोधी कानून" ने इस संवैधानिक गारंटी को गंभीर प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया है।

इन कानूनों का उद्देश्य यह बताया जाता है कि वे बल, प्रलोभन या कपट से किए गए धर्मांतरणों को रोकने के लिए बनाए गए हैं, किंतु व्यवहार में इनका दायरा इतना व्यापक और अस्पष्ट है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंतर्धार्मिक विवाहों और अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दमनकारी प्रभाव डालते हैं।

भारत में धर्मांतरण का प्रश्न स्वतंत्रता-पूर्व काल से ही विवादास्पद रहा है। अंग्रेज़ी शासनकाल में कई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। स्वतंत्रता के बाद 1954 में संसद में "धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक" प्रस्तुत किया गया था, किंतु वह पारित नहीं हो सका।

हालाँकि, कुछ राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर ऐसे कानून बनाए — ओडिशा (1967) पहला राज्य था जिसने 'धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' पारित किया। इसके बाद मध्यप्रदेश (1968), अरुणाचल प्रदेश (1978), छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने भी समान प्रकार के कानून बनाए। इन सभी अधिनियमों का मूल उद्देश्य "जबरन या धोखे से धर्मांतरण रोकना" बताया गया है, परंतु उनके प्रावधानों की व्याख्या के तरीके ने संविधान की मूल भावना पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(1) प्रत्येक व्यक्ति को "धर्म की स्वतंत्रता" का अधिकार देता है। इसमें तीन मूल तत्व हैं — किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसका पालन करने की स्वतंत्रता, और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह अधिकार राज्य के सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, परंतु इन सीमाओं का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता बनाए रखना है।

अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। धर्मांतरण विरोधी कानून इन दोनों अधिकारों के साथ भी टकराते हैं क्योंकि ये नागरिकों के व्यक्तिगत निर्णय, आस्था और वैवाहिक चयन में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों की तरह "राज्य और धर्म के पूर्ण पृथक्करण" पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है — जिसमें राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाता। परंतु धर्मांतरण विरोधी कानूनों के माध्यम से राज्य जब किसी धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता पर शर्तें, अनुमति और दंड लगाने लगता है, तो वह अपने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से भटक जाता है।

इन कानूनों में प्रायः यह प्रावधान होता है कि जो व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है, उसे पहले जिलाधिकारी को सूचना देना और अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया स्वयं में संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का उल्लंघन है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आस्था का निर्णय उसकी अंतरात्मा का विषय है, न कि सरकारी अनुमति का।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों का सबसे गहरा असर अंतर्धार्मिक विवाहों पर पड़ा है। कई राज्यों ने इन कानूनों को तथाकथित "लव जिहाद" की अवधारणा से जोड़ दिया है — जिसमें यह प्रचारित किया जाता है कि एक धर्म विशेष के लोग विवाह के माध्यम से दूसरे धर्म की महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं।

इस धारणा के आधार पर बनाए गए कानून, जैसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021; मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021; और हरियाणा धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2022 — इनमें यह प्रावधान है कि यदि विवाह धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया है, तो वह अवैध और शून्य घोषित किया जा सकता है।

इससे दो प्रमुख समस्याएँ उत्पन्न होती हैं — पहली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हननः प्रेम या विवाह व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद है। राज्य को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को किस धर्म में विवाह करना है। दूसरी, सामाजिक विभाजनः ऐसे कानून समाज में धार्मिक अविश्वास, भय और घृणा को बढ़ावा देते हैं, जिससे अंतरधार्मिक मेलजोल और सद्भाव प्रभावित होता है।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाई और मुस्लिम समाज पर पड़ता है। ईसाई मिशनरियों पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से "प्रलोभन देकर धर्मांतरण" कराते हैं। इस कारण उनके सामाजिक कार्यों पर लगातार निगरानी और उत्पीड़न बढ़ा है। मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में यह प्रचारित किया जाता है कि वे "लव जिहाद" के माध्यम से धर्मांतरण कराते हैं, जिससे मुस्लिम युवकों को झूठे मामलों में फँसाने की घटनाएँ बढ़ी हैं। इसके परिणामस्वरूप इन समुदायों में भय और असुरक्षा का वातावरण बना है। अनेक बार धर्मांतरण की झूठी अफवाहें फैलाकर भीड़ हिंसा की घटनाएँ हुई हैं, जो लोकतांत्रिक भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है।

भारतीय न्यायपालिका ने इस विषय पर कई बार टिप्पणी की है। रेवरेंड स्टैनिसलॉ बनाम मध्यप्रदेश राज्य (1977) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "धर्म प्रचार का अधिकार धर्मांतरण का अधिकार नहीं है।" हालाँकि उस समय का संदर्भ जबरन धर्मांतरण से जुड़ा था। हादीया केस (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि "किसी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म और जीवनसाथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है।" लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) में कोर्ट ने कहा कि अंतर्धार्मिक विवाह संविधान द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत अधिकार है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अदालतें धर्मांतरण के जबरन या धोखे से किए जाने का विरोध करती हैं, किंतु स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन या अंतर्धार्मिक विवाह को पूर्णतः व्यक्ति की स्वतंत्रता मानती हैं।

धर्मांतरण विरोधी कानून केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक औजार भी बन गए हैं। कुछ राजनीतिक दल इनका प्रयोग अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। धार्मिक पहचान को राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनावी लाभ लेना इन कानूनों का अप्रत्यक्ष उद्देश्य बन चुका है। इस कारण सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहुधार्मिक देश में किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य यह नहीं कि वह व्यक्ति की आस्था पर नियंत्रण करे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि किसी को भी उसके धर्म या विश्वास के कारण भेदभाव या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

अंततः यह कहा जा सकता है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वर्तमान संरचना भारतीय संविधान की आत्मा — स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता — के विरुद्ध जाती है। यदि इन कानूनों को केवल बलपूर्वक या छल से किए गए धर्मांतरण तक सीमित रखा जाए, तो वे न्यायसंगत माने जा सकते हैं; परंतु जब ये व्यक्ति की निजी आस्था, विवाह और जीवन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगते हैं, तब वे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए खतरा बन जाते हैं।

इसलिए आवश्यक है कि भारत में धर्मांतरण संबंधी कानूनों की पुनः समीक्षा की जाए, उन्हें संविधान के अनुरूप ढाला जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कानून धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की भावना को कमजोर न करे। धार्मिक विविधता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, और इस विविधता की रक्षा ही हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति का प्रमाण है।

विश्व अनाथ दिवस - 25 समारोह

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: इंजी. प्रो. डॉ. प्रसन्न कुमार स्वैन (डॉ. प्रसन्नजी)। श्री जगन्नाथ चेतना गवेषक ने सुदूर बालासोर में "विश्व अनाथ दिवस" - 25 समारोह में सुबह के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में और दोपहर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। योगाचार्य अनम मुनि महाराज की संस्था द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता अनम मुनि महाराज ने की। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया, बड़ी संख्या में अनाथ बच्चों ने भाग लिया, अनाथ बच्चों ने अपनी विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। अंत में इंजी. प्रो. डॉ. प्रसन्न कुमार स्वैन (डॉ. प्रसन्नजी) और योग गुरु अनम मुनि महाराज एवं अन्य अतिथियों ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तियों को सम्मानित किया।

सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है:शिबराज सिंह

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय फसल योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने यह बात सोमवार को कटक के विद्याधरपुर स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में आयोजित कृषि एवं किसान विकास कार्यक्रम में कही।कार्यक्रम में शिवराज ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्रीय कृषि मिशन पर ज़ोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री धन-धन कृषि योजना पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय फसल योजना के तहत उत्पादन बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत का कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।

जाड़ा आया रे

ठंडी-ठंडी चलती बयार,
धूप भी लगती अब गुलजार।
कप-कप काँपे हाथ-पैर,
माँ बोले — पहन ले स्वेटर ढेर।

सुबह नहाने का मन न करे,
भाप निकलती हर साँस भरे।
चाय-पकौड़े की मस्त खुशबू,
रजाई बोले — मत निकल तू।

धूप में बच्चे खेलें जाएँ,
टोपी-मफलर खूब पहनाएँ।
जाड़ा लाया मस्ती प्यारी,
लाल-गुलाबी हर क्यारी।

गिलहरी कूदे डाल-डाल,
सूरज निकले तो खुशहाल।
बोलो सब मिल प्यारे-प्यारे —
"जाड़ा आया रे, जाड़ा आया रे!"

- डॉ प्रियंका सौरभ

करों विभीषणों की खोज...!

अब करों देश के विभीषणों की खोज,
यारों बहुत ज्यादा करी है इन्होंने मौज।
बहुत सह ली हैं देश ने नापाक हरकतें,
ना जाने कितने सीमा पर भी मर मिटे।

धमाकों से 'दहशत' फैला रहा पड़ोसी,
किस-किसकी नियत में है खोट कैसी।
नहीं पता चलता बात हैं जैसे जरा-सी,
देश के गद्दारों की अब तो हो निकासी।

यूं खूब लगेगी निर्दोषों की बद-दुआएं,
अब तो यहीं नामाकूल पाएंगे सजाएँ।
बिन वजह बहाया लहू हुई मिट्टी लाल,
बच न पाए कोई आँका आएगा काल।
(संदर्भ-लाल किले के पास धमाका)

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

कार्बन घटाने से हरित अर्थव्यवस्था तक : कॉप -30 की चुनौतियां और अवसर

30 वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉप-30(कॉनफ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़), 10 नवंबर 2025 से ब्राज़ील के बेलेम में शुरू हो गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व के 200 देशों के 50,000 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए बताये जा रहे हैं तथा यह सम्मेलन 21 नवंबर 2025 तक चलेगा। पाठकों को जानकारी देता चलूं कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब वैश्विक तापमान(ग्लोबल वार्मिंग) ने नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं और चरम मौसम सहित जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभाव दुनियाभर में लोगों पर लगातार असर डाल रहे हैं। यहां पर यदि हम कॉप की बात करें तो कॉप का मतलब है-'पार्टियों का सम्मेलन।' सरल शब्दों में कहें तो कॉप एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है, जहाँ दुनिया भर के देश मिलकर यह तय करते हैं कि पृथ्वी को गर्म होने से कैसे बचाया जाए ? दरअसल,यह संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशंस) द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के तहत हर साल आयोजित किया जाता है। वास्तव में इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को एक मंच पर लाना है। इसमें हर देश के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और नेता मिलकर यह तय करते हैं कि कैसे कार्बन उत्सर्जन घटाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग कम की जाए, और पेरिस समझौते जैसे वादों को पूरा किया जाए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम कॉप सम्मेलन यानी 'पार्टियों का सम्मेलन' का आयोजन सन-1995 में बर्लिन (जर्मनी) में हुआ था, जिसमें विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की दिशा में काम करने का आह्वान किया गया था तथा बर्लिन मैंडेट को अपनाया गया था, जिसने भविष्य में उत्सर्जन घटाने के लिए ठोस समझौतों का रास्ता खोला। गौरतलब यह भी है कि इसी सम्मेलन के बाद आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल (1997) जैसे महत्वपूर्ण जलवायु समझौते बने। बहरहाल, कॉप

वार्षिक शिखर सम्मेलन उन देशों को एक साथ लाता है, जिन्होंने 1992 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि, जो कि 3 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो (ब्राज़ील) में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अपनाई गई थी और 21 मार्च 1994 से लागू हुई, पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का मुख्य उद्देश्य सभी देशों को मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध करना है। दरअसल इस संधि का उद्देश्य है -वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना, जिससे जलवायु प्रणाली पर मानवीय प्रभाव खतरनाक न हो।इसमें विकसित देशों पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वे पहले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने की दिशा में कदम उठाएँ, क्योंकि उन्होंने कहीं अधिक प्रदूषण फैलाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व के विकसित/अमीर देश आज ग्लोबल वार्मिंग में कहीं अधिक योगदान दे रहे हैं और उनकी अधिक जिम्मेदारी बनती है कि वे इस समस्या का हल निकालने की दिशा में अधिक सक्रिय होकर काम करें, लेकिन विडंबना है कि इस सम्मेलन में हर बार वित्त को लेकर बात का हल नहीं निकल पाता है। उल्लेखनीय है कि कॉप शिखर सम्मेलन में वित्त (क्लाइमेट फाइनेंस) पर चर्चा हमेशा एक मुख्य और आम विषय रही है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर कॉप बैठक में यह मुद्दा उठता है कि विकसित देश गरीब या विकासशील देशों को कितनी आर्थिक सहायता देंगे ताकि वे ग्रीन एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) को बढ़ावा दे सकें, कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपाय कर सकें, और जलवायु आपदाओं से निपटने की तैयारी कर सकें। यहां पाठकों को बताता चलूं कि 2009 के कोप-15 (कोपेनहेगन सम्मेलन) में यह तय किया गया था, कि विकसित देश हर साल 100 अरब डॉलर की जलवायु सहायता देंगे। बाद के लगभग हर कॉप सम्मेलन में यह सवाल दोहराया गया कि यह वादा कितना पूरा हुआ और भविष्य में वित्तीय सहायता को और कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर अब तक कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है।हाल फिलहाल, इस सम्मेलन में नये वादे करने की बजाय इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले सम्मेलनों में किए गए वायदों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यहां पाठकों को बताता चलूं कि कॉप-28 और कॉप-29 दोनों सम्मेलनों ने दुनिया को हरित ऊर्जा की ओर मोड़ने, कार्बन उत्सर्जन कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया था। इन वादों का लक्ष्य न केवल जलवायु संकट को रोकना था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ पृथ्वी का निर्माण करना भी था।कॉप-28 में सभी देशों को नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने, ऊर्जा दक्षता की दर को दोगुना करने, तथा अविनाशित जीवाश्म ईंधन (कोयला/तेल/गैस) पर निर्भरता कम करने की दिशा में अग्रसर होने पर जोर दिया गया था, तथा कॉप-29 सम्मेलन में देशों ने एक खास समझौता किया जिसे 'ग्लोबल कूलिंग प्लेज' कहा गया। इसका मतलब है कि दुनिया के सभी देश मिलकर इस बात का प्रयास करेंगे कि एयर कंडीशनर, फ्रिज, और दूसरे ठंडक देने वाले उपकरणों से होने वाला प्रदूषण और गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए। दरअसल, इन उपकरणों/मशीनों में इस्तेमाल होने वाले शीतलक (कूलेंट्स) वातावरण में जाने पर जलवायु को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं।इसलिए कॉप -29 में तय किया गया कि साल 2050 तक इन शीतलक गैसों से होने वाला उत्सर्जन लगभग 68% तक घटाया जाएगा। मतलब यह है कि धरती पर ग्लोबल वार्मिंग ने हो या कम से कम हो, साथ ही साथ मनुष्य को दुविधा भी न हो, तथा पर्यावरण की रक्षा भी हो जाए, ऐसे उपायों पर चर्चा की गई थी। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज संपूर्ण विश्व में जीवाश्म ईंधन एक बड़ी समस्या के रूप

में उभरकर सामने आ रहा है, हालांकि समय के साथ इसका प्रयोग कुछ हद तक कम किया जाने लगा है। धरती पर से जंगल भी अपेक्षाकृत कम हुए हैं। इतना ही नहीं,हम तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में अब तक असफल ही रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने यह बात कही है कि-' वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने में हम सफल नहीं रहे हैं, जो हमारी नैतिक विफलता और लापरवाही है।अब तमाम नेताओं को सहमति बनानी ही होगी। खास तौर से तब, जब उत्सर्जन पिछले साल एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया हो।' वास्तव में, ऐसे सम्मेलनों में जलवायु वित्त भी हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है और इस बार भी निश्चित ही यह एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। गौरतलब है कि कॉप 29 में 2035 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य था, कॉप 30 में इसे अंतिम रूप दिया जाना है। हाल फिलहाल जलवायु वित्त मुद्दे पर यदि अमेरिका पीछे हटता है तो इससे इस सम्मेलन के लक्ष्यों पर कहीं न कहीं असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स बतातीं हैं कि ट्रंप सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर काम कम कर दिया था। उसने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया, जलवायु से जुड़ी रिसर्च के लिए मिलने वाला पैसा घटा दिया और कई नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर और पवन ऊर्जा) की योजनाएं रोक दीं। इसे दुखद ही कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता से मुंह मोड़ रहे हैं। वास्तव में, इससे पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों को नुकसान पहुँचा है। कहना ग़लत नहीं होगा कि कॉप-30 जलवायु सम्मेलन को लेकर इस बार पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के साथ-साथ दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश भी है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में उसकी नीतियाँ और प्रतिबद्धताएँ वैश्विक स्तर पर बड़ा असर डालती हैं।इधर, आज विश्व की जलवायु लगातार बिगड़ रही है।दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन से हालात खराब हैं और वैश्विक तापमान ने साल 2023 और 2024 में नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं।पाठक जानते होंगे कि तापमान हर दशक 0.27 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है और साल 2030 के आसपास इसके गंभीर परिणाम होने की संभावनाएं जताई जा रहीं हैं। इधर, विश्व में अनेक स्थानों पर लगातार आपदाओं पर आपदाएं आ रहीं हैं। प्रदूषण में हम कटौती नहीं कर पा रहे हैं। ग्लेशियर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्र का स्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है।दुनियाभर में जलवायु संकट के कारण चरम मौसमी घटनाएं जैसे कि बाढ़, तूफान, चक्रवात, भीषण गर्मी आदि जैसी घटनाएं हो रहीं हैं।हरित ऊर्जा पर भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जितना कि उस पर दिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि धरती की बदलती आबोहवा आज मानव अस्तित्व को चुनौती देने लगी है, फिर चाहे वह प्रदूषण के कारण हो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो या घटते वनों तथा प्रकृति के संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध दोहन करने के कारण हो। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि यह सम्मेलन विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन में वार्ता पेरिस समझौते के क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने तथा अनुकूलन योजनाओं आदि पर विशेष रूप से केंद्रित होगी।सम्मेलन में भारत भी अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डालेगा। गौरतलब है कि भारत ने निर्धारित समय से पहले ही 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लिया है और आज हमारे देश में हरित ऊर्जा में अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है। आंकड़े बताते हैं कि अब भारत की कुल ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट से अधिक है, जिसमें 256 गीगावाट स्वच्छ स्रोतों से मिल रही है। भारत ही नहीं विश्व के बड़े देश चीन ने भी अक्षय ऊर्जा में अपने निवेश में बढ़ोत्तरी की है,जो अच्छी बात है, लेकिन यह दुखद है कि आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे अमेरिका, अपनी जलवायु नीतियां लगातार बदल रही हैं। हाल फिलहाल, जैसे-जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, दुनिया में तापमान बढ़ने के साथ ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि कॉप-29 में विकासशील देशों को उत्सर्जन घटाने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता पर चर्चा हुई थी, लेकिन विकसित देश सिर्फ 300 अरब डॉलर सालाना देने पर सहमत हुए, जबकि मांग 1.3 ट्रिलियन डॉलर की थी। इसलिए इस बार इस सम्मेलन के दौरान यह मुद्दा फिर चर्चा में रहेगा। अंत में यही कहूंगा कि सभी देशों को अब उत्सर्जन घटाने का स्पष्ट रोडमैप बनाना ही होगा, भले ही विकसित और विकासशील देशों में मतभेद बने हुए हों।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड

बिहार में एनसीपी का उभरती तिगड़ी: डॉ. राजकुमार यादव, सूर्यकान्त सिँह एंव रंजन प्रियदर्शी के संयुक्त धमाकेदार प्रचार ने पलट दिए चुनावी समीकरण, एग्जिट पोल में चौंकाने वाली मजबूती !

अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की दूरदर्शी नीतियों को नई उड़ान: ओबीसी, अल्पसंख्यक, युवाओं और किसानों में लहर, तीसरे मोर्चे की दस्तक से सिहर उठी पुरानी सियासत

परिवहन विशेष न्यूज

डॉ राजकुमार यादव

सूर्यकान्त सिँह, प्रदेश अध्यक्ष -

रंजन प्रियदर्शी - अध्यक्ष चुनाव अभियान समिति (एनसीपी) बिहार

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होते ही एग्जिट पोल्स ने एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) — अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाली इस पार्टी ने न सिर्फ अपनी जड़ें मजबूत की हैं, बल्कि एग्जिट पोल्स में 1-3 सीटों की संभावित जीत के साथ बिहार की सत्ता समीकरण को पूरी तरह हिला दिया है। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक एवं स्टार प्रचारक डॉ. राजकुमार यादव की अगुवाई वाली प्रचार मशीनरी ने पहले और दूसरे चरण की हॉट सीटों पर ऐसी लहर पैदा की है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के खेमे में खलबली मच गई है। यह प्रचार अभियान न सिर्फ ओबीसी, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और युवाओं के बीच एनसीपी को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है, बल्कि एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से साबित हो रहा है कि बिहार की राजनीति अब लोकसभा में तीसरे मोर्चे की दहलीज पर खड़ी है!

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि डॉ. यादव का यह 'जन-क्रांति अभियान' बिहार की जाति-आधारित सियासत को तोड़ने वाला साबित होगा। एग्जिट पोल एजेंसीज — जैसे न्यूज18 मेगा पोल, इंडिया टुडे-मैट्राइज और डेली भास्कर — ने एनसीपी को 1-3 सीटों का अनुमान लगाया है, जो पार्टी के लिए ऐतिहासिक खाता खोलने के साथ-साथ गठबंधन की कुंजी बन सकता है। यह आंकड़े न सिर्फ एनसीपी की रणनीतिक सफलता को रेखांकित करते हैं, बल्कि पारंपरिक दलों की एकाधिकार को चुनौती देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के मतदाताओं की बदलती सोच को उजागर करते हैं। जहां एनडीए को 120-140 सीटों की मजबूत लीड मिल रही है, वहीं महागठबंधन 110-120 सीटों तक सिमटता नजर आ रहा है, लेकिन एनसीपी का यह उभार सत्ता गठन के समीकरण को जटिल बना देगा — संभवतः एक नई गठबंधन राजनीति का जन्म लेगा!

रणनीतिक प्रचार की आंधी के तहत पदयात्राओं से सभाओं तक, हर कदम पर बनी नई लहर

डॉ. राजकुमार यादव एंव उनकी टीम ने बिहार की धरती को छुआ तो ऐसा लगा मानो सूखी मिट्टी में बारिश हो गई हो। पहले चरण की प्रमुख सीटों — महुआ, बखरी, पटना साहिब और परसा — पर आयोजित पदयात्राओं में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। स्थानीय मुद्दों जैसे बाढ़ प्रबंधन, किसान कल्याण, रोजगार सृजन और शिक्षा सुधार पर केंद्रित सभाओं में डॉ. यादव ने गरजते हुए कहा, "बिहार की मिट्टी में दबी असमानताओं को मिटाने का वक्त आ गया है! एनसीपी यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं, विश्वास जीतने आई है। हमारी नीतियां ओबीसी की आवाज, अल्पसंख्यकों का हक और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करेंगी।" इन सभाओं में गूंजे नारे — "जय बिहार, जय जय बिहार — छीन के लेंगे बिहारियों के अधिकार!" — ने विपक्षी दलों को रातों की नींद उड़ा दी।

दूसरे चरण में मनिहारी, नरकटियागंज, सासाराम, दिनारा और मोहनिया जैसी संवेदनशील सीटों पर प्रचार ने माहौल को और गरमा दिया। सासाराम की विशाल सभा में युवाओं का जोश देखकर लग रहा था कि एनसीपी ने नई पीढ़ी का दिल जीत लिया है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक, इन सीटों पर एनसीपी का वोट शेयर 3 से 4% तक पहुंच गया है, जो ओबीसी और युवा मतदाताओं के ध्रुवीकरण का सीधा नतीजा है। बखरी (एससी) सीट पर एनसीपी उम्मीदवार विकास कुमार को एग्जिट पोल्स में मजबूत बढ़त मिल रही है, जो दलित वोटों की एकजुटता को दर्शाता है। यह प्रचार न सिर्फ उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ा रहा है, बल्कि पार्टी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है।

शीर्ष नेतृत्व का संयुक्त हमला: क्रांति की नींव, जाति-दीवारें तोड़ने का संकल्प

एनसीपी का यह अभियान अकेले डॉ. यादव का नहीं, बल्कि बिहार इकाई व पूरे शीर्ष नेतृत्व का सामूहिक प्रयास है। प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत सिंह ने इसे "बिहार के लिए राजनीतिक क्रांति" करार देते हुए कहा, "डॉ. यादव का प्रचार जातीय दीवारों को ध्वस्त कर असली राष्ट्रवाद की स्थापना करेगा। अजित पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब की नीतियां — सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेश और युवा सशक्तिकरण — अब बिहार की धरती पर फलेंगी।"

अभियान समिति अध्यक्ष रंजन प्रियदर्शी ने इसे "सामाजिक न्याय की असली जंग" बताया, जबकि ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने जोर देकर कहा, "समता और फुले के विचारों के अनुरूप हमारे प्रत्याशी चुने गए हैं। एग्जिट पोल्स साबित कर रहे हैं कि बिहार का ओबीसी समाज एनसीपी को अपना भविष्य मान रहा है।" राष्ट्रीय नेता जैसे गया प्रसाद सनोदिया (ददुआ पटेल), संदीप तिवारी और स्वदेश कांत मिश्रा भी सभाओं में सक्रिय रहे, जिनकी उपस्थिति ने अभियान को और जोरदार बनाया। इन नेताओं ने साफ संदेश दिया: एनसीपी अब बिहार में 'तीसरा पंक्ति' नहीं, बल्कि 'मुख्य धारा' का हिस्सा बनेगी!

एग्जिट पोल्स का धमाका के अन्तर्गत एनसीपी की अप्रत्याशित मजबूती, सत्ता समीकरण में नया मोड़

चुनाव समाप्ति के साथ जारी एग्जिट पोल्स ने एनसीपी को सरप्राइज पैकेज के रूप में पेश किया है। न्यूज18 मेगा एग्जिट पोल के अनुसार, एनसीपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें मनिहारी, नरकटियागंज और रामनगर जैसी सीटें प्रमुख हैं। इंडिया टुडे-मैट्राइज पोल ने इसे 1 से 3 सीटों तक बढ़ाया है, जबकि डेली भास्कर ने ओबीसी-प्रधान क्षेत्रों में 3 से 4% वोट शेयर का अनुमान लगाया। ये आंकड़े बताते हैं कि एनसीपी का प्रचार न सिर्फ वोट ट्रांसफर को रोक रहा है, बल्कि महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, "एनसीपी का यह उभार बिहार की राजनीति को बहुध्रुवीय बना देगा। अगर एनडीए को जितनी भी सीटें भी मिलें, तो एनसीपी के बिना सरकार स्थिर नहीं रहेगी।"

पार्टी सूत्रों की मानें तो पहले चरण में ही एनसीपी का वोट शेयर 3 से 4% तक पहुंच गया, और दूसरे चरण में यह ट्रेंड जारी रहा। यह सफलता डॉ. यादव के ग्रासरूट कनेक्ट, अजित पवार की राष्ट्रीय अपील और प्रफुल्ल पटेल की रणनीतिक दूरदृष्टि का परिणाम है। विशेषज्ञों के अनुसार, एनसीपी न सिर्फ विधानसभा में खाता खोलेगी, बल्कि भविष्य के लोकसभा व विधानपरिषद चुनावों में भी बिहार को अपना गढ़ बनाएगी।

बिहार की सियासत अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है — जहां एनसीपी जैसी पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर नई क्रांति ला रही हैं। एग्जिट पोल्स के ये संकेत साफ हैं: बदलाव की हवा बह रही है, और डॉ. राजकुमार यादव उसकी धारा में सबसे आगे हैं! क्या बिहार का भविष्य अब एनसीपी के हाथों में है? 14 नवंबर को आने वाले नतीजे ही फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल यह लहर रुकने का नाम नहीं ले रही।

जय बिहार!

पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जांच तेज कर दी है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

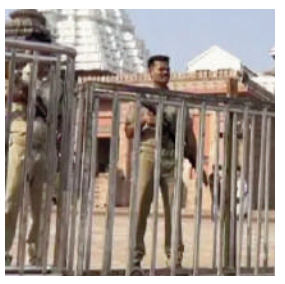

भूबनेश्वर: दिल्ली विस्फोट के बाद ओडिशा के मध्य क्षेत्र के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भुवनेश्वर, कटक, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, जाजपुर इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, समुद्र तट सभी हाई अलर्ट पर हैं। पुरी में श्रीमंदिर, बड़ादंड और समुद्र तट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कटक बाली यात्रा को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने जगह-जगह नाकाबंदी और जाँच बढ़ा दी है। चंद्रभागा और विश्व धरोहर कोणार्क सूर्य मंदिर के आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुरी की एसपी प्रत्यय सिंह ने कोणार्क पुलिस स्टेशन, चंद्रभागा मरीन पुलिस स्टेशन और रामचंडी पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

ओडिशा में हाई अलर्ट के बाद, बालासोर शहर के विभिन्न चौराहों पर नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस ने संवेदनशील इलाकों और आईटीआर, डीआरडीओ आदि के अंतर्गत आने वाले इलाकों पर कड़ी नज़र रखी है। इसके साथ ही, पूर्वी पुलिस के अंतर्गत आने वाले 5 समुद्री पुलिस स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्वी डीआईएजी पिनाक मिश्रा ने समुद्री पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। बालासोर को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर वेलोरा चौराहे पर बस्ता पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग गश्ती पुलिस द्वारा जाँच कड़ी कर दी गई है। देर रात यात्रा करने वाले सभी वाहनों को रोककर जाँच की गई और पहचान दस्तावेजों की भी जाँच की गई।

इसी तरह, आरपीएफ कटक रेलवे स्टेशन पर कड़ी जाँच कर रही है। टीम सभी यात्रियों के सामान की जाँच कर रही है। दिल्ली बम धमाकों के बाद, आरपीएफ ने कल रात से ही जाँच प्रक्रिया तेज़ कर दी है। आरपीएफ के जवान सामान स्कैनर और खोजी कुत्तों की मदद से जाँच कर रहे हैं।

पुरी जगन्नाथ मंदिर कोणार्क मंदिर को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। इसी तरह, पिपिली पुलिस पुरी के प्रवेश द्वार पिपिली टोल गेट के पास कड़ी जाँच कर रही है। पिपिली थाना अधिकारी सोमेंद्र शेखर त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम पुरी आने-जाने वाली कारों और वाहनों की जाँच और पूछताछ कर रही है।

राजनगर मरीन पुलिस स्टेशन भी हाई अलर्ट पर है। थाना अधिकारी के नेतृत्व में तलचुआ फेरी घाट पर जाँच की जा रही है। इस फेरी घाट से घुसपैठियों के प्रवेश करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। चूँकि यह स्थान एक तटीय जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए अन्य राज्यों से संदिग्धों द्वारा घुसपैठ की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए, मरीन पुलिस ने तत्परता दिखाई है।

झारखंड मना रहा 25 वां जन्म दिवस जहां विशेष दर्जे के ओड़िया आज भी उपेक्षित !

ये कैसा गणतंत्र ? ओडिया भाषा – स्कूल गायब ,ओड़िया लोगों का लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व ही समाप्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्तम्भ कार

आज झारखंड युवा हो चुका है वह अपना २५ वां स्थापना दिवस मनाने में व्यस्त है। तीन दिनों तक खुशी का माहौल है राज्य भर में चहुंओर। पर झारखंड का एक बड़ा भू भाग सौ साल पहले ओडिशा रहा वह इस कदर उपेक्षा का शिकार है कि लोकतंत्र भी शरमा जाय। जिसकी लडाई इसी माटी के उत्कलीय वीरों ने अपनी ढाल तलवारों के बाद कलम लेकर महान ओड़िया नेतृत्वकर्ता अधिवक्ता बैरिस्टर मधुसूदन दास आदि ने लडी। वह भी गोरे अंग्रेजों के विरूद्ध। झारखंड गठन के साथ बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश इलाके में से कहीं उपेक्षित झारखंड में ओड़िया है। अगर समानता का अधिकार संविधान देता है तो सवाल आता -आखिर ओड़िया उपेक्षित श्रेणी में यहां क्यों ?

एक षड्यंत्र रच कर तत्कालीन राजनीति कारणों से एकीकृत सिंहभूम (सरायकेला , खरसावां समेत) उड़िया भाषी क्षेत्र को अलग कराया गया था ठीक आजादी के पहले। आजादी के बाद सरायकेला , खरसावां को लूटा गया।

समुचा सिंहभूम कालांतर में टुकड़े -टुकड़े होने के बाद कभी देश यानी केंद्र तो आज विभिन्न प्रदेशों में शासित होकर तीन पूर्व प्रींन्सली स्टेट्स इलाका पोड़ाहाट , सरायकेला तथा खरसावां अब गरीबी, माओवादी इलाके में तब्दील क्यों हुआ तथा विकास की किरणों से दुर रखा जाना बेहद करूण कहानी बयां करती है।

ऊंचे दर्जे के शोध कर्ताओं द्वारा इसे शोध सामग्री न बनाया जाना बेहद अफसोसजनक है सामाजिक आर्थिक अध्ययन के लिये। आज आजाद मुल्क में इन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि अपने -अपने क्षेत्रों का विकास कर पाने में क्यों अक्षम है वहीं मूलवासी लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाये जो स्थानीय लोगों एवं उनके बीच बड़ी खाई बनती जा रही है। जिसका फायदा लेते हुए गत विभिन्न चुनावों में अनेकों राजनीतिक पार्टीयां अपनी झोली में वोट बटोरा है।

आजादी के बाद मूलवासी ओड़िया लोगों का अधिकांश इलाका पिछड़ने के कारण लोग अत्यन्त गरीब होते चले गये। जब शासक शोषक बन जायें वहां नौकरशाही की चांदी कटना तय है , आज वही हो रहा बिहार से लेकर झारखंड तक में यानी 1948से लेकर २०२५ तक सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में।

उड़ीसा से विछिन्न हुआ इलाका को विछिन्नाचंल कहा जाता। दो ओडिया भाषी देशी रियासत सरायकेला तथा खरसावां का तो आज आजाद भारत में ढंग से प्रतिनिधित्व ही हो नहीं पा रहा है , जो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बेहद घातक स्थिति है। कारण आजाद मुल्क में इन दो पूर्व रियासत ओडिशा का जिला भी रहा है। इस बाबत विगत अनेकों उत्कल दिवस(1अप्रेल) के अवसर पर स्थानीय आयोजन में यह बात उठती रही है। परन्तु झारखंड एवं ओड़िशा में हर पार्टी की सरकारें इस दिशा में बिल्कुल निष्क्रिय रही है।

गौरतलब है कि सरायकेला खरसावां जैसे देशी ओड़िया रियासत को स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश में लाने एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु मेक इन इंडिया के वास्तविक जनक मधु बाबू ने सवा सौ साल पहले जिस स्वावलंबी ओड़िया का सपना देखा था , बड़ा मुहिम को छेड़ा था। जिसे गांधी समेत हर कोई सराहा आज लोग झारखंड के इस सर्वाधिक लघु उद्योग भरे जिले सरायकेला में उनके प्रयासों को नेता जानते न मानते। बिहार ओडिशा विधान परिषद में सर्व प्रथम मंत्री रहे मधूसुदन दास के सपनो पर पानी डाल रही सरकारैं सिंहभूम पोड़ाहाट राज्य 1२05 में स्थापित होकर 1857 तक वीर ओड़िया जनमानस का पोड़ाहाट राज्य रहा। ओड़िया भाषा संस्कृति यहां बचाने से लेकर पुरी जगन्नाथ मंदिर को अंग्रेजों से बचाने वाले इस अद्वितीय पराक्रमी विद्वान अधिवक्ता मधूसुदन दास के प्रयास को झारखंड की किसी भी सरकार कभी याद तक करती, तरहीज नहीं देती। यह तो लोग ही हैं यहां विद्यालय खोल ओड़िया शिक्षा देने वाले गोपबंधू , गदावरीश जी को कभी कभार दो श्रध्दा के सुमन दे देते। वर्ना सरकारें जानती तक नहीं।

पंडित गोप बंधु, पंडित गोदावरीश जैसे महान शख्सियत गण कई सम्मेलन में शरीक हो कर , चक्रधरपुर में ओड़िया स्कूल खोल कर ओड़िया भाषा संस्कृति का संरक्षण कर मान बढ़ाया है। भाषा को बचाने हेतु चुनौती देते रहे। जिस भूमि में एक अंग्रेजों ने पोड़ाहाट के ओड़िआ राजा को 1857 में वनारस में कैद कर मारा था।

पर आजादी के बाद सरायकेला, खरसावां , सिंहभूम की जनमानस का आर्थिक उत्थान की पहलु पर कोई बात नही करना गणतंत्र को बड़ी शर्मशार करने वाली स्थिति है यहां। आजादी के बाद षड्यंत्र तहत ओडिशा से सरायकेला खरसावां को खसकाया गया , जिसपर आजतक किसी आयोग इस पर काम नहीं करना बड़ी साज़िश की बू आती है।

इतना ही नहीं 1977 तक सरायकेला विधानसभा आरक्षित नहीं था , उसके पहले खरसावां सीट भी। परंतु आरक्षण के बाद जितने भी लोग चुनकर गए वे विधानसभा में उड़िया भाषी जनता को ही भुला दी। आते आते लोगों के उनके मौलिक अधिकारों से दरकिनार करना आरंभ किया। लोकसभा में लंबे समय से स्थानीय ओड़िया भाषियों के शैक्षणिक ,आर्थिक , सामाजिक , राजनैतिक अधिकारों को लेकर कभी प्रश्न पूछे जाने का जानकारी तक आज नही मिलता है विगत पचास साल के इतिहास में ,जो भी पार्टी यहां से जीत दर्ज करती है या तो वे अपने बाहरी आकाओं के बात पर चलते या फिर स्वयं उड़िया भाषी जनता को अलग थलग कर अपनी कार्यकाल पूरा कर शोषण की राजनीति करते रहे हैं। 51 वर्ष बिहार सरकार के अधीन रहने के बाद यह इलाका झारखंड बनने के बाद उसमें में बहुत कुछ सपना लिए आया था।

सन २000 में बिहार विभाजन बिल लोकसभा में पारित के दौरान उड़ीसा सरकार ने अपने इन दो पूर्व देसी गढ जात या पूर्व राज्यों को पुन: उड़ीसा में शामिल की मांग की थी। तब तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में बहस भाषण के दौरान था - सरायकेला खरसावां जहां भी रहे वहां की सरकार एवं उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर सरायकेला खरसावां के ओड़िया भाषियों की स्थिति का जायजा लेंगे। आज स्थिति यह है कि उड़ीसा सरकार २0-२२ साल पहले अपनी विधानसभा टीम के साथ यहां केवल भाषा को देखने दो बार आई थी उसके बाद स्थानीय ओड़िआ लोगों को उनके बदहाली पर छोड़ दिया। आज तिथि यह है कि झारखंड की पूर्व सरकारें सैकड़ों साल पुरानी उड़िया स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है ,जबकि किसी को भी अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने का उसका संवैधानिक अधिकार बनता है इसी भारत वर्ष मे। इस गैर संवैधानिक स्थिति पर स्थानीय जनमानस में 1948 से ही रोष व्याप्त है। जहां तक आर्थिक उत्थान की बात है अधिकांश इलाका या तो माओवादी ग्रसित है या फिर उनके अपने लोगों का उत्थान का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। आदित्यपुर ,गमाहारिया जैसे इलेके का विकास। मूलवासी अतीत के सम्पन्न ओड़िया क्यों बनाए जाते आज सड़क के भीखारी ? आज भारतीय गणतंत्र को पुछ रहा है समय ?

यह बड़ा सवाल है जो नेताओं की नेतागिरी, सरकार की शोषण युक्त दादागिरी सीधे ख़त्म कर सकता। वे कौन है जो गणतंत्र को अपना व्यवसाय समझ बैठे हैं ?आदित्यपुर औधोगिक प्राधिकरण के 500 ओड़िआ गांव, लोग -भाषा- संस्कृति कोई जानता भी है।

आज जो भी अधिकारी आते हैं वे बिहार सरकार की रवैया लिए ओड़िआ लोगों को चलाते हैं। नतीजा यह है कि मूलवासी तथा यहां बसाये गये लोगों में बहुत बड़ी खाई है, जो खाई है उसे पाटना संभव नहीं है। आज मूलवासी ओडिया और अतीत का उसका समुचा राजधानी क्षेत्र, गांव क्षेत्र सरायकेला हो य, खरसावां या सिंहभूम संपन्नता के शिखर से सड़क पर आ चुकी है जनता , जहां लोकतंत्र को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है अर्थललुप शासन व्यवस्था।

पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने पिंगलवाड़ा स्कूलों में मिड-डे-मील योजना बंद होने पर जताई गहरी चिंता, जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

अमृतसर, 11 नवम्बर (साहिल बेरी)

पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने अमृतसर दौरे के दौरान यह पाया कि पिंगलवाड़ा संस्थान द्वारा संचालित कुछ स्कूलों में मिड-डे-मील (MDM) योजना बंद कर दी गई है। आयोग ने इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की और जिला शिक्षा अधिकारी (सीनियर सेकेंडरी) को निर्देश दिए कि इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र आयोग को प्रस्तुत की जाए।

बैठक की अध्यक्षता आयोग के चेयरपर्सन श्री बल मुकंद शर्मा ने की। बैठक में सदस्य श्री विजय दत्त, श्री चेतन धालीवाल और श्री जसवीर सिंह सेखों उपस्थित रहे।

आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र विद्यार्थी मिड-डे-मील योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा इस योजना को पिंगलवाड़ा स्कूलों में तत्काल पुनः आरंभ किया जाए।

बैठक में सुश्री अमनदीप कौर, अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास), स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज सुरक्षा विभाग, वन विभाग, आयुर्वेदिक विभाग तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन, पोषण वाटिका (Nutrition Garden), स्कूलों में पेयजल की गुणवत्ता जांच, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उपायों तथा आगामी "फूड इज़ मेडिसिन" कार्यशाला पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के समापन पर चेयरपर्सन श्री बल मुकंद शर्मा ने सभी विभागों के प्रयासों की सराहना की और खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा स्वच्छता से संबंधित सभी सरकारी निर्देशों के समयबद्ध और समन्वित क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन हेतु एक समन्वित मॉनिटरिंग प्रणाली आवश्यक है।

बैठक से पूर्व आयोग के सभी सदस्यों ने जंडियाला गुरु स्थित पिंगलवाड़ा ऑर्गेनिक फार्म और मनावाला स्थित पिंगलवाड़ा संस्थान का दौरा किया। आयोग ने वहां चल रही विभिन्न कल्याणकारी एवं शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण किया तथा संस्थान की अध्यक्ष डॉ. इंदरजीत कौर से मुलाकात की। डॉ. कौर ने आयोग को संस्थान के कार्य एवं मानवीय सेवाओं की जानकारी दी।

पिंगलवाड़ा ऑर्गेनिक फार्म में मास्टर राजवीर सिंह ने जैविक और सतत खेती की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। आयोग ने उनके प्रयासों की सराहना की और इस फार्म को सतत एवं मूल्य-आधारित कृषि का आदर्श मॉडल बताया।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई पदयात्रा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अमृतसर, 11 नवंबर (साहिल बेरी)

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर, मेरा युवा भारत, अमृतसर, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा जिला प्रशासन अमृतसर के सहयोग से, उप निदेशक जसलीन कौर के नेतृत्व में "सरदार@150 – एकता यात्रा" (जिला स्तरीय पदयात्रा) का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कंपनी बाग से हुई, जहाँ एम.वाई. भारत की डिप्टी डायरेक्टर मैडम जसलीन कौर ने मुख्य अतिथि श्री रोहित गुप्ता, पी.सी.एस., अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), अमृतसर का स्वागत किया। इस अवसर पर अन्य विशिष्ट अतिथियों में डॉ. आदित्य (एन.एस.एस. प्रोग्राम अधिकारी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय), जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) श्री राजेश शर्मा, खेल कोच तथा ए.पी.आर.ओ. श्री योगेश शर्मा उपस्थित थे।

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि सरदार पटेल ने भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बाद 350 रियासतों को भारत में सम्मिलित कर अखंड भारत की स्थापना की थी, जो एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारा देश फूलों का एक गुलदस्ता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर रहते हैं और भारत की एकता को मजबूत करते हैं।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, श्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि "सरदार पटेल की एकता की दृष्टि हमें सदैव प्रेरित करती है और इस यात्रा का प्रत्येक कदम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।"

इसके बाद आज़ाद भगत सिंह मंच द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया और सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने "आत्मनिर्भर भारत" की शपथ ली।

मुख्य अतिथि श्री रोहित गुप्ता ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा कंपनी बाग – बी.आर.टी.सी. – नॉवेल्टी चौक – गुरु नानक स्टेडियम तक निकाली गई, जहाँ समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, एन.एस.एस./एन.सी.सी. स्वयंसेवकों तथा युवा क्लबों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री रोहित गुप्ता ने एम.वाई. भारत अमृतसर एवं जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और युवाओं को सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया।

रच रहा है कोई साजिशें

न जाने ज़हर के बीज कब खत्म होंगे,
हम अपने ही घर में सुरक्षित कब होंगे,
कब खत्म होगी ये खौफ़नाक रंजिशें,
कोई कहीं न कहीं रच रहा हैं साजिशें ।

लूट लेते हैं सुकून सारा ऐसे ही समाचार,
पल में छीन ली जाती ₹आनंद₹ रसधार,
घर पर लौट पाएं हम सुरक्षित इस बार,
हर आदमी तो है बस परेशान व लाचार ।

इंसान ही इंसानों के लो बन बैठे हैं दुश्मन,
चीख रही मानवता कैसा बेतूका ये टशन,
खोखली हुई भावनाएं मना रहा कोई जश्न,
जीवन हैं कीमती रह गया बस एक प्रश्न ।

बस किताबी हो गए लगता हैं भाईचारे,
हम किसी न किसी रूप में फिर हैं हारे,
दुष्टों द्वारा तोड़ी जा रहीं प्रेम की दीवार,
न जाने कब थमेंगी ये हिंसा की तलवार ।

आस्तीन के साँप देशद्रोही वो दग़ाबाज़,
हादसों को अंजाम देते हैं वे धोखेबाज़,
बिलख रहा कोई अपना जल रहे अंगारे,
तड़प रहा है फिर कोई घूम रहे हत्यारे ।

बड़ी मात्रा में होता हैं बहुत ही नुक़सान,
कितने घर हो जाते सुनसान लहुलुहान,
समझने वाला हैं क्या कोई से दुरूहता,
ये समस्या बन चुकी हमारी विवशता ।

– मोनिका डागा "आनंद" , चेन्नई, तमिलनाडु

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023